खण्ड-253, अंक-7
मंगलवार, 27 माघ, शक संवत् 1886
(16 फरवरी, 1965 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. | ७५७–७६० |
| प्रश्नोत्तर .. .. | ७६१–७९० |
| नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं .. | ७९० |
| प्रजा समाजवादी दल के गठन के संबंध में सूचना .. | ७९० |
| व्यवस्था का प्रश्न .. .. | ७९०–७९१ |
| विविध विषय .. .. | ७९१ |
| १९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) | ८९२–८४० |
| उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार (संशोधन) (विधेयक, १९६५ (पारित) | ८४०–८५७ |
| उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित) | ८५७–८६० |
| उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय—जारी) .. | ८६०–८६४ |
| नत्थियां .. .. | ८६५–८६८ |


सत्यमेव जयते

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

**मंगलवार, १६ फरवरी, १९६५**

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—३२४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री

बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरासिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री

रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश भी उपस्थित थे।

# प्रश्नोत्तर

## मंगलवार, १६ फरवरी, १९६५

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### हरिजनों को नौकरी दिलाने के लिये समिति

**१—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) तथा श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि २७ अगस्त, १९६४ को राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करते समय श्री शांतिप्रपन्न जी ने यह आश्वासन दिया था कि नौकरियों में हरिजनों के हित की निगरानी करने के लिये तुरन्त एक स्थायी समिति बनाई जा रही है, जिसके समाज कल्याण मंत्री अध्यक्ष होंगे ? यदि हां, तो अब तक उस समिति के निर्माण न करने के कारण क्या है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

शासन के विचाराधीन है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आज ५,६ महीने बीत जाने के बाद भी यह योजना विचाराधीन है तो यह कब तक फाइनलाइज़ हो जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसमें देरी हो गई । एक सप्ताह के अन्दर यह फाइनलाइज़ हो जायगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें सरकारी व्यक्तियों के अलावा कुछ गैरसरकारी व्यक्तियों को भी लेने का विचार किया जा रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इन तमाम विषयों पर विचार हो रहा था, इसलिये देर हो गयी । इसको एक सप्ताह के अन्दर ही हम तय कर देंगे ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतल येंगे कि जो समिति कायम करने का विचार है उसमें हरिजन जनसेवकों के प्रतिनिधियों को भी रखा जायगा ? यदि हां, तो कितने ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

समिति तो इसलिये बनायी जा रही है कि वह देखे कि सरकारी आदेशों का ठीक प्रकार से पालन हो रहा है अथवा नहीं । उसमें जिन लोगों को उचित समझा जायगा रखा जायगा ।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समिति का प्रदेशीय स्तर पर ही गठन होगा अथवा जिलास्तर पर भी गठन होगा ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

जिला स्तर पर तो जिलाधीश ही इस काम को देखेंगे कि सरकार के आदेशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं । यहां के लिये भी अफ़सर हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को पता है कि अभी बरेली में हरिजनों के संबंध में एक मूल्यांकन समिति गयी थी जिसमें कोई भी हरिजन प्रतिनिधि नहीं था? ऐसी स्थिति में हरिजनों के हितों की पूर्णरूप से रक्षा हो सके इस विचार से उस समिति में कोई हरिजन प्रतिनिधि भी रखने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आदरणीय सदस्य की यदि यह इच्छा है तो आपकी बात पर अवश्य विचार किया जायगा।

## सहकारी दुग्ध संघ, वाराणसी, के डेरी मैनेजर के विरुद्ध जांच

**२—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी दुग्ध संघ, वाराणसी, के डेरी मैनेजर के अविलम्ब स्थानान्तरण के संबंध में संघ के उपाध्यक्ष ने रजिस्ट्रार कोआपरेशन को जो २८ फरवरी, १९६५ को तार और २९ जनवरी, १९६५ को पत्र भेजा और ५ फरवरी, १९६५ को संघ के एतदर्थ पास किये गये प्रस्ताव की सूचना भेजी, उसके संबंध में क्या अविलम्ब कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

उक्त तीन पत्रों में से पहले दो पत्र ही निबन्धक सहकारी समितियों को प्राप्त हुये हैं। पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच एक उच्च अधिकारी कर रहें हैं जिनकी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर जो कि शीघ्र ही प्राप्त हो जायगी, कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जायगा।

श्री रघुनाथसिंह—

शिकायतों की जांच के लिये जांच अधिकारी की नियुक्ति कब की गयी और शिकायती पत्र और तार भेजने वाले उपाध्यक्ष महोदय को इसकी सूचना दी गयी या नहीं और अगर दी गयी, तो कब ?

श्री बनारसीदास—

तार के बाद पत्र मिला और चीफ डेयरी डेवलपमेंट आफिसर्स की नियुक्ति जांच के लिये हुई और उनकी जांच की रिपोर्ट एक हफ्ते के अन्दर, २३ या २४ तारीख तक आने वाली है और उसके बाद निर्णय किया जायगा।

श्री रघुनाथ सिंह—

मैंने पूछा था कि नियुक्ति कब हुई और सूचना तार भेजने वाले सज्जन को भी दी गयी या नहीं और दी गई, तो कब ?

श्री बनारसीदास—

मैंने तो उत्तर दिया कि तार मिला और २९ जनवरी का पत्र मिला। जांच की आवश्यकता न होते हुये भी जांच का आदेश दिया गया और उपाध्यक्ष और संचालक ने परस्पर आरोप लगाये हैं, उनसे मिलकर जांच करने और रिपोर्ट देने का आदेश जांच करने वाले अधिकारी को दे दिया गया है।

श्री रघुनाथसिंह—

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तार और पत्र की तारीख तो हमारे प्रश्न में ही है, उसे आप क्या बताते हैं? हमें तो बताइये कि उनकी नियुक्ति कब हुई जो जांच कर रहे हैं और उपाध्यक्ष को सूचना कब दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो कहते हैं कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बनारसीदास—

मैंने तो अर्ज किया कि २९ तारीख को पत्र आया और उसी महीने के अन्दर यह निर्णय किया गया कि चीफ डेयरी डेवलपमेंट आफिसर इसकी जांच करें । वे जितने आदमियों से आवश्यक समझेंगे अवश्य जांच करेंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह पर जांच का आदेश दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

संघ के उपाध्यक्ष ने यह शिकायत की है कि डेयरी के मैनेजर ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को रुपया दे दिया है जिनसे वसूलयाबी की संभावना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उसको बताया गया या नहीं कि कौन सज्जन जांच के लिये और कब आने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जांच करने वाले अफसर के लिये उनका कहना है कि कह दिया गया है कि वे उपाध्यक्ष से भी इन्क्वायरी कर लें ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसका उत्तर तो दिया जा चुका है । उन्होंने शिकायत की कि इत्तिला दी गयी या नहीं, इसकी सूचना नहीं है । लेकिन जब जांच का आदेश दिया गया तो उसके अन्दर यह तो निहित है कि जिन्होंने शिकायत की उनसे पूछा जाय खास तौर से तब कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने संचालकों के खिलाफ लिखा है और मैनेजर ने उनके खिलाफ और तीन दूसरे संचालकों के खिलाफ शिकायत की है । तो आदेश उनको यह दिया गया है कि यह एक दूसरे की जो शिकायतें हैं उनकी जांच करें ।

## राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा

**३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा हेतु उसकी ओर से क्या प्रबन्ध किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जनहित में यह सूचना देना उचित न होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा करने की आवश्यकता उनको क्यों महसूस हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिनके लिये सुरक्षा की जाती है उनके लिये यह जरूरी समझा गया कि उनकी सुरक्षा की जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस प्रदेश में बहुत से व्यक्ति बसते हैं और मुख्य व्यक्तियों की आप सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं तो उनके लिये सुरक्षा करने का कौन सा आधार है, कौन से उनके लिये खतरे पैदा हो गये, जिनसे उनके लिये सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी और वे किन-किन दलों के हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जनहित में वह इसकी सूचना नहीं देना चाहते है । प्रश्न यह है कि जनहित में कौन सी बातें गोपनीय रखी जायं, यह तो पूर्णरूप से सरकार के अधिकार की बात है। अगर सरकार समझती ह कि जनहित में इसको गोपनीय रखा जाय तो मेरे लिये मजबूरी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मै सिर्फ उनकी संख्या जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं और किन दलों से संबंधित हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

हमारे पास कुछ ऐसी सूचना है जिनसे मैंने यह जरूरी समझा कि उनकी सुरक्षा की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उनकी संख्या बतला दीजिये । वह संख्या जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह संख्या बतलाना भी मैं उचित नहीं समझता हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय कमलापति त्रिपाठी और माननीय चन्द्रभान गुप्त की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध माननीय गृह मंत्री ने किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसका भी उत्तर मैं नहीं दे सकता ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि "मैं इसका भी उत्तर नहीं दे सकता" इस उत्तर को आप कैसे अलाउ करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जो उत्तर दिया है इसको उसी संदर्भ में समझना चाहिये । उन्होंने कहा कि हम यह समझते हैं कि जनहित में यह बात गोपनीय रखी जाय और उसी सिलसिले में वह इसका भी उत्तर नहीं देना चाहते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान मुख्य मंत्री जी के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमलापति जी त्रिपाठी और श्री गुप्ता जी की सुरक्षा के लिये विशेष पुलिस रखी जा रही है और इस आदेश का उन्होंने पालन किया है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह वक्तव्य भी मेरी जानकारी में नहीं आया

## तारांकित प्रश्न

## खटीमा पावर हाउस

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खटीमा पावर हाउस में कई जगहें दरारें पड़ गयी हैं, जिसकी वजह से पानी टपक रहा है और कई जगह इंजीनियरों ने दरारों पर पैच भी किया है और टर्बाइनों पर जहां से पानी आत है उस दीवाल को भी गिरने का खतरा हो गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

खटीमा पावर हाउस में कोई दरारें नहीं पड़ी हैं । टरबाइनों में पानी ले जाने वाले कंक्रीट के नलों तथा पावर हाउस के बीच बनाये हुए जोड़ में से पानी निकल कर टपकता है । विशेषज्ञों की राय है कि पानी का यह रिसाव निरापद है और इसको रोकने के लिये किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अधिकारी नहीं, हमने सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन को भी लिखा था और उनके अनुसार यह ठीक है ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी को पता है कि उन पानी के नलों के नीचे जो गलियारा है उसमें मैंने स्वयं तथा अन्य सदस्यों ने भी देखा था कि दरारें पड़ गयी है और उसे सीमेंट से जोड़ा गया है और मैं यह चेतावनी देता हूं कि ३, ४ साल में यह टूट जायगा, इसलिये क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आपने चेतावनी दी है इसलिये जरूर देख लूंगा । वैसे हमारे विशेषज्ञों की राय में इसमें कोई खतरा नहीं है । जो सब से बड़ी संस्था वाटर ऐंड पावर कमीशन है उसकी भी यही राय है । लेकिन हम उसकी दुबारा जांच करा लेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह कमी जो रह गयी है वह किस की गलती से रह गयी है ? क्या मंत्री जी जांच करायेंगे इसकी और यदि पता चला हो तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

कोई कमी रहने का तो कोई सवाल नहीं है । बात यह है कि जहां से पानी गिरता है वह जगह काफी ऊंचायी पर है, और कांक्रीट को टनेल बनी है । तापमान से जब फर्क आता है तो जहां जहां पर जोड़ है उनसे पानी निकलने लगता है ।

## ननौती बांध से सिंचाई

*२---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ननौती बांध, जिला मिर्जापुर, को ५६-५७ में ४।। लाख रुपये की योजना के रूप में स्वीकार किया गया था और इससे दो नहरें निकालकर बायीं से १२०० एकड़, दायीं से ३०० एकड़ की सिंचाई करने की योजना थी ? यदि हां, तो क्या १५०० एकड़ की जगह सिर्फ ४०० एकड़ सिंचाई हो रही है और क्या उक्त नहरों के सुधार के लिये पुनः १।। लाख रुपया मांगा गया है ? ऐसा क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

जी नहीं, ननौती बांध मूल प्रायोजना के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में ५.१२ लाख रुपया तथा संशोधित प्रायोजना के लिये वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में ७.६७ लाख रुपया स्वीकृत किय गया था । इस योजना के अन्तर्गत दायीं तथा बायीं नहरों से १००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई प्रस्तावित थी, जिसमें से सन् १९६३-६४ में ७९१ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हुयी और इस वर्ष लगभग ८२० एकड़ सिंचाई होने की संभावना है ।

नहरों के सुधार के हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मांगी गई है ।

## हा-हा नाला बांध

*३---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हा-हा नाला बांध (जिला आजमगढ़) के बरोहा ग्राम के सामने घाघरा नदी के कटान की दूरी सितम्बर सन् १९६४ के प्रथम सप्ताह में कितने गज थी और अक्टूबर, सन् १९६४, के चतुर्थ सप्ताह में कितने गज पर नदी का कटान उक्त गांव से है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

बरोहा ग्राम से घाघरा नदी के तट की दूरी सितम्बर, १९६४ के प्रथम सप्ताह में ३०० गज और अक्टूबर, १९६४ के चतुर्थ सप्ताह में ३५ गज थी ।

*४---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थान पर उक्त समय के भीतर का कटाव सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा न रोके जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

उक्त समय के भीतर नदी के कटाव को पेड़ और बांस के बंडाल तीस-तीस फीट की दूरी पर डाल कर रोका गया ।

*५---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या सिंचाई मंत्री नदी के कटाव की तेज गति को देखते हुए पक्के ठोकर बनवाने की कृपा करेंगे , जैसाकि रुड़की के विभागीय इंजीनियरों की राय है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

ठोस ठोकर के निर्माण अथवा अन्य साधन द्वारा बांध की रक्षा का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ठोकर बनाने का प्रश्न विचाराधीन है वह कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बताना तो बड़ा मुश्किल है। रुपये का जब इन्तजाम हो जायेगा, यह किया जायेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

सरकार की ओर से इस बांध और गांव को बचाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इन्तजाम तो होता ही रहता है। बाढ़ का इन्तजाम करना कोई साधारण बात नहीं है। करोड़ों रुपया इसमें खर्च होता है, जितने साधन स्टेट के पास होते हैं उसी के हिसाब से काम करना होता है। रुपया हमने मांगा है, अगर मिल गया तो इसको भी देखेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

माननीय मंत्री जी ने ३ सितम्बर, १९६४, को यहां आश्वासन दिया था कि मार्च, १९६४ के पहले इस नदी के कटाव को रोकने के लिये मार्च, १९६५, तक बांध बनाने की व्यवस्था की जायेगी; तो उस आश्वासन में और आज के कथन में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह आश्वासन भी ठीक है और आज जो कहा यह भी ठीक है। टेम्पोरेरी कुछ न कुछ इन्तजाम तो होता ही रहता है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बरसात के पूर्व कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उस कटाव को रोका जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इन्तजाम दो तरह से होते हैं—एक परमानेन्ट और एक टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी इन्तजाम तो होता ही है। कभी-कभी परमानेन्ट इन्तजाम भी फेल हो जाता है।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में आजमगढ़ के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (इर्रीगेशन) वहां गये थे और उन्होंने वहां कहा कि अगर शीघ्रातिशीघ्र इस कटाव का प्रबन्ध न होगा तो बहुत से गांव जो अभी शेष हैं, या थोड़े २ रह गये हैं, समाप्त हो जावेंगे और उन्होंने इसके लिये कुछ सुझाव भी भेजने को कहा था ? क्या उन्होंने सरकार के पास कुछ सुझाव भेजे अगर नहीं भेजे, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस सूचना के लिए नोटिस चाहिये; यह इस समय मेरे पास नहीं है। जब हमने अगस्त के महीने में गांव को बाढ़ से बचाने के लिये प्रयास किया था तो उस समय भी किये गये प्रयास अधिक बाढ़ के आने से बेकार हो गये थे।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा पांचवें प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि ठाकरों के कटाव को रोकने के लिये ठोकरों के न बनाने का निर्णय किया गया है तो क्या आप के विचाराधीन गांवों को बसाने की योजना भी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसको बनाने के लिये जो योजना बनानी है उसमें ६१ लाख रुपये खर्च होने को हैं। ६१ लाख रुपया अभी हमारे पास नहीं है। जब रुपये का प्रबन्ध हो जावेगा तो परमानेन्ट स्कीम बनेगी। लेकिन जब तक कोई ऐसा प्रबंध न हो, टेम्पोरेरी प्रबन्ध किया जाता है।

श्री रघुनाथसिंह—

मंत्री जी कहते हैं कि हम टेम्पोरेरी प्रबन्ध कर लेते हैं और बाढ़ अधिक आने पर नुकसान हो जाता है, सब का सब बह जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहिले ही से क्यों न ऐसा इन्तजाम किया जाय जिससे कि पक्का इन्तजाम हो सके। बाढ़ जब उफान पर होती है तब जो टेम्पोरेरी व्यवस्था करने वाली है वह क्यों नहीं कर लेते? इस समय क्या दिक्कत है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अपकी राय हमने जान ली है। मैं विभागीय लोगों से सलाह कर लूंगा। बात बन सके तो कर लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैंने यह प्रश्न किया था जैसा कि मूल उत्तर में कहा गया है, कि बाढ़ की तेजी से कटाव के कारण गांव ३५ गज की दूरी पर रह गये हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि ठोकरों का निर्माण सरकार के विचाराधीन है। ठोकरों द्वारा नुकसान हुआ है। इस बरसात में वह योजना शासन के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब यह है कि बनेगी या नहीं बनेगी, यही शासन के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथसिंह—

तो यह प्रश्न हुआ है कि ३५ गज की दूरी पर वे गांव रह गये हैं। कटान बराबर जारी है।]

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप कहते हैं वही वह भी कह रहे हैं।

श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या सरकार के पास ऐसी कोई फेहरिस्त है कि आजमगढ़ और बलिया जिले के कितने गांव कटाव से बह गये हैं और कौन-कौन से गांव निस्सहाय हो गये हैं और क्या काम वहां हुआ है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। कितना काम वहां कर रहे हैं, वह विभाग के पास है।

## माताटीला बांध सामग्री सम्बन्धी जांच एवं श्री महेन्द्रकुमार सिंघल की गिरफ्तारी

*६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध डिवीजन के कौन-कौन सरकारी कर्मचारियों को गत अक्तूबर, १९६४ में मध्य प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार किया है और क्यों?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

केवल श्री महेन्द्र कुमार सिंघल, अधिशासी अभियन्ता, को मध्य प्रदेश पुलिस ने सरकारी सामग्री की गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया तथा फिर जमानत पर छोड़ दिया।

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—

क्या यह बात सही है कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध बांध निर्माण सम्बन्धी सामग्री चोरबाजारी में बिक्री करने के आरोप हैं? यदि हां, तो कितना माल इस प्रकार का पकड़ा गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मध्य प्रदेश की पुलिस ने सरकारी सामग्री की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उक्त पुलिस द्वारा माताटीला से १०० बोरी सीमेन्ट झांसी ले जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया है।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रोजेक्ट की सामग्री के उपयोग एवं चोरबाजारी में बेचने के सम्बन्ध में कोई विस्तृत जांच कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस बांध के सिलसिले में जो कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं उनकी विस्तृत जांच कराई जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी में है कि माताटीला कांड ४ सितम्बर, सन् १९६३, को इस सदन के समक्ष आया था और १३-७-१९६४ को प्रथम शिकायत कई लाख रुपये की माताटीला से सम्बन्धित दी गई, फिर ४-१०-१९६४, १५-१०-१९६४, १७-१०-१९६४, २४-१०-१९६४, २५-१०-१९६४, २६-११-१९६४, १९-१२-१९६४ और आखिरी ६-२-१९६५ को इसकी शिकायत की गई कि इतने लाख कीमत का सामान सीमेंट, लोहा इत्यादि इस स्थान पर पकड़ा जा सकता है और यह भी शिकायत की गई कि फर्जी तरीके से रातोंरात कागज बदले जा रहे हैं और सबूत नष्ट किये जा रहे हैं, तो इन पर किस तारीख को आदेश दिया गया और जांच कब प्रारम्भ हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह शिकायतें आयी हैं, यह सही है और ज्यादातर शिकायतें माननीय लखपतराम जी ने की हैं और उन शिकयतों की पहले सी० आई० डी० जांच कर रही थी, बाद में वे विजिलेंस कमीशन के पास भेज दी गईं, विजिलेंस कमीशन उसकी जांच कर रहा है। और दूसरी जो शिकायतें आयी हैं वह भी उसके पास भेज दी गई हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस इंजीनियर को गिरफ्तार करने से पहले या उस पर मुकदमा कायम करने से पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से इजाजत मांगी थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये पहले ही यह बता देना चाहता हूं कि यह मुकदमा अदालत के विचाराधीन है और जो शिकायतें हैं वह विजिलेंस कमीशन के सुपुर्द हैं। इसमें बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं कि अगर उनका जवाब यहां इस सदन में देने लगूं तो बहुत से

सदस्य यहां बैठे हुए हैं वह भी अनकम्फर्टेबिल अपने को फील करेंगे। उनके लिये यह ठीक नहीं होगा क्योंकि यह मामला अदलत के विचाराधीन है। अगर आप पूछेंगे तो मेरे पास सामग्री है, मैं जवाब देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो माननीय मंत्री जी, केवल इतना है कि जब इंजीनियर को अरेस्ट किया गया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पूछा या नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नहीं साहब, पूछा ही नहीं गया हमसे और बल्कि केस चलाया गया उनके ऊपर और हम पूछते हैं कि क्या मामला है तो वह कोई जवाब ही नहीं देते।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि बहुत से सदस्य उनके उत्तर से अपने को एम्बेरेस्ड फील करेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आया, यह आप साफ करायें, यह बहुत बड़ा चार्ज है।

श्री कृष्ण चन्द—

४ सितम्बर को जब इस सम्बन्ध में यहां विवाद हुआ था तो मंत्री जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार इसकी जांच कर रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसके साथ पूरा सहयोग देगी। पिछले दिनों इस इंजीनियर और कुछ और कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के एक प्रवक्ता महोदय ने इन गिरफ्तारियों का विरोध किया था। यह विरोध क्यों किया गया और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उन सरकारी आदमियों का यह कहना है कि यह झूठा मामला है और इसमें कुछ और ही बात है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे पत्रों का अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पकड़ा हुआ ट्रक गराज में दुरुस्ती के लिये पड़ा था और रात के लगभग २ बजे सीमेंट ले जाता पकड़ा गया ? यदि हां, तो २ बजे रात में सीमेंट ले जाने का क्या कारण था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तमाम मामला उस समय सी० आई० डी० को दे दिया गया था और इस समय विलीजेंस कमीशन इसकी जांच कर रहा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जिस स्थान पर १०० बोरे लदे हुए ट्रक पकड़ा गया वह यू० पी० की हद में है या मध्य प्रदेश की हद में है ? अगर वह मध्य प्रदेश में है, तो कौनसे कायदे से मध्य प्रदेश सरकार को इजाजत लेने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह मध्य प्रदेश में है। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये सी० आर० पी० सी० की धारा १९७ के अनुसार जिस सरकार का वह कर्मचारी हो उससे इजाजत लेना आवश्यक है। जब मध्य प्रदेश की सरकार ने यह इजाजत हमसे चाही तो स्वाभाविक है कि हमारी स्टेट ने यह पूछा कि आप कसूर बतलावें और कागज तो भेजें, जो वह नहीं कर रहे हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश की हद में हुई या झांसी में हुई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

झांसी में हुई। यही नहीं, जो साहब गिरफ्तार करने आये थे उन्होंने हमारे एस० ई० से यह कहा कि इन्हें हम एस० पी० झांसी के पास ले जावेंगे क्योंकि यह कर्टसी है कि अगर दूसरी स्टेट का हमारे यहां गिरफ्तार करने आवे तो हमारे अफसर से कहे कि यह कसूरवार है और इसे आप हमको दे दें। उन्होंने उसका उल्लंघन किया और एस० पी० झांसी के पास न ले जाकर सीधे मध्य प्रदेश ले गये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

किस आधार पर मंत्री जी ने यह कहा कि माननीय सदस्य एम्बेरैसमेंट फील करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्णचन्द--

क्या इन इंजीनियर को और दो एक कर्मचारियों को जिन पर मुकदमा है तबादला करके लखनऊ बुला लिया गया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हां, जी।

श्री कृष्णचन्द—

यह क्यों किया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तीनों लखनऊ में नहीं हैं। श्री सिंघल ने छुट्टी ले ली थी। हमारी सी० आई० डी० ने कहा कि जांच के लिए यह जरूरी है कि आप इन लोगों को यहां से हटा दें। सिंघल को छुट्टी से आने पर यहां डिजाइन्स डाइरेक्टोरेट में, जहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जाब नहीं है, रख दिया गया। श्री सहगल मिर्जापुर में और तीसरे साहब इलाहाबाद में हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

मुलजिमान की ओर से सेशन्स में यह दरख्वास्त दी गई थी कि यह चोरी का मामला उत्तर प्रदेश में ही चलाया जा सकता है, क्या यह सही है और यह भी कि सेशन ने यह कहा कि चोरी मध्य प्रदेश में हुई और वहां की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इजाजत मांगी है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुकदमें यहां और वहां भी चले।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सीमेंट का ट्रक पकड़े जाने के बाद माताटीला डिवीजन का जो झांसी में कार्यालय है, जिसे बने २ वर्ष ही हुए हैं, उसकी छतों को तोड़कर यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि यह सीमेंट उसकी मरम्मत के लिये जा रहा था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

लाखों रुपये का गबन और ब्लैक मार्केटिंग एक जिम्मेदार अधिकारी करे और उसकी तहकीक़ात में महीनों लगें, तो मैं चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस किस्म की शिकायतों की तहकीकात जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करेंगे और अगर वह न कर सकें तो वह इसे माननीय गृह मंत्री जी के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी तहकीकात हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं आपको साफ़ बता दूं कि हम यह चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन इसकी जांच करे। उसके लिये विजीलेंस कमीशन जो हमने बनाया है, जिसमें गवर्नमेंट का या किसी दूसरे का हाथ नहीं रहता है, उसे यह दे दिया गया है।

मैं एक संशोधन करना चाहता हूं। मकान के तोड़ने की जानकारी मुझे तो नहीं थी, लेकिन अभी मुख्य मंत्री जी से मालूम हुआ है कि उनसे माननीय लखपतराम शर्मा जी ने ऐसी बात कही थी।

श्री नवलकिशोर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह केस जो मध्य प्रदेश की ओर से चलाया गया है, उसमें गवाह कौन-कौन हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे यह बतलाया गया है कि एक किसी ट्रक का ड्राइवर है और माननीय लखपतराम जी हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, यह हाउस में असलियत को छिपाने की कोशिश की जा रही है। यह विशेषाधिकार की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको रोकता नहीं हूं, लेकिन हमारा कायदा यह है कि अगर किसी सवाल के जवाब से आप असंतुष्ट हैं तो आप दूसरी कार्यवाही कर सकते हैं। सदन में झूठ और सच की बात कहना गलत है। आप दूसरे तरीकों से इस सवाल को उठा सकते हैं।

## गोल-बरहलगंज बस सर्विस

*९—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया दिनांक ८ सितम्बर, १९६४, के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ३५ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गाड़ी चलाने के लिये जो अनुज्ञा पत्र मांगने के लिये आवेदन-पत्र दिया गया था वह स्वीकृत हुआ या नहीं ? यदि नहीं स्वीकृत हुआ, तो उसका कारण क्या था और वह परमिट किस आधार पर किस व्यक्ति को दी गई ?

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी नहीं । रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी ने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। उस मार्ग पर परमिट किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई ।

*१०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस मार्ग पर बस चलाने की व्यवस्था हो रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि रीजल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी के सामने परमिट देने की बात किस नोटीफिकेशन में और किस तरह से आयी। अगर किसी व्यक्ति को अनुज्ञा नहीं दी गयी तो किस को दी गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

किसी व्यक्ति को नहीं दी गयी। अभी वेकेन्सी है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और इसमें कितना समय और लगने की संभावना है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

कब से विचाराधीन है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। यह कहना भी कठिन है कि इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि इसके लिये बहुत लम्बी कार्यवाही होती है बीच में बहुत से कंप्लीकेशन्स पैदा हो जाते हैं। सब के बाद में नोटीफिकेशन होता है ।

श्री नर्रासिहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जब तक राष्ट्रीयकरण न हो और उसके कागजात चल रहे हैं, इस बीच में किसी को परमिट न दिया जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह संभव नहीं है ।

## नरौरा-बांध निर्माण

*११—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरौरा डैम जो गंगा नदी पर जिला बुलन्दशहर में बनाया जा रहा है इस पर कार्य आरम्भ हुआ और वह कब समाप्त हो जायगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

नरौरा बैरेज पर कार्य अक्टूबर, १९६२ में प्रारम्भ हुआ था और १९६८ तक उसके पूर्ण होने की आशा की जाती है ।

*१२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नरौरा डैम पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

४,३९,४९,००० रुपये।

## सुल्तानपुर जिले में मिसरौली के निकट अधूरी नहर

*१३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में मिसरौली स्टेशन के उत्तर से जो नहर पूरब को बनाई जा रही थी उसका कार्य कब से बन्द है? क्या इस पर काफी काम भी हो गया था और नहर मिट्टी से पट गई है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मिसरौली स्टेशन, जिला सुलतानपुर में स्थित है, न कि जिला प्रतापगढ़ में। इसके उत्तर की ओर अमेठी रजबहे का निर्माण-कार्य १९५८ से बन्द है।

इस नहर की पूरी निर्धारित लम्बाई २५ मील ६ फर्लांग में खुदाई का कार्य पूरा हो चुका था। किन्तु इसे २५ मील २ फर्लांग २८० फीट तक ही बना कर छोड़ दिया गया था क्योंकि इस स्थल पर प्रतापगढ़–रायबरेली रेलवे लाइन पड़ती है। नहर की इस लम्बाई में पानी चलता रहा है, अतः नहर के मिट्टी से पट जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—

मैंने अपनी आंखों से देखा है, मंत्री जी की सूचना गलत है। रेलवे के उस पार भी नहर बना कर छोड़ दी गई है, जो पट गयी है, उधर पानी गया ही नहीं है और पश्चिम में भी पानी नहीं जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी मेरे साथ स्वयं चल कर उसकी जांच करने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

२५ मील ६ फर्लांग नहर बननी थी। २५ मील २ फर्लांग के बाद रेलवे लाइन पड़ती है। रेलवे का पुल बना नहीं है। उसके आगे सिर्फ ३–४ फर्लांग है। उसमें पानी नहीं जा रहा है। मैं यकीन कर सकता हूं, उसमें मिट्टी पड़ गयी होगी लेकिन २५ मील २ फर्लांग में पानी दिया जा रहा है। अब पुल बनवाने का भी इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री ऊदल—

अगर रेलवे विभाग ने पुल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो उसके पूर्व एक मील नहर क्यों खोद डाली गई?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने कहा, २५ मील २ फर्लांग के बाद करीब थोड़ी सी नहर खोदी गयी थी और एक पुल प्रस्तावित था लेकिन चूंकि वह थोड़ा सा ही क्षेत्र था जिसके लिये रेलवे से साढ़े ७ हजार रुपया मांगा गया था लेकिन उस जमाने में पुल बनवाने का विचार छोड़ दिया गया। अब पुनः विचार करके रेलवे से कहा जा रहा है कि वह पुल को बनवा दे जिससे आगे आधा मील का खुदा हुआ हिस्सा भी काम में आ सके।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा भी एक प्रश्न सरकार के पास एक दो दिन में आने वाला है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रश्न सरकार के पास आया है या नहीं, क्योंकि हमारी कांस्टीटुएंसी में ही मिसरौली अमेठी क्षेत्र पड़ता है, वह प्रतापगढ़ में नहीं है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसको हम देख लेंगे ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैंने स्वयं देखा है कि करीब २० मील तक पानी जाता है, उसके बाद रेलवे की तरफ वह पानी नहीं जाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि सन् १९५८ में नहर खोदी गयी और उस पर पुल आज तक नहीं बना जिससे एक मील पूरब को खोदी गयी नहर का हिस्सा भी मिट्टी से पट गया जिससे उधर को पानी नहीं जाता ?

श्री अध्यक्ष—

इसे आप और माननीय बैजनाथसिंह जी, दोनों मिल कर पहले देख लें।

## मथुरा जिले में बठेन कलां नाला बनाना

*१४—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नाला बठेन कलां , जिला मथुरा, न खुदने के कारण ग्राम जाव व खायरा व बिजवारी, बठेन कलां व बठेन खुर्द आदि में कितने एकड़ जमीन में अब तक (अक्तूबर, १९६४) पानी भरा है ? और खरीफ की फसल कितनी मारी गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ग्राम जाव को छोड़ कर प्रश्न में उल्लिखित किसी और ग्राम में अक्टूबर, १९६४ में पानी नहीं भरा था। जांव ग्राम में ५५४.२५ एकड़ खरीफ की फसल को क्षति हुई परन्तु खायरा, बैठन कलां, बठेन खुर्द तथा बिजवारी में कोई क्षति नहीं हुई।

*१५—श्री लखीसिंह—

इस नाले को अब किस महीने में खोदा जायगा और क्या इसे गोवर्धन ड्रेन में डाला जायगा ? यदि हां, तो इसमें कितना धन व्यय होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, गोवर्धन ड्रेन के पूरा होने के साथ ही साथ मई जून, १९६५ में बठेन ड्रेन को खोद कर साफ किया जायेगा और गोवर्धन ड्रेन में डाला जायेगा जिसमें लगभग २५,००० रुपये खर्च होंगे ।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी दोबारा इसकी जांच करायेंगे कि यह नाला कितने दिनों से खुदा है और अब तक इसका पानी कहां डाला जाता रहा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक छोटा सा नाला सन् १९५६–५७ में खोदा गया था और एक डीग इस्केप पानी निकालने के लिये था जो राजस्थान को जाता है। तो उन्होंने कहा कि यह बात ठीक नहीं है, यह पानी हमारे यहां नहीं आना चाहिये। एक छोटा सा नाला था जो सूख जाया करता था।

जैसा कि मैंने उत्तर में कहा, अब इस बात की कोशिश की गई है कि इस नाले को जो जून में पूरा हो जायगा गोवर्धन ड्रेन में डाल दें और उससे खारिजा होता रहे।

श्री लखीसिंह—

यह नाला ८ साल से बना है और पंजाब तक का पानी आकर इन गांवों को डुबोता है तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर मंत्री जी दोबारा जांच करायेंगे कि कितने गांव बरबाद हो गये हैं और वहां अभी तक पानी भरा है तो वह जून तक जो गोवर्धन ड्रेन तैयार करा रहे है उसको अभी से सरकार खुदवाने के लिये विभाग को सौपेंगी ताकि वे अबकी बरसात में तो न डूबें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

गोवर्धन ड्रेन जून में बन जाने के बाद बठेन ड्रेन को उसमें मिलाने की बात है, इस ड्रेन को हम बरसात से पहले जून तक पूरा कर देंगे और इस बठेन नाले की सफाई भी करा देंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मथुरा जिले का इतना बड़ा भाग जो पूरा गर्की से ग्रस्त हो जाता है जिसकी कि सूचना उनको है और जिसके लिये उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाने के लिये वादा किया था और जबकि उससे पहले भी एक प्लान वहां के लिये बन चुकी थी क्योंकि ४–९–६४ को उत्तर में बताया भी था कि बरसात के बाद फौरन खुदाई शुरू हो जायगी लेकिन इतने दिन हो गये बरसात खत्म हुये, तो अभी तक खुदाई क्यों नहीं आरम्भ हुई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि हमने मास्टर प्लान के लिये कहा और यह भी सही है कि मथुरा का जिला ऐसा है कि कहीं तो पानी बिलकुल नहीं है और जहां है वहां बहुत ज्यादा है, उसके लिये मास्टर प्लान बन रही है लेकिन उसमें बहुत रुपया लगेगा, जितना खर्च करना सम्भव होता है उतना हम बनाते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा काम है और जिस पर हम तवज्जह दे रहे हैं वह गोवर्धन ड्रेन का है जिससे बहुत बड़ा भाग जलमग्न होने से बच जायगा और इसी कारण से हमने उसको प्रायटी दी है और आशा है कि वह जून तक बन जायगा।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

जिस मास्टर प्लान का जिला मथुरा के लिये जिक्र किया गया क्या सरकार को मालूम है कि वह मास्टर प्लान मथुरा जिला परिषद द्वारा स्वीकार कर के भेजी गई है और उस पर कब तक कार्यवाही होगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो सवाल बठेन नाले का है; उस पर विचार हो रहा है।

श्री लखीसिंह—

माननीय मंत्री जी ने ४ गांवों में ५५४.२५ एकड़ की क्षति बताई है और मेरी सूचना है कि १ हजार एकड़ से कम क्षति नहीं है, क्योंकि पानी पंजाब तक का आकर वहां फैलती है और मंत्री जी जून सन ६५ तक अवश्य गोवर्धन ड्रेन की तैयारी की बात कर रहे हैं तो जब जून तक यह तैयार होगा, तो क्या उसके बाद वह उसको आगे जुलाई अगस्त में खुदवायेंगे जिससे किसान मर जायं ? इस ड्रेन को भी सरकार अभी से क्यों नहीं खुदवाती, जब पैसा खर्च करना है तो अभी से क्यों नहीं काम आरम्भ किया जाता जिससे आने वाली बरसात में तो वे बच जायं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो बता दिया कि गोवर्धन ड्रेन के पूरा होने के साथ ही उस ड्रेन की सफाई करा दी जायगी और उसका पानी गोवर्धन ड्रेन में डाल दिया जायगा। मैं ६५ तक की बात नहीं कहता उसके पूरा होने के साथ यह हो जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि इसी सदन में ४–९–६४ को एक प्रश्न के उत्तर में ४२ मील की योजना के लिये कहा गया था कि जल्द से जल्द बरसात के बाद फौरन ही खुदाई आरम्भ कराई जायगी, तो क्या इस ४२ मील की योजना का सर्वे हो चुका है और उसका खर्च पास हो चुका है ?

अब ५ महीने बरसात के बाद हो गये, अतः माननीय लखी सिंह का कहना ठीक है कि बरसात दूसरी आ जायगी और तब तक कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करेंगे, तो फिर हमको सदन में पूछना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक आप कार्यवाही पूरी करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपको तो मालूम है कि मैं जिस दिन मथुरा गया उसी दिन हुक्म दिया था। इस प्रश्न के उत्तर में भी मैंने कह दिया कि जुलाई तक हो जायगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

बठेन ड्रेन एक ही मास्टर प्लान में शामिल था।

श्री लखीसिंह—

उत्तर की भाषा ऐसी है कि १९६३ में गोवर्धन ड्रेन बन जाना चाहिये था लेकिन इस विभाग की लापरवाही से नहीं बना। कम से कम १० हजार किसानों का नुकसान इस नाले ने किया है। तो क्या मंत्री जी गोवर्धन ड्रेन के साथ साथ इस बठैन ड्रेन पर भी अभी काम कराने की सूचना विभाग को देंगे या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जरूर दे देंगे। मैंने तो कह दिया कि बनवा देंगे।

## रोडवेज विभाग में ए० टी० आई०

*१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि राजकीय रोडवेज के आगरा रीजन तथा गोरखपुर रीजन में कुछ असिस्टेन्ट ट्राफिक इन्सपेक्टर्स ने स्टेशन इंचार्ज के पद पर १९४८ में कार्य किया ? यदि कार्य किया, तो किस-किस स्टेशन पर किया और उस समय उनकी नियुक्ति स्टेशन इंचार्ज के पद पर किस प्रकार से की गई थी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उपलब्ध अभिलेखों से ए०टी० आईज० द्वारा स्टेशन इन्चार्जों के पद पर कार्य करना नहीं पाया जाता। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनको इस पर कार्य करने का कोई एलाउन्स दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उपरोक्त प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठता।

*१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे Assistant Traffic Inspectors को जिन्होंने सन् १९४८ में उक्त रीजनों में Station Incharge के पद पर कार्य किया था, क्या उनकी Seniority बहैसियत Station Incharge के उस दिन से शुमार की गई थी जिस दिन से उन्होंने इस पद पर कार्य करना आरम्भ किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

उपरोक्त उत्तरों के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मंत्री जी बतायेंगे कि उस समय जितने ए० टी० आईज गोरखपुर रीजन में थे वह कब कब नियुक्त हुए थे और क्या कार्य कर रहे थे ? क्या उन्होंने स्टेशन इन्चार्ज के पद पर भी काम किया है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

रेकार्ड से यह नहीं मालूम होता कि किसी ए० टी० आई० ने १९४८ में स्टेशन इन्चार्ज के पद पर काम किया है । उसके बाद के लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

## भोगांव बस स्टेशन

*१९—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले के सरकारी बस स्टेशन भोगांव पर जो बुकिंग आफिस है वह सन् १९६३ में बन कर तैयार हुआ था उसकी छत व दीवारें तथा फर्श खराब हो गयी हैं और छत व दीवारें फट गई हैं जिसके कारण वहां के कर्मचारियों को गत बारिश में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रश्न में अंकित स्थिति सही नहीं है । यह सब स्टेशन सन १९६२ में बना था । फर्श के प्लास्टर के कहीं कहीं टूट जाने व दीवारों के प्लास्टर में कुछ चिटक आ जाने से भवन के गिर जाने की संभावना न थी और न कर्मचारियों के लिये कोई खतरा पैदा हुआ था ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

मंत्री जी को मालूम है कि भोगांव बुकिंग आफिस को बने करीब ढाई साल हुए हैं और उसकी दीवालों का प्लास्टर चटक गया है, तो क्या सरकार पता लगायेगी कि ऐसा सीमेंट कम लगाने की वजह से हुआ है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इसका पता लगाया गया और इसमें नुक्स यह मालूम पड़ा कि फाउन्डेशन ठीक से ले नहीं की गयी थी । कम सीमेंट लगाने का भी चार्ज नहीं है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या मंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा था कि चूंकि यह बस स्टेशन भोगांव में बन रहा है इसलिये वहां सीमेंट सही सही पहुंच जाय ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

फाउन्डेशन के सेटिलमेंट में शायद कुछ फर्क आ गया है ।

श्री वीरसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सीमेंट जो टेस्ट कराया गया उसमे सीमेंट और रेत का रेशियो क्या था ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मेरे पास यह रिपोर्ट नहीं है । लेकिन इंजीनियर ने यही बताया कि फाउन्डेशन का सेटिलमेंट कुछ मामूली था और यही वजह थी ।

## रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर की हड़ताल

*२०—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप कानपुर की दिनांक १२ सितम्बर, १९६४ को प्रारम्भ हड़ताल को समाप्त करने के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने कोई पत्र परिवहन आयुक्त को लिखा था ? यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*२१—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन आयुक्त ने हड़ताल समाप्त करने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

हड़ताल २ दिसम्बर १९६४ को समाप्त हो गई ।

## मुरादाबाद जिले में असिस्टेंट नाजिर, श्री नित्यानन्द सक्सेना को मुअत्तली

*२२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद जिले में एक असिस्टेंट नाजिर श्री नित्यानन्द सक्सेना को वहां के जज ने दिनांक १ जून, १९६३ को मुअत्तल किया परन्तु उस नाजिर को १/३ वेतन अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जी नहीं । श्री सक्सेना को १/३ निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) बराबर दिया जा रहा है ।

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या न्याय मंत्री जी को मालूम है कि मुअत्तली के समय का पूरा महंगाई भत्ता मिलना चाहिये, परन्तु उक्त नाजिर को भत्ता भी १/३ ही क्यों दिया गया ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न १९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री सैयद अली जहीर—

यह कहना सही नहीं है कि मुअत्तली के दौरान पूरा महंगाई भत्ता मिलना चाहिये था। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की धनराशि मुअत्तल करने वाले अधिकारी की आज्ञा पर निर्भर है।

## बस स्टेशन, कुरावली

*२४—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार १८-८-६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के सरकारी बस स्टेशन कुरावली की इमारत १९६५-६६ में किस तारीख तक बन जायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मार्च १९६६ तक बन जाने की आशा है।

*२५-२६—श्री रक्षपालसिंह—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

## गोरखपुर क्षेत्र में नलकूप चालकों का वेतन

*२७—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन गोरखपुर में कितने नलकूप चालकों का बकाया वेतन सन् १९५५ से अब तक बाकी पड़ा है ? यदि हां, तो अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—

नलकूप डिवीजन, गोरखपुर में सन् १९५५ से दिसम्बर १९६४ तक की अवधि में ४१ नलकूप चालक ऐसे हैं जिनके बकाया वेतन का भुगतान करना शेष है। इनके बकाया वेतन का भुगतान न होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) २० नलकूप चालकों के बिल महालेखाकार उत्तर प्रदेश को प्रेषित किये जा चुके हैं। वहां से स्वीकृति मिलने पर इनका भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

(२) ९ नलकूप चालकों के बिल, अधीक्षण, अभियन्ता सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर में विचाराधीन हैं।

(३) १० नलकूप चालकों के बिल पास हो गये हैं। कोषाध्यक्ष (Treasury Officer) गोरखपुर से पास होने के बाद शीघ्र ही उनका भुगतान कर दिया जायेगा।

(४) २ नलकूप चालकों के बिल नलकूप डिवीजन गोरखपुर में बनाना तथा अन्वेषण करना शेष है।

## जलकुण्डी बांध योजना

*२८—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राप्ती की बाढ़ रोकने के लिये जलकुंडी योजना जो सरकार ने बनाई थी वह कब बनी थी और उसमें अब तक क्या प्रगति है और उसका प्राक्कलन क्या था ?

श्री गिरधारीलाल—

जलकुन्डी बांध योजना सन् १९६१ में तैयार की गई थी। प्रारम्भिक सर्वे के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि इस योजना से नैपाल राज्य के हजारों एकड़ कृषि भूमि तथा अनेकों गांव बांध में आ जायेंगे इसलिये इस योजना को त्याग दिया गया। ऐसी परिस्थिति में प्राक्कलन का प्रश्न नहीं उठता है।

## ढोढाडीह, मुहम्मदाबाद व काजीपुर क्षेत्र के नलकूपों का विद्युतीकरण

*२९—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ढोढाडीह और मुहम्मदाबाद व काजीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच जो नलकूप लगे हैं उनका विद्युतीकरण दिनांक १० दिसम्बर, १९६४ तक न होने के बावजूद विद्युतीकरण मार्च, १९६४ में दिखा कर सारा खर्चा वसूल कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि इन नलकूपों पर पेमेंट की तिथि दिनांक १० दिसम्बर, १९६४ तक नलकूप वार कितनी बिजली खर्च हुई?

श्री गिरधारीलाल—

ढोढाडीह, मुहम्दाबाद और गाजीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच में जो राजकीय नलकूप लगे हैं और जिनके विद्युतीकरण में खर्च मार्च, १९६४ तक दिखाया गया है, उनका विद्युतीकरण केवल परसा (२) राजकीय नलकूप को छोड़ कर, मार्च १९६४ तक हो चुका है।

राजकीय नलकूप (२) परसा का विद्युतीकरण रेलवे अधिकारियों से ११ के० वी० रेलवे क्रासिंग की अंतिम स्वीकृति (final approval) न आने के कारण रुका हुआ है। इस नलकूप के विद्युतीकरण में केवल उन कार्यों का खर्च मार्च १९६४ तक दिखाया गया है जो कि विद्युत परिषद् द्वारा उस समय तक पूरे हो चुके थे।

उपरोक्त रेलवे स्टेशनों के बीच प्रति नलकूप जितनी यूनिट बिजली प्रति माह अप्रैल, १९६४ से दिसम्बर, १९६४ तक खर्च हुई है, उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६५–८६६ पर)

## श्री गर्ग, असिस्टेंट इंजीनियर, गाजीपुर के विरुद्ध शिकायत

*३०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता का कोई कम्प्लेन्ट मुख्य मंत्री को श्री गर्ग, बिजली असिस्टेंट इंजीनियर, गाजीपुर के खिलाफ मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। पत्र में उल्लिखित बातों की जांच कराई गई है। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

## छितौनी बांध की मरम्मत

*३१—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छितौनी बांध जो गोरखपुर व देवरिया में बनाया गया था, १९६३ में टूटने के बाद उसकी मरम्मत पर कितना व्यय हुआ और क्या इसके बाद भी वह टूट गया?

श्री गिरधारीलाल—

छितौनी बांध के १९६३ में क्षतिग्रस्त हुए भाग की मरम्मत नहीं हुई अतः उस पर व्यय होने तथा उस भाग के पुनः टूटने का प्रश्न नहीं उठता।

## बजरहा गांव की बाढ़ से सुरक्षा

*३२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में बजरहा गांव को कटाव से बचाने वाले ठोकर टूट गये हैं? यदि हां, तो टूटने के नाते कितनी हानि हुई है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां, बस्ती जिले के ग्राम बजरहा बुजुर्ग को राप्ती नदी के कटाव से बचाने के लिये बनाये गये ४ ठोकरों में से ३ ठोकर १९६४ की बाढ़ में बह गए।

दूसरा भाग—इस के फलस्वरूप बजरहा बुजुर्ग व डुमरिया बुजुर्ग की १२ एकड़ कृषि योग्य भूमि कट गई है।

तीसरा भाग—चूंकि यह हानि बाढ़ के प्रकोप के कारण हुई थी अतः इसकी जिम्मेदारी किसी पर भी नहीं लगाई जा सकती।

*३३—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन ठोकरों की मरम्मत और सुधार कब तक हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—

तीन बह गये ठोकरों में से एक ठोकर का पुनर्गठन और साथ ही साथ पांच और नये ठोकर बनाने की योजना है। इस योजना का कार्यान्वित होना राज्य नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति तथा धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

## सेशन कोर्ट, फतेहपुर के नकल विभाग में कार्य

*३४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाई कोर्ट नियम में प्रत्येक क्लर्क का प्रत्येक दिन ढाई हजार शब्द नकल करने के प्रत्यक्ष आदेश के विरुद्ध सेशन्स कचहरी फतेहपुर के इन्चार्ज नकल ने प्रतिदिन पांच हजार शब्द लिखने का कोई आदेश मार्च, १९६४ में और जिला जज कानपुर ने तीर हजार शब्द लिखने का आदेश अगस्त, १९६४ में दिया है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया गया है?

श्री सैदय अली जहीर—

जी हां।

वित्त नियमावली खंड २ के नियम ११ के अन्तर्गत।

*३५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सेशन्स कचहरियों के नकल विभाग में ७ क्लर्क व टाइप राइटर रखने का नियम है? यदि हां, तो सेशन्स कचेहरी फतेहपुर के नकल विभाग में टाइप राइटर व पूरे सात क्लर्क न रखने तथा हाथ से नकलों की चार-चार प्रतियां कराने का नियमित आधार क्या है?

श्री सैयद अली जहीर—

ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल लिपिकों की अधिकतम निर्धारित संख्या जिनकी व्यवस्था की जा सकती है ७ है।

रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा खराब अंग्रेजी टाइपराइटरों की जगह नये टाइपराइटर की व्यवस्था विचाराधीन है।

हाथ से नकलों की उतनी प्रतियां कराई जाती हैं जितनी कि प्रार्थी मांगते हैं।

*३६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि सेशन्स कचेहरी फतेहपुर के नकल के क्लर्कों से प्रतिदिन निर्धारित समय के बाद तक तथा छुट्टियों में भी काम लिया जाता है और उसका ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। यदि हां, तो इसकी अनियमितता को समाप्त करने के लिये क्या सरकार कोई उपाय करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

सुचारु रूप से कार्य व्यवस्था करने के लिये वित्त नियमावली खंड २ के नियम संख्या ११ के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी ( Proper Authority ) को अधिकार है कि बिना किसी ओवर टाइम भत्ते के सरकारी कर्मचारियों से किसी भी समय काम करा सकते हैं।

## वाराणसी जिले में शुंभा नाला

*३७—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी जिलान्तर्गत शुंभा नाला गंगा नदी के निकट पहुंच कर एक बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेता है और कई हजार एकड़ जमीन उसमें नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई विभाग ने भूमि संरक्षण की दृष्टि से उसके लिये कोई योजना बनायी है और बनाई है, तो कब तक उसे पूरा करेगा और क्या तब तक साइफन बनाकर जमीन का कटाव व रवीन रोकने का प्रबन्ध विभाग करेगा ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी हां, शुम्भा नाले से हानि हो रही है।

दूसरा तथा तीसरा भाग—अभी कोई योजना नहीं बनी है। इस नाले का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद यदि व्यवहार्य हुआ तो उचित योजना बनाई जायेगी जिसकी स्वीकृति होने पर तथा धन उपलब्ध होने पर यह बताना सम्भव हो सकेगा कि यह योजना कब तक पूरी हो सकेगी।

अन्तिम भाग—सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि क्या उपाय किया जायगा।

## कानपुर में अतिरिक्त जजों के विचाराधीन मुकदमे

*३८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में कितने अतिरिक्त जिला जज हैं, उनमें से १ जनवरी, १९६३ से लेकर ३१ जून, १९६४ तक प्रत्येक के पास कितने ओरिजिनल मुकदमे और कितनी अपीलें विचार करने के लिये आईं ? उनमें कितने का निर्णय ६ माह के अन्दर दे दिया गया और कितने वादों और मुकदमों का उनकी अपीलों में ६ माह से अधिक समय लगा ?

*३९—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त अतिरिक्त जिला जजों में से प्रत्येक को अलग-अलग कितने वर्ष मुंसिफ का और कितने वर्ष सिविल एवं सेशन्स जज के पदों पर रहने का अनुभव प्राप्त है ?

श्री सैयद अली जहीर—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

## विधायकों के लिये बस कूपन

*४०—श्री कमलासिंह यादव, श्री भीखालाल (जिला उन्नाव), श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार उत्तर प्रदेश में बस द्वारा यात्रा संबंधी कूपन विधान मंडल के सदस्यों को जारी कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं ।

*४१–४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[२ रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७६–७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये । ]

## "ओबरा डैम"

*४४—श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि " ओबरा डैम" जिला मिर्जापुर पर कब कार्य आरम्भ हुआ और इस डैम पर कुल कितना धन व्यय होगा तथा कार्य कब तक समाप्त होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

ओबरा डैम पर कार्य सन् १९६२ के शुरू में प्रारम्भ हुआ । सन् १९६० से तैयार किये गये अनुमानों के अनुसार इस प्रायोजना की अनुमोदित लागत १०५९.२६ लाख रु० है । इस कार्य के सन् १९६७ तक पूरे होने की सम्भावना है ।

## अमेठी का विद्युतीकरण

*४५—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थान अमेठी, जिला सुल्तानपुर में कब तक बिजली देने की वे कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला सुल्तानपुर के ग्राम अमेठी का विद्युतीकरण जुलाई, १९६५ तक हो जाने की संभावना है ।

*४६—श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि विद्युत् विभाग के संबंधित कर्मचारियों ने अमेठी में बिजली लगाने के संबंध में जमीन भी एक्वायर कर ली है परन्तु अभी तक वहां पर कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—

अमेठी में सब स्टेशन बनाने के लिये जो भूमि एक्वायर की जा रही है उस पर अभी तक अधिकार (कब्जा) प्राप्त नहीं हुआ है । भूमि पर कब्जा मिलने पर अगला कार्य, आरम्भ किया जायेगा ।

## रिहन्द विद्युत् प्रसारण क्षेत्र

*४७—श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिहन्द विद्युत् प्रसारण क्षेत्र में जिन-जिन स्थानों से विद्युत् लाइनें गई हैं वहां ५,००० से ऊपर के सभी गांवों को विद्युतीकरण करने का आदेश दे दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

*४८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया । ]

## देहरादून के रोडवेज स्टोर से सामान गायब होना

*४९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज में १९६०-६१ में देहरादून स्टोर में जो ६०,०००रुपये के सामान की चोरी हुई थी उसका उत्तरदायित्व किस पर रहा तथा उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी कोई चोरी नहीं हुई । जांच के पश्चात् स्टाक में करीब ९,००० रु० के मूल्य की वस्तुओं की कमी पाई गई जिसके लिये स्टोरकीपर जिम्मेवार पाए गये । विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

*५०-५१—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये । ]

*५२—श्री शिवनार्थासिह—

[४ थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया । ]

*५३—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

[३रे गुरुवार के लिये प्र० सं० ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया । ]

## राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*५४—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन देने के प्रारम्भ में क्या नियम बनाये गये थे और क्या इनमें समय-समय पर परिवर्तन हुये ? यदि हां, तो कब और क्या परिवर्तन किये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

राजनैतिक पीड़ितों को पेन्शन प्रदान किये जाने के संबंध में अभी तक कोई नियमावली नहीं बनाई गई है । इन लोगों को पेन्शन एवं एक मुश्त अनुदान कुछ सिद्धान्तों के आधार पर दिये जाते हैं । नियमावली बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

*५५—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों को किस-किस मद में अनुदान देने की व्यवस्था है और उसकी क्या शर्तें ह तथा अधिकतम कितने रुपये तक अनुदान दिया जा सकता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

(१) राजनीतिक पीड़ितों को गृह (सामान्य) विभाग से " अनुदान संख्या ४२-उप शीर्षक संख्या ६६–१ प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेन्शनें—आयोजनेतर—क—धर्मार्थ—भत्ते (क) राजनीतिक कारणों से पेन्शन और भत्ते" के अन्तर्गत पेन्शन एवं एक मुश्त अनुदान प्रदान किये जाते हैं।

(२) शिक्षा विभाग द्वारा इन व्यक्तियों को "अनुदान संख्या १७–शिक्षा—लेखा शीर्षक २८—शिक्षा—(ड)—सामान्य व्यय—(ग) छात्र वृत्तियां" के अन्तर्गत छात्र वृत्ति एवं अनुदान दिये जाते हैं।

(३) गृह (सामान्य) विभाग से राजनीतिक पीड़ितों को उनकी पुत्रियों-पितृहीन बहनों के विवाहार्थ एवं चिकित्सार्थ एक मुश्त अनुदान दिये जाते हैं। ये अनुदान उन राजनीतिक पीड़ितों को दिये जाते हैं जो देश के स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में कम से कम एक बार ६ माह के लिये जेल में रहे हों। इस अनुदान की अधिकतम धनराशि ५०० रु० है।

(४) शिक्षा विभाग द्वारा राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को दी जाने वाली अनुदान की सूची संलग्न तालिका "क" में दी गई है। उक्त अनुदान की शर्तें संलग्न तालिका "ख" में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६७ पर )

*५६—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तक अनुदान आदि किस कक्षा के लिये कितना दिया जाता है और इस हेतु शर्तें क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा ६ तक की शिक्षा बालकों और कक्षा १० तक बालिकाओं के लिये निःशुक है। इसके अतिरिक्त छात्रों / छात्राओं के लिये छात्रवृत्तियां तथा अन्य अनावर्तक सहायता स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के बच्चों / आश्रितों को दी जाती हैं जिसकी विस्तृत सूचना संलग्न तालिका "क" में दी गई है। ये छात्र वृत्तियां एवं अनुदान जिन शर्तों के अन्तर्गत दिये जाते हैं उसकी सूची संलग्न तालिका " ख" में दी गई है। इन सुविधाओं को पाने के अधिकारी राजनीतिक पीड़ितों के बच्चे तथा निम्नांकित आश्रित हैं :

राजनीतिक पीड़ितों के सौतेले बच्चे, गोद लिये हुए बच्चे और उनके पौत्र जिनके पिता की पहले मृत्यु हो गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

*५७–५८—[निकाल दिये गये।]

*५९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[४ थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## नैपाल बांध

*६०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैपाल बांध मार्च, १९६५ में बन कर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो देरी का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

*६१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बांध के निर्माण काल में कोई बाधा पड़ी ? यदि हां, तो उक्त बाधा का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*६२-६३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये । ]

*६४—श्री लखीसिंह—

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## कानपुर-बांदा बस सर्विस में चिल्लाघाट पर उतराई

*६५—श्री बद्री प्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर से जो रोडवेज की बस बांदा जाती है उस पर जमुना के पुल से उतराई का महसूल टिकट के साथ दे दिया जाता है और मौके पर चिल्ला-घाट का ठेकेदार भी यात्रियों से महसूल लेता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

*६६—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यदि हां, तो यह डबल चार्ज क्यों होता है और क्या सरकार इस वसूली को बन्द कराने का आदेश जारी करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

घाट के ठेकेदार को प्रति बस प्रति ट्रिप रोडवेज विभाग उतराई का महसूल देता है, जिसे आनुपातिक रूप से बस से सफर करने वाले यात्रियों से टिकट के साथ वसूल लिया जाता है ।

चूंकि फेरी पुल पर से भरी बस को पार होने की अनुमति नहीं है बस के यात्रियों को पैदल पुल पार करना होता है और इसके लिये उन्हें भी महसूल ठेकेदार को देना पड़ता है । ऐसी प्रथा

( Practice ) अन्य फेरी पुलों पर भी है। अतः इस वसूली को यहां बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६७-६९—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

[४ थे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये। ]

*७०-७१—श्री शिवनाथसिंह—

[४ थे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

## अतारांकित प्रश्न

### फतेहपुर में सिविल कोर्ट का निर्माण

१—श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर की नई कलेक्टरी कचहरी की बिल्डिग के पास ही सिविल व सेशन कोर्ट की तथा मुख्य सत्र न्यायाधीश के आवास की बिल्डिगें भी सरकार बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब से उक्त बिल्डिगों का बनना शुरू होगा और कितने खर्चे में वे बन कर तैयार हो जायेंगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

फतेहपुर में ४,३७,००० रु० की अनुमानित लागत पर सिविल कोर्ट के लिये भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेन्डर मांगे गये थे जो जमा हो चुके हैं और लगभग एक पखवारे में खुलने वाले हैं। निर्माण कार्य टेन्डर की स्वीकृति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्रता से प्रारम्भ किया जायगा।

सिविल तथा सेशन जज फतेहपुर के निवास स्थान के लिये भूमि अधिग्रहण का उच्च न्यायालय का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

### गवाहों का भत्ता

२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजूदा महंगाई को देखते हुये क्या सरकार न्यायालयों में सरकार की ओर से आहूत होने वाले गवाहों के दैनिक भत्तों व यात्रा भत्तों में उचित वृद्धि करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

शासन ने इस विषय पर विचार कर के निश्चय किया है कि इस समय आर्थिक कठिनाई के कारण दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती।

३-५—श्री कल्पनार्थासिंह—

[तारांकित प्रश्न संख्या ९-१० की पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये।]

### रेंड़ पावर हाउस

६—श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री कल्याण चन्द मोहिले—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रेंड़ पावर हाउस के पांचों टरबाइन का इस समय विद्युत् निर्माण में प्रयोग किया जाता है ? यदि हां, तो कितने किलोवाट विद्युत् प्रति दिन वहां तैयार होता है और प्रति टरबाइन की विद्युत् उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। मांग के अनुसार प्रति दिन विद्युत् शक्ति का उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक टरबाइन ५०,००० किलोवाट क्षमता की है।

७—श्री कृष्णानन्दराय तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[माननीय सदस्य से वांछित स्पष्टीकरण के अभाव में हटा दिया गया। ]

८—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[४थे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया। ]

## बेला कसैला ग्राम के निकट नहर टूटने से क्षति

९—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट पम्प कैनाल की परिखा (सूरजपुर) माइनर पर बेला गांव के पास नहर टूट गई है और गांव की ५० बीघा फसल नष्ट हो गई है?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—बेला कसैला गांव के पास केवल ८ बीघा ४ बिस्वा क्षेत्र में पानी फैला, जिसमें से केवल ३ बीघा १४ बिस्वा की फसल को क्षति पहुंची।

१०—श्री झारखण्डेराय—

यदि हां, तो किसानों को मुआवजे देने और जिम्मेदार कर्मचारियों को दण्डित करने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—सम्बन्धित किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है।

द्वितीय भाग—पिछले वर्ष वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण बरसाती पानी निकालने हेतु बेला कसैला गांव के निकट कृषकों ने सूरजपुर उपशाखा की दोनों पटरियां काट दी थीं। इसकी मरम्मत नहर चलाने से पूर्व कर दी गई थी, परन्तु रबी की सिंचाई हेतु पानी चलाने पर २८–२९ नवम्बर की रात्रि को शोरी होने के कारण ८ बीघा ४ बिस्वा क्षेत्र में पानी फैल गया था। अतः कर्मचारियों को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

## स्याना क्षेत्र के नलकूप

११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर में कितने राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिनका सिंचाई क्षेत्र-फल करीब ७०० एकड़ है और कितने ऐसे हैं जिनका करीब ८०० एकड़ या इससे अधिक है?

श्री गिरधारी लाल—

३५ नलकूप ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल ७०० से ८०० एकड़ तक है तथा ३८ नलकूप ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल ७०० एकड़ से कम है। कोई भी नलकूप ऐसा नहीं है जिसका सिंचाई का क्षेत्रफल ८०० एकड़ से अधिक है।

१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त राजकीय नलकूपों के क्षेत्रफल में सिंचाई की अत्यन्त बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये अतिरिक्त ट्यूब वेल लगाने की व्यवस्था वह करेगी जब कि जिला बुलन्दशहर में राजकीय नलकूपों का सिंचाई क्षेत्रफल घटा कर केवल ४०० (चार सौ) एकड़ ही कर दिया गया है?

श्री गिरधारीलाल—

जिला बुलन्दशहर में किसी भी नलकूप का सिंचाई का क्षेत्र (कमान्ड एरिया) घटा कर ४०० एकड़ नहीं किया गया है। फिर भी स्थान विधान सभा क्षेत्र में चार नलकूप और लगाने का प्रस्ताव है।

## नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नियम ५२ की ३ सूचनाएं आयी हैं। उनमें से मैंने २ को अस्वीकार किया है। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है किन्तु उसमें मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है।

## प्रजा समाजवादी दल के गठन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना इस आदरणीय सदन को देनी है। माननीय रियासत हुसैन, माननीय खयाली-राम, माननीय बलवानसिंह और माननीय शशिभूषण ने लिखा है कि "हम लोग अखिल भारतीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं इसलिए कृपा करके हम लोगों को प्रजा समाजवादी दल के सदस्य घोषित किया जायं और हमारे बैठने के लिये अलग सीटों का प्रबन्ध, साथ ही साथ हमारे दल के लिए काउन्सिल हाउस में एक कमरे का प्रबन्ध किया जाय"।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं और वह यह है कि जनसंघ के एक माननीय सदस्य के सम्बन्ध में आपने एक घोषणा सदन में की थी कि वे कांग्रेस में चले गये। जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस ने उन्हें नहीं लिया। आप पार्टी के बिना पूछे ही घोषणा कर देते हैं इससे आपकी पोजेशन एम्बेरेसिंग हो जाती है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, आपने जो नाम बताये वे समझ में नहीं आये।

श्री अध्यक्ष—

उनके नाम इस प्रकार हैं, माननीय रियासत हुसैन, खयाली राम, बलवान सिंह, व शशिभूषणसिंह।

## व्यवस्था का प्रश्न

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान नियम १२१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) बिल, १९६५ आया था उसमें जिक्र किया हुआ है कि कोर्ट के आदेश की वजह से यह लाया गया। बिल देखा गया। उस केस का कोई जिक्र नहीं है। चूंकि किसी खास केस के बारे में यह लाया गया और अब जब ये पेपर्स मांगे गये तो उन्होंने यह बताया कि वे नहीं हैं। पृष्ठ १७३ पर (सं० ६७) आप अपनी रूलिंग देख लें। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जिस केस का रेफेरेन्स है, वह नहीं दिया गया है। अब हम हवा में कैसे दिमाग दौड़ावें कि कौन-सा पब्लिक डाक्युमेंट माना जाय। जिन कागजों को हम मांग करते हैं उसके सम्बन्ध में आप सरकार पर सख्ती करें नहीं तो नतीजा यह होगा कि हम कोई पेपर नहीं पायेंगे। तो आप ही बताइये कि फिर किसी भी विधेयक हम पर कैसे बहस कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बिल में एक मुकदमें का उल्लेख था कि उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय किया और मजबूर होकर सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा। अब यह ठीक है कि हमारा पूर्व

निर्णय जो हो चुका है वह हो चुका है। नियम १३१ के अन्तर्गत अगर ऐसा कोई लेख मांगा जाय जो पब्लिक डाक्यूमेंट हो तो उसको पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में जजमेंट के बारे में विशेषरूप से चूंकि वह पब्लिक डाक्यूमेंट था इस कारण से सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

केस का जो रिफरेंस होता है 'कौन बनाम कौन'।

श्री अध्यक्ष—

आपकी आपत्ति यह है चूंकि विधेयक की प्रस्तावना अथवा उद्देश्यों में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-सा मुकदमा था इसलिये आपको कठिनाई होगी। इस सम्बन्ध में मैं समझाता हूं कि मुकदमें का नाम जानने की जरूरत नहीं है। विषय से पता चल जाता है कि कौन-सा मुकदमा है, क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव—

विषय बतला दिया जाय नहीं तो १,८०० से लेकर १,९०० तक मुकदमें हैं तो कैसे मालूम होगा ?

श्री अध्यक्ष—

जब विधेयक आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हाल ही में कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसके कारण यह अनुभव सरकार ने किया कि वर्तमान कानून में या विधि में संशोधन की आवश्यकता है और उसको अनुभव करके यह विधेयक आया। इसका मतलब यह है कि साल भर के केसेज आप देख लें तो उनसे मालूम हो जाना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

आप से यह रिक्वेस्ट है कि आप यह आदेश दे दें कि रिफरेंस दे दिया जाया करे ताकि पता लग सके।

श्री अध्यक्ष—

इस बात को लीगल रिमम्बेन्सर से कह दूंगा कि इसका उल्लेख दे दिया करें तो आप लोगों को सुविधा होगी।

## विविध विषय

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल जो मैंने आपके सामने प्रश्न उपस्थित किया था, उसे आपने भेजा है। उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उसे सुन लें। फिर जो उचित कार्यवाही हो उसे करें।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास रिपोर्ट आ जायगी तो कल मैं आपसे पूछ लूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

शाम को ५ से ७ बजे तक बैठक चलने का जो प्रस्ताव है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें कही जाती हैं वे सही तरीके से जनता में नहीं जा पातीं। सबेरे से बैठे प्रेस रिपोर्टर्स चले जाते हैं। उनकी भी दैनिक आवश्यकतायें होती हैं लेकिन हमारे विचारों का भी प्रसारण आवश्यक है। इसलिये ५ से ७ तक का जो कार्यक्रम है उसे उस समय न लेकर इस समय ले लें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि यह बड़े महत्व का विषय है।

## १९६५-६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

कल श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर बोल रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, जब शिक्षा मंत्री चमोली (गोपेश्वर इंटर कालेज) २४ अक्तूबर को पधारे थे तो उन्होंने चमोली डिग्री कालेज में आर्ट क्लासेज खोलने को कहा था, इसके लिये वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से श्रीनगर डिग्री कालेज में आर्ट्स क्लासेज खोलने के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मिनिस्टर लोग गढ़वाल के दौरे पर जाते हैं तो बद्रीनाथ और केदारनाथ तक जाते हैं लेकिन शिक्षा मंत्री केवल चमोली तक ही गये और वहां से लौट आये। इससे लोगों में वहां बड़ा संतोष फैला कि मंत्री महोदय यात्रा के लिए नहीं वरन् चमोली जिले की शिक्षा की स्थिति देखने आये थे। बजट के सम्बन्ध में पहली बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि सीमान्त के लोगों को संतुष्ट रखना चाहिये, वहां की जनता के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाय जिससे असंतोष पैदा हो।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुकन्दीलाल जी, आप जरा धीरे बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि सीमा प्रान्त की जनता में संतोष पैदा होना चाहिये, वहां की जनता की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि सीमान्त प्रान्त के लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है। उस प्रान्त पर इस राज्य की रक्षा निर्भर है। जोशीमठ और चमोली में जनता की जमीन सड़क और इमारतों के लिये एक्वायर की जाती है लेकिन उनको मुआवजा मौजूदा रेट पर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जो जमीन वहां के लोगों से ली जाती है उससे जनता में असंतोष फैल रहा है।

एक बात और यह है कि वहां भोटिया जाति के जो लोग रहते हैं उनका मुख्य पेशा बकरी पालन और उनको चराना है। उनको पशुओं के चराने का हक सरकारी जंगलों में नहीं दिया जा रहा है। जब वे जानवरों को चराने के लिये सरकारी जंगल में ले जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, जंगल के अन्दर जाने से रोका जाता है। मैं २३ फरवरी, १९६५ के "कर्मभूमि" में दिये समाचार पढ़ना चाहता हूं।

"चमोली सीमान्त के कतिपय भेड़ पालकों की तीन सौ से अधिक भेड़ों को वन विभाग के कर्मचारियों ने अनुमतिहीन जंगल में चरने के अपराध में मुटाढांग के जिला परिषदीय खोल में डाल दिया। फलस्वरुप बकरी वालों को सात सौ निन्यानबे रुपये से अधिक खोड़ का महसूल देकर बकरियों को छुड़ाना पड़ा। कई बकरियों के बच्चे मर गये तथा मालिकों को परेशान होना पड़ा।"

भूटियों के लिये बकरियों को चुगाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। यह भोटिये लोग चमोली जिले के सीमान्त निवासी हैं। वे पहिले तिब्बत में व्यापार करते थे। वहां अपनी भेड़ व मवेशी चुगाते थे। पर अब वे तिब्बत नहीं जा सकते और यहां आप जंगलों में उन्हें भेड़ चुगाने से रोकते हैं। सरकार खुद उनको भेड़ ऊन पैदा करने को देती है और सरकार उन भेड़ों को अपने जंगलों में चराने से रोकती है।

उक्त भोटियों के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उन्होंने गढ़वाल में कंसरहिन्द जमीन पर पुश्तों से छप्पर (कच्चे मकान) बना रखे हैं। चूंकि अब वह तिब्बत नहीं जा सकते हैं, वे उन मकानों को पक्का बनाना चाहते हैं, इसके लिये उस जमीन पर वे हिस्सेदारी हक सरकार से चाहते हैं ताकि वे वहां पूर्णतया बस जायं और उनको तिब्बत की सीमा के

† १५ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से।

गांवों में न जाना पड़े। यह बहुत ही जरूरी चीज है कि सीमान्त प्रदेश में रहने वाले लोगों को सरकार हर तरह की मदद दे तब प्रदेश में संतोष बढ़ सकता है।

हमारा करीब १३ करोड़ का डिफिसिट बजट है। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि इस साल के बजट में बहुप्रयोजनीय योजना को जिसके लिये करीब १९ करोड़ रुपये की जरूरत है, स्थगित कर दिया जाय जिससे हमारा डिफिसेट बजट न रहे।

अब मैं अपने प्रान्त के सबसे प्रमुख बलरामपुर अस्पताल की बाबत कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। काश कि वक्तन-फ-वक्तन हमारे मिनिस्टर लोग बीमार पड़ें और बलरामपुर अस्पताल में रहें ताकि उनको अस्पताल की जरूरतें महसूस हों। वहां डाक्टरों की संख्या काफी नहीं है, डाक्टरों के रहने के लिये मकान भी काफी नहीं हैं, न सिवाय दो डाक्टरों के, और डाक्टरों को टेलीफोन दिये गये हैं। उनकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिये जब कि चिकित्सा मंत्री ने हाल ही में कहा है कि डाक्टरों को फीस का लालच नहीं करना चाहिये। अस्पताल में रोगियों के लिये निवास स्थान बहुत कम हैं, वह भी बढ़ने चाहिये। आपरेशन थियेटर कम से कम एक और बढ़ना चाहिये क्योंकि वहां आपरेशन के लिये बहुत सरकारी और गैर सरकारी मरीज जाते हैं। आपरेशन थियेटर के लिये अलाहदा बिजली का प्रबन्ध होना चाहिये, आपरेशन के लिये नये औजार बाहर से आना चाहिये नर्सों की संख्या कम से कम दूनी होनी चाहिये और उनमें से सबको हाउस एलाउन्स मिलना चाहिये। जो उनको खाने के लिये एलाउन्स केवल ३० रु० माहवार मिलता है और यूनीफार्म के लिये ६ रु० माहवार मिलता है, जो कम से कम दुगुना होना चाहिये। अस्पताल की इमारत की स्पेशल रिपेयर की बहुत जरूरत है और वहां मरीजों के लिये खाने पीने के बरतनों और फरनीचर की बहुत जरूरत है।

**श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—**

अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट सरकार ने पेश किया है, उसके संबंध में मेरी अपनी राय है कि इस वक्त जो देश के अन्दर हालत है और जिस पर १७ साल से चलकर इस वक्त जिस हालत पर देश पहुंचा है, उससे कोई सबक इन्होंने नहीं हासिल किया है। इस वक्त देश के अन्दर हर आदमी, चाहे वह इंडस्ट्रियल इम्पलाई हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह टीचर्स हो या कहीं भी काम करता हो, वह इस वक्त इस सरकार से परेशान है और हर आदमी के मुंह पर सरकार के खिलाफ एक बात है। आज आप देखें कि इतनी ज्यादा परेशानी सरकारी कर्मचारियों पर है, और उसका मुख्य कारण यह है कि चीजों के दाम इतने बढ़ गये हैं कि वह उसकी पहुंच से बिलकुल बाहर पहुंच चुके हैं। आटा एक रुपये सेर बिकता है, दाल दो रुपये सेर बिकती है और इसी प्रकार से तेल, साबुन आदि तमाम चीजों के दाम हद से ज्यादा बढ़ गये हैं। सभी चीजों का इस वक्त महंगाई का प्वाइन्ट ७२८ है। अगर १९३९ को बेस माना जाये तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज महंगाई का प्वायन्ट यह है। इस विषम स्थिति में मैं सरकार से चाहूंगा कि दो बातों में से एक बात हो। पहली बात तो यह कि सरकार से कहा जाये कि चीजो के दाम कन्ट्रोल करो। सरकार चीजों के दाम कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है और देखिये जिस चीज के दाम कंट्रोल होते हैं, वह वस्तु बाजार में मिलती ही नहीं है। बासमती चावल का दाम कन्ट्रोल हुआ, वह चावल बाजार से ही गायब हो गया। यह सरकार कन्ट्रोल करने में दामों पर काबू रखने में नाकामयाब हुई है। बात करते हैं समाजवाद की, किन्तु क्या समाजवाद देश में लाने में तनिक भी सफल हुये? समाजवाद में तो आपकी चीजें महंगी होंगी, पर तमाम चीजों के दाम जो होंगे, वह कंट्रोल के दाम होंगे। समाजवाद में सब आदमी को बराबर चीजें मिलेंगी।

हमारा कहना एक ही है कि अगर इस सरकार को चलाना है, तो इन तमाम चीजों के दाम नियंत्रित करें और नियंत्रित मूल्यों पर जनता को जरूरत की चीजें मुहइया करें। ईमानदारी का तकाजा इस बात से है कि अगर ये सब काम नहीं कर सकते हो तो गद्दी छोड़ दो, उस पर विरोधी को नहीं, हमारे यहां जो अच्छे भले लोग हैं, वे लोग आवें, तुम हमारे सुपुर्द काम करो। इनकी गुटबंदी छोड़कर, जो तुम्हारे अच्छे लोग हैं, जो हमारे यहां अच्छे लोग हैं, वे मिल कर सरकार को चला सकें, उनके जिम्मे काम करो।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

सरकारी कर्मचारी लोग, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वे पहली जनवरी को तनख्वाह न लिये हों, लेकिन उनके लिये यह पहली बार है कि उन लोगों ने पहली जनवरी को तनख्वाह नहीं ली। सरकारी कर्मचारी कभी इन सब झगड़ों में पड़ता था, वे लोग कभी भी ऐसे मौकों में नजदीक नहीं आते थे। वे लोग ऐसे कामों से घबड़ाते थे। आज यह सरकार इतना नहीं देखती कि तुम्हारे कौन से कर्मचारी, सब मिलकर और यह २५,००० आदमी चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि हमारा पेट नहीं भरता है। हमारे मिनिस्टरान कानों से बहरे हैं, आंखों से अगर अंधा कहेंगे तो बुरा मानेंगे, आंखों से देख नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी का टीचर जो चिल्लाता है, उसके लिये सरकार के पास कोई इन्तजाम नहीं। ५ रु० महंगाई ७ रू० महंगाई दिया, यानी ५–७ रुपया महंगाई दे रहे हैं। ५–७ रुपयों से इस महंगाई में किसी का क्या भला हो सकता है ?

अब कहते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी है, जनता पर टैक्स लगाएंगे। जनता जो कि आज इतनी महंगाई में परेशान है, उस पर टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। हमारा कहना है कि समाजवाद में यह बात गलत है। अगर तुमको समाजवाद बनाना है, तो नीचे वाले को ऊपर उठाना पड़ेगा और ऊपर वाले को नीचे लाना पड़ेगा। लेकिन आज यह हो रहा है कि गरीब और अधिक गरीब हो रहा है और मालदार और अधिक मालदार हो रहा है। हमारे यहां देखते हैं कि पदमपति, करोड़पति थे, अब अरबपति हो गये। जैपुरिया हैं, लखपति थे, करोड़पति हो गये। हम देखते हैं कि पहले जिन लोगों के पास एक-एक कारखाने थे, अब उनके पास १००–१०० कारखाने हो गये, तो इस राज्य में पूंजीपति बढ़े।

जो एक-एक हजार रुपया तनख्वाह पाते हैं, ऊपर वालों को लीजिये। ऊपर वालों को नीचे लाइए और नीचे वालों को ऊपर उठाइए। यह ११ करोड़ रुपया जो वसूल करने का प्राविधान है, इसको वसूल करके इम्पलाइज को दे दीजिये, लेकिन वह नहीं करेंगे। जो तरीका है आमतौर पर वह नहीं अपनायेंगे। जो जनता की भलाई का काम है, वह नहीं करेंगे। कहते हैं कि जनता के ऊपर टैक्स लगाए बिना काम नहीं चलेगा और ऊपर से धमकी भी देंगे कि हमने ५ रुपया दे दिया और गड़बड़ करेंगे तो हम बहुत सख्ती करेंगे। इस धमकी से काम नहीं चलेगा। धमकी से पेट नहीं भरेगा। आपके जो कर्मचारी हैं, उसका काम धमकी से नहीं चलेगा। अगर चेंज नहीं करोगे इस स्ट्रक्चर को और जैसा चल रहा है कि मालदार और मालदार और गरीब और गरीब हो तो उसके रहते हुये धमकियों से काम नहीं चलेगा। इस सूबे में एक बहुत बड़ा तूफान उठनेवाला है, उसको आप रोक नहीं सकेंगे। जो ५ रुपया आपने दिया भी है वह भी टेम्परेरी तौर पर और ईयर टु ईयर बेसिस पर २०–२० साल से चलने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।

आप समाजवाद की बात करते हो और कहते को कि मिकस्ड एकानमी में हम धीरे-धीरे नेशनलाईज करके प्राइवेट कैपिटल पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन मेरा दावा है कि आज प्राइवेट सेक्टर की हालत स्टेट सेक्टर से कहीं अच्छी है। रोडवेज के इम्प्लाइज को ले लो, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के इम्प्लाइज को ले लो, स्किन फैक्टरी के इम्प्लाईज को ले ले और किसी भी गवर्नमेंट सरवेंट को ले लो, उनकी हालत से प्राइवेट सेक्टर में काम करनेवाले कर्मचारियों की हालत अच्छी है। प्राइवेट फैक्टरियों में जो कर्मचारी काम करते हैं देश भर में जरा उनकी हालत देखो। बम्बई में उनको १२५ रुपया, अहमदाबाद में ११० रुपया महंगाई तनख्वाह के अलावा मिलती है लेकिन हमारा यहां क्या है। हमारे या कहीं २० रुपया कहीं २५ रुपया। यहां के चपरासी को ७० रुपये लेकिन दिल्ली के चपरासी को, उससे ज्यादा, बैंक के चपरासी को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में और फैक्टरी में उससे भी ज्यादा मिलेगा। आज यह हालत इस वक्त है कि यहां जो कर्मचारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं और यहीं रहते हैं उनको ज्यादा मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर वाले को उससे भी ज्यादा मिलेगा। क्या यही सोशलिज्म है ? जो स्टेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनके लिये कोई भी कायदाकानून लागू नहीं है। न फैक्टरी ऐक्ट,

न मिनिमम वेजेज ऐक्ट, न ऐडजुडीकेशन, न कुछ, यानी एक तरह के फासिज्म का पूरा नमूना स्टेट सेक्टर में है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका समाजवाद बनेगा कैसे? ऊपर वालों को टच नहीं करोगे, उनसे पैसा लेकर नीचेवालों की हालत सुधारोगे नहीं, स्टेट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की हालत अच्छी रहेगी तो समाजवाद कैसे बनेगा? जो आपके कर्मचारी हैं न तो उनके लिये प्राइस कंट्रोल करके सामान दोगे और अगर वह पैसा मांगेंगे तो उनको धमकी दोगे, तो मैं कहता हूं कि यह सिलसिला चलेगा नहीं। धमकियों से काम ज्यादा चलता चलाता नहीं है। मैं यह साफ बता दूं कि अगर आप नहीं सुनोगे तो टीचर्स ने नोटिस दे ही दी है, सरकारी कर्मचारियों ने भी एलान किया है कि वे बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं लेंगे। और अगर इनका संघर्ष होगा तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे लेकिन वह दबेगा नहीं। तमाम मजदूर संस्थायें उनके साथ हैं। इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और आल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अलावा और भी जितनी मजदूर संस्थायें हैं वे उनका समर्थन करेंगी। मैं समझता हूं कि उनकी मांग पूरी होनी चाहिये। अगर सरकार उनकी तरफ खयाल नहीं करेगी तो झगड़ा होगा।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में अगले साल का जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसके सिलसिले में मैं अपना विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक बजट का ताल्लुक है यह बात सही है कि पिछले साल से आमदनी और खर्चे का जो अन्दाजा लगाया गया है उससे पता चलता है कि इस साल पिछले साल से भी कुछ ज्यादा काम होने वाले हैं। यह बजट एक ऐसी पार्टी का सरकार का बजट है जो निरन्तर १५, १६ साल से इस प्रदेश और देश में शासन चला रही है। इसलिये एक साल के बजट को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता है। जहां तक काम के फैलाव का ताल्लुक है यह बात भी सही है कि जब बजट में अनुदान रखे गये हैं तो सड़कों में, स्कूलों में और बहुत कामों में इस साल ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी। मैं सिर्फ इस बजट को एक दूसरी नजर से पेश करना चाहता हूं। आखिर बजट किस चीज के लिये पेश किया जाता। एक सरकार अपना बजट बनाती है तो वह इसलिये कि वह उस प्रदेश के लोगों की जिन्दगी को सुखी और समृद्धिशाली बनाना चाहती है और उसके लिये कुछ कदम उठाती है। अगर इतने खर्चे के बावजूद भी और इतने फैलाव के बावजूद भी परिणाम कुछ दिशाओं में प्रतिकूल निकले तो आवश्यक हो जाता है कि उस सारी प्रणाली पर गौर किया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार की उस सारी कार्यवाही पर गौर किया जाय और जांचा जाय कि क्या यह अनुदान और सारी कार्यवाही हमको उस ध्येय की तरफ ले जाती है, उस नक्शे की तरफ ले जाती है जो हमने रखा है और क्या इस प्रदेश के व्यक्तियों का चरित्र, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ा है या नहीं। इस दिशा में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, जितने बयान और जितनी स्पीचें इस सदन में होती हैं सबमें यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा पिछड़ी हुई है, सेहत गिर रही है, अन्न की समस्या विकट हो रही है और भ्रष्टाचार भी ग्रामीण स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि बावजूद हमारी कोशिश के जो काम हम कर रहे हैं और जिनके लिये कर रहे हैं उन तक वह चीज उस मात्रा में नहीं पहुंच रही है। अगर इतना धन खर्च करने के बाद वह प्रणाली ऐसी है कि जिस प्रणाली में मानव का चरित्र ऊंचे उठने के बजाय, ईमानदारी की तरफ बढ़ने के बजाय बेईमानी करने में अधिक रुझान पैदा होता है तो सोचना पड़ेगा कि इस प्रणाली में दोष जरूर है। उदाहरण के तौर पर आज कम्युनिटी प्रोजेक्ट और बहुत से अनुदान उद्योग विकास के लिये और कितनी ही जगह सरकार रखती है। बड़े अनुदान रखती है और छोटे अनुदान भी रखती है। मगर यह बात भी सही है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई खामी हमारी प्रणाली में ऐसी जरूर आती जा रही है और उनका तरीका कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें उपयोग करने के कुछ ऐसे साधन अपनाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसहाय]

लगते हैं कि जिन साधनों को किसी भी दृष्टि से सोशल साधन नहीं कहा जा सकता यानी जिसको आप भ्रष्टाचार कह सकते हैं। पहले सिर्फ एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लोग कहा करते थे कि १०० रुपये पर ५, ७ रुपये ठेकेदार से लेना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार को रेशनलाइज कर लिया था। आज दूसरे विभागों में जो अनुदान दिये जाते हैं उनकी प्रणाली में भी कुछ ऐसा दोष हैं जिसके कारण उनमें भी बड़े स्केल पर यह बात फैलने लगी है, चाहे वह विभाग ट्यूबवेल का हो या इंडस्ट्रीज का। लोग खुले तौर पर कमीशन लेने लगे हैं। सरकार की नीयत ऐसी होगी, यह बात गलत है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि यह बातें फैलें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी यह बातें फैलती हैं तो हम को सोचना चाहिये कि हमारी प्रणाली में क्या और कहां खराबी है, क्या खामी है और उसे हमें दूर करना चाहिये। अगर हम बिजली फैला दें गांव गांव में और इंसान के अन्दर की बिजली बुझ जाय, तो आदमी का चरित्र गिर जायगा। हम पर लांछन आने लगें, हम एक दूसरे को भ्रष्टाचारी समझने लगें, तो ऐसी स्थिति में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये कि इसका हल क्या है।

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

बाहर की बिजली हम जला रहे हैं, आप अंदर की जलाइये।

श्री गोविन्दसहाय—

आप तो न बाहर की जला रहे हैं न अंदर की, आप तो अपनी चला रहे हैं।

राज्यपाल महोदय के भाषण के समय भी मैंने एक बात की चर्चा किया था और मुझे दुख है कि जो बात मैंने कही थी कि वह माननीया मुख्य मंत्री जी तक उसी शक्ल में पहुंची नहीं, उसी स्पिरिट में वह उन्होंने ली नहीं। मैंने उनकी स्पीच को पढ़ा था। उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोगों को मुझसे रोष है। इसके माने थे कि उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे उनसे कुछ रोष है और इसलिये मेरी सारी बातें दूसरे ढंग से देखने की बात हो जाती है। मैं नहीं समझता कि व्यक्तिगत तरीके से ऐसी बातें उनको शोभा देती हैं। व्यक्तिगत इन्सिनुएशन तो किया जाता है लेकिन उसमें कोई बड़प्पन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जो भाषण दूसरे संबंध के हो चुके हैं उनका जवाब भी क्या इसमें दिया जायगा?

श्री गोविन्द सहाय—

मैं उसको वापस लेता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आइन्दा ऐसी बातें इस ढंग से नहीं होंगी। जो कुछ मैं कहता हूं उसके वजन को समझ कर मैं अपनी बात कहता हूं। उसके गुण दोष को समझ कर आप अपनी बात कहें, व्यक्तिगत तरीके पर उसमें बात नहीं आनी चाहिये।

मैं आज यह कहता हूं कि व्योरोक्रेसी का फैलाव बढ़ रहा है। व्योरोक्रेसी से मेरा मतलब है कि अंग्रेजी जमाने में वह शासन करती रही है और आज भी वह लोग सरकारी मुलाजिम हैं और रहेंगे भी। मुझे कोई गलतफहमी उनके बारे में नहीं है। वह तो एक सिस्टम है। उसमें व्यक्तिगत व्योरोक्रेट का कोई सवाल नहीं है। उनकी ख्वाहिश है कि वह इस मुल्क के रूलर्स हों। वह अब भी रूल करते हैं और वह अपने हाथ में सत्ता चाहते हैं। यह ख्वाहिश व्यक्तियों की भी होती है और इंस्टीट्यूशन्स की भी होती है। अगर हम कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी पार्टी का रूल चाहते हैं तो हमारी ख्वाहिश है। इसी तरह से व्योरोक्रेसी की भी ख्वाहिश है कि इस देश की सत्ता उनके हाथ में रहे। वह कोई तब्दीली नहीं चाहते। उनके अपने काम करने का एक ढंग है और वह ढंग यह है कि जो पब्लिक के नुमाइन्दे होते हैं उनकी ताकत को जहां मौका मिलता है वह कम करने की, कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और जो भी संस्था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहती है उसका सम्मान लोगों में वह बढ़ने देना नहीं चाहते।

यह उनके काम करने का एक ढंग होता है । मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यह प्रणाली जबसे देश आजाद हुआ है, ब्यूरोक्रेसी प्रायः सभी देशों में पावर सीज करने की कोशिश में है, और अपने हाथ में पावर को करने के प्रयत्न में है । हिन्दुस्तान में शुरू में कांग्रेस का नेतृत्व बड़ा प्रबल था । पार्टी के लोगों का जनता में बड़ा असर था । उन्होंने शुरू में ब्यूरोक्रेसी को अपनी तरह से चलाने की कोशिश की । ब्यूरोक्रेसी ने उस समय कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन ज्यों-ज्यों समय गुजरता जा रहा है, राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता जाता है और उसका विरोध बढ़ता जाता है और उनके हाथ से नेतृत्व हट कर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जा रहा है । यह मेरी थीसिस थी और मैं चाहता था कि अगर कोई सदस्य जवाब देना चाहता है तो इन बातों को लेकर जवाब दे । मैं इसके समर्थन में हजारों उदाहरण देने के लिये तैयार हूं । उनको पेश कर सकता हूं । लेकिन बात को टालने का कोई तरीका इधर-उधर की बात कह कर नहीं अपनाना चाहिये । इसका जवाब दिया जाय । यह सही है कि पावर वैकुअम नहीं रहेगा । पावर किसी में भी रेस्ट करेगी । अगर पोलिटिकल लोगों के हाथ में पावर नहीं रहेगी तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहेगी और इसलिये आवश्यक है कि इस बात को देख समझ कर, विचार करके हमको कोई कदम उठाना चाहिये ।

अब मैं इस सिलसिले में पहली मिसाल देना चाहता हूं । आज फूड प्रोडक्शन का सवाल है । यह एक बड़ा भारी प्रश्न है । इसके लिये कौन मिनिस्टर इंचार्ज है यह बतला दिया जाय । किसी एक आदमी को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । किसी का यह एलोकेशन भी नहीं है । कोई जिम्मेदार भी नहीं है । एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान सुनते हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, फूड मिनिस्टर का कहना है कि प्रोडक्शन से उनका कोई वास्ता नहीं है । तो ब्यूरेक्रेसी ने एक डिवाइस निकाला कि ३ आदमियों की एक सब कमेटी है जो साल में तीन, चार बार मिलती है और बाकी सारा काम ब्यूरेक्रेटिक अपरेटस करता है । यह पोलिटिकल लोगों से पावर लेने की एक डिवाइस है । अगर आप यह न समझें और आप मुझे बतलायें दूसरी तमाम बातें तो उससे काम नहीं चलेगा । ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र है । लेजिस्लेटिव कौंसल ने एक रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास किया एक जिले के डी० एम० के खिलाफ, लेकिन आज भी वह वहां बना हुआ है । यह हैसियत है आज सदन के प्रस्ताव की । मैंने यह एक मिशाल दी कमेटी के लिये, हमें उत्तर मिला कि उससे कोई वास्ता नहीं । अगर इस सदन में ऐसे लोग हैं कि जो मिनिस्टर या और भी कुछ हो सकते हैं तो क्या इस सदन में पे कमेटी के लायक कोई मेम्बर नहीं है, लेकिन जवाब मिलता है कि यह दिक्कत थी, वह दिक्कत थी । यह तरीका कोई जवाब देने का नहीं है । जो बात हो उसे समझना चाहिये । ब्यूरोक्रेसी आहिस्ते-आहिस्ते डिवाइसेज अपनाती जा रही है जिससे राज्य की सत्ता पोलिटिकल लोगों के हाथ से निकल कर उनके हाथ में चली जाय । उनका सम्मान भी गिरता जा रहा है । गांव पंचायतों से लेकर असेम्बली तक इस बात की कोशिश है कि इन पंचों का, विधायकों का सम्मान लोगों की नजरों में गिरे और इसका इस से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इन पिछले १७, १८ सालों के बावजूद कोई आर्डर आफ प्रिसिडस नहीं बना है कि सदस्यों की हैसियत क्या होगी । हमारा निर्धारित क्रम क्या है । आज सर्किट हाउस में एक सरकारी मुलाजिम ठहर सकता है, लेकिन एम० पी० या एम० एल० ए० नहीं ठहर सकता । यह छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके पीछे एक एप्रोच है और इससे पता चलता है कि उनके काम करने का ढंग क्या है । मैंने यह एक इशारा किया । मुख्य मंत्री जी ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि मुझे शासन का तजुर्बा नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी तो ऐसे ही आदमी को चाहती है जिसे शासन का तजुर्बा न हो । इसीलिये ब्यूरोक्रेसी प्रदेश पर हावी होती जा रही है ।

जहां तक निजी बातों का ताल्लूक है, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता । पोलिटिकल लेबिल पर ही बहस को रखना चाहता हूं । और साथ ही एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं जो मेरे दोस्त इधर बैठे हैं उनको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझे बहुत दिन तो गांधी जी के साथ रहने का मौका नहीं मिला लेकिन उन के नेतृत्व में मैंने आजादी की लड़ाई जरूर लड़ी है ।

[श्री गोविन्द सहाय]

उसका मौका मुझे मिला है। मुझे बेचैनी होती है जब मैं देखता हूं कि लोगों में बेचैनी बढ़ती जाती है। आज हमारे प्रदेश में हजारों सरकारी मुलाजिम, स्ट्राइक करें, टीचर्स स्ट्राइक करे यह ठीक नहीं है। जर्मनी में हिटलर के आने से पहले यही हालत थी। उस समय मिनिस्टर आपस में झगड़ते थे जो तमाम आदमियों को कमजोर कर देता था और इस प्रकार सोशल डेमोक्रेसी का आक्रमण होता रहता था। उस समय के गवर्नमेन्ट सर्वेंट्स हड़ताल करते थे मजदूर हड़ताल करते थे और नतीजा यह हुआ कि वहां फैसिज्म आया। इस देश में भी वही हालत हैं और इसलिये हमें इन बातों को मजाक में उड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। हम भी अपनी आजादी बरकरार रखना चाहते हैं और इसलिये चाहते हैं कि इस अंत के लिये हम सब को मिल कर काम करना चाहिये। कम्युनिटी प्रोजेक्ट का भी बहुत बड़ा तूफान आया था। हजारों की तादाद में लोग श्रम करते थे। कोई भी प्रदेश केन्द्र की मदद से नहीं बनाता है, बल्कि लाखों करोड़ों इन्सानों की मेहनत से बनता है। इसी इरादे से इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया। जिस समय यह काम शुरू हुआ, काफी काम श्रम दान के हुआ, काफी तादाद में सड़कें आदि बनीं, लेकिन ज्यों ज्यों ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली में वह चीज आती गयी, पालिटिकल नेतृत्व कमजोर होता गया, उसमें ही इन्फैक्शन फैल गया जो पी० डब्लू० डी० में है।

इसी तरह से जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, माननीय शिक्षा मंत्री कह सकते हैं कि हमने १० हजार की जगह १५ हजार स्कूल खोल दिये। प्रश्न स्कूलों के खोलने का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आज जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उसके द्वारा उनमें नये ढंग से सोचने का, नये ढंग से समझने का प्रभाव आया है? आज १७–१८ साल के बाद भी एजूकेशन मिनिस्टर का एजूकेशन की नीतियों पर कोई अधिकार नहीं है। एजूकेशन मिनिस्टर के हाथ में केवल इतना ही है कि वह किसी स्कूल को जितना चाहे अनुदान दे दें। हमारा एप्रोच एजूकेशन की तरफ क्या हो, इस पर हमें सोचना पड़ेगा।

कोआपरेटिव के सिलसिले में तो कुछ बातें मैं जब वह ग्रान्ट सामने होगी तब कहूंगा, अभी एक दो बातें कहना चाहता हूं। जिस ढंग से आज कोआपरेटिव का संचालन हो रहा है उससे उसकी स्प्रिट खत्म होती जा रही है। कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब बड़ा अहसान करेंगे यदि वे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त उसके कामों को देखने भी में लगाया करें। अभी मेरे जिले में कोआपरेटिव मिनिस्टर गये, वहां उनको इस विभाग के कामों को देखने का मौका ही नहीं मिला। कोआपरेटिव बैंक वाले कहते हैं कि हमको अपनी दुश्वारियां कहने का मौका ही नहीं मिलता। मिनिस्टर जाते हैं, दूसरे कामों में उलझे रहते हैं। कुछ वाकयात और हैं जिन्हें मैं जब इस सम्बन्ध में ग्रान्ट आयेगी तब कहूंगा।

माननीया मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वे बड़ी मेहनत करती हैं। एक डाक्टर भी बड़ी मेहनत करता है, दवा भी कीमती देता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसकी दवा असर कर ही जाय। यदि डायगनोसिस गलत होगी तो दवा काम नहीं करेगी। तो मेहनत के साथ साथ सही एप्रोच की भी जरूरत है। इन सब चीजों पर हमें गौर करना पड़ेगा। मेरा ऐसा अनुभव है कि काम कराने का हमारा जितना यन्त्र है वह सब हमें उस मकसद की तरफ नहीं ले जा रहा है जहां हम जाना चाहते हैं। पुलिस स्टेट में बनी हुई मशीनरी सोशल वेलफेयर सोसायटी को बनाने का काम अच्छी तरह कर ही नहीं सकती। हमें अपना वक्त इस बात में लगाना होगा कि किस तरह से हमें ब्यूरेक्रेटिक सेटअप को डेमोक्रेटिक सेटअप में बदलना है। हमें सोचना पड़ेगा कि आज न्याय की बेसिस क्या हो, शिक्षा की बेसिस क्या हो, इन सब के लिये हमारा एप्रोच क्या हो। अगर व्यवस्थित ढंग से हमारी प्रगति नहीं होती तो सारी हमारी प्लानिंग बेकार हो जायेगी। प्लानिंग का मतलब है कि एक व्यवस्थित ढंग से हमारी प्रगति हो। मैं गलत बात कहने का आदी नहीं हूं, मैंने ठंडे तरीके से इन चीजों पर विचार किया है और सरकार की पालिसी की तरफ ही इशारा किया है।

मुझे आशा है कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर अवश्य विचार किया जायेगा। अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो उसे वापस लेने में भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अपना खास वजन डाल कर, अपने असर से किसी बात को साइडट्रैक करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। इन बातों पर खुले तरीके से विचार होना चाहिये। अगर विचार नहीं होगा, तो प्रदेश की हालत भयंकर हो जायेगी, ला एन्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ जायेगी। सरकारी मुलाजिम आज जिस ढंग से हड़ताल करने पर तुले हुये हैं, महंगाई वगैरह की जो स्थिति है, यह तमाम चीजें हमें ले जाती हैं एक टोटेलोटोरियनिज्म की तरफ।....

श्री अध्यक्ष---

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सत्ताधारी पार्टी की इस चालाकी पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वह अपनी ही पार्टी से एक विरोधी दल बना कर काम कर रही है। मैं निहायत अदब से भूतपूर्व वित्त मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के उस भाषण की तरफ इशारा करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने माननीय परिवहन मन्त्री का गुणगान किया था और उनकी सेवाओं की तारीफ की थी और यहां तक कहा था कि मेरे द्वारा सदन का स्तर गिर रहा है। मैं आप से निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि चोर वर्ग को चोर कहने से सदन का स्तर अगर गिरता है तो वह गिरे, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। ईमानदारी की बात कहने में अगर सदन का स्तर गिरता है तो वह गिरे, जहां तक गिरे अच्छा है। मैं चाहता हूं कि सही बातों का एलान यहां पर हो जिससे प्रदेश की जनता उसको समझे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में पूंजीपति वर्ग, सत्ताधारी गुट के बड़े नेताओं तथा उच्च कर्मचारियों का एक ऐसा गुट बना हुआ है जिससे इस प्रदेश की हालत दिनोंदिन गिरती जा रही है, महंगाई, भुखमरी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। माननीया मुख्य मंत्री नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता था कि वे कुछ घोषणायें करें। अभी अखबारों में छपा था कि माननीय परिवहन मन्त्री वाला मामला उन्होंने किसी हाईकोर्ट के जज के सुपुर्द कर दिया है। अब पता नहीं कि उस इन्क्वायरी में क्या-क्या बात दी गयी है। इतना समय हो गया, कभी किसी को जांच सुपुर्द की जाती है, कभी सतर्कता आयोग को मामला दिया जाता है, कभी किसी को। मैं चाहता हूं कि वह घोषणा करें कि वह किन बातों की जानकारी हाई कोर्ट के जज से कराना चाहती हैं? क्या उसमें परमिट वाला ही मामला है या उसमें और भी सब बातें हैं जिनकी ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है? परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की सूची मैंने उनको दी है। आज मैं उनको सदन में सुनना चाहता हूं।

मुझे अभी इलाहाबाद जाने का मौका मिला। मुझे वहां एक भ्रष्टाचार का पता लगा जो उसके द्वारा किया गया जिस ठेकेदार ने खस की टट्टी का काम किया। इसके बाद मैं निवेदन करूं कि २० हजार रु० सन् १९६३ में एक ऐसे ठेकेदार को दे दिया गया ए० टी० आईज़ की वर्दी सप्लाई करने के लिये कि जिसने वर्दियों की सप्लाई एक साल बाद की और पैसा उस को एक साल पहिले ही दे दिया गया। उसके अलावा एक रोड़वेज स्टेशन बनाने के लिये एक जगह एक बंगला खरीदने के लिये इंजीनियरों ने उस जगह का एस्टीमेट ३५ हजार रुपये का दिया जबकि ३५ हजार रुपये के बजाय ९६ हजार रुपये उस जगह के दिये गये। मैं जानना चाहता था कि क्या वह इन्जीनियरों का एस्टीमेट गलत था या वह ज्यादा पैसा जो दिया गया वह किन्हीं की परवरिश के लिये ही दिया गया? मैं कहना चाहता हूं कि इन गलत तरीकों से काम करने से प्रदेश का भला नहीं होगा, भला होगा उसी हालत में जहां फोड़ा है उसका आपरेशन करने से। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेअर कर दिया कि मिनिस्टर को भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट की तरह ट्रीट किया जाय और जब प्राईमाफेसी केस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ केस साबित

[श्री गयाप्रसाद—]

हो चुका है तो साल ब साल यह जांच क्यों हो रही है ? ऐसी हालत में परिवहन मन्त्री को तो यहां बैठना ही नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

बह सामान्य विवाद नीतियों पर होता है। जब परिवहन का विषय आये तब व्योरेवार बोलियेगा।

श्री गया साद—

यह भ्रष्टाचार नीतियों पर ही है।

इस तरह से सरकार के पास मामले सही वक्त पर पहुंचते हैं। फाईल कम्पलीट है फिर क्यों उन मामलों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ? एक एस० डी० एम० वाराणसी, अता मोहम्मद खां जी हैं, एक फैसला करने में रुपयों का लेना उन्होंने तय किया और जब वक्त पर रुपया नहीं मिला तो उन्होंने उसी फैसले को अपने हाथ से काट दिया। वह फैसला मेरे पास आया। उसकी फोटो कापी मेरे पास है। सरकार को भी उसे सुपुर्द किया गया। सरकार के पास उसकी फाइलें कम्पलीट हैं। २३ पेज की इन्क्वायरी रिपोर्ट भी मौजूद है। उसी रिपोर्ट के अन्तर्गत जो ए० डी० एम० हैं, वे लिखते हैं, 'अता मोहम्मद एन्ड हिज रीडर शुड बि सस्पेन्डेड फ़ोर्थविथ" इस रिपोर्ट के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक दो आर० टी० ओ० का केस भी पेश किया था। आर० टी० ओ० का एक प्रसिद्ध नर्तकी के साथ नाजायज सम्बन्ध था। टेलीफोन पर हुई बातों के बिल्स, जिनके डुप्लीकेट्स मेरे पास हैं, सरकारी तौर पर पेमेन्ट किये गये हैं। उनके खिलाफ़ भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा मैंने ब्लाक प्रमुख मझगवां के द्वारा ३५ हजार रुपया लिये जाने की सूचना भी सरकार को दी परन्तु उस के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचारों को न दबाने की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है ? प्रदेश की जनता इसकी जानकारी चाहती है कि ऐसे मामले जो क्रिस्टल क्लीअर हैं जिन पर कि कोई जांच- पड़ताल की आवश्यकता नहीं है जो स्वयं सिद्ध हैं, उन पर सरकार खामोश क्यों हो रही है ?

मैं एक और अजीब बात कहने जा रहा हूं आपकी सेवा में। एक महामंत्री कांग्रेस कमेटी के अपने पैड पर लिखते हैं महामंत्री की हैसियत से एक अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष को कि माननीय बनारसी दास जी के लड़के इन्श्योरेंस का काम कर रहे हैं और हमारा तुम्हारा हित इसी में है कि इनके लड़के के जरिये ही सरकारी गाड़ियों का इन्श्योरेंस करावें। यह पत्र आपके माननीय दरबारीलाल शर्मा ने कांग्रेस के महामंत्री की हैसियत से कांग्रेस के पैड पर रायबरेली के जिला परिषद् के अध्यक्ष को लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गयाप्रसाद जी, आप नाम न लें। जो सभा के सदस्य यहां नहीं हैं उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

अगर नाम नहीं लेंगे तो उससे भ्रम फैलेगा।

श्री अध्यक्ष—

हमारी यह प्रथा नहीं है कि जो आदमी यहां मौजूद नहीं है और जो यहां उपस्थित होकर अपनी सफाई नहीं दे सकता उसका नाम लिया जाय। उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री गयाप्रसाद—

मैं आप से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल हो सकता है जैसा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि क्या मिनिस्टरों के बेटे-बेटी और उनके रिश्तेदार रोजगार न करें ? लेकिन जहां पर यह हो कि उनके पदों का दुरुपयोग करके उससे फायदा उठाया जाता है, वहां पर आपत्ति की बात हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं, यदि इसकी सफाई कोई भी सदस्य उस तरफ बैठने वाला देना चाहे तो मैं उसको सुनने के लिये सहर्ष तैयार हूं लेकिन एक सवाल और कर देना चाहता हूं। माननीय बनारसीदास जी के मंत्री बनने के पहले उनके पुत्र ने इन्श्योरेंस का कितना काम किया है और उनके मंत्री होने के बाद कितना काम किया है, इसका हिसाब भी देखा जाय। सहकारिता विभाग की जितनी गाड़ियां हैं या दूसरे विभागों की सरकारी गाड़ियां हैं उन सभी का इन्श्योरेंस केवल बनारसीदास जी के सुपुत्र को ही मिलता है। इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जिन मामलों की तरफ इशारा किया गया है उन मामलों की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए।

(व्यवधान)

जी हां, जानकारी कर लीजिए, उनके दस्तखत से इन्श्योरेंस हुआ है, उसके बाद बोलिए हाउस में। तो इस तरह का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में फैल रहा है और उस पर इस सरकार की तरफ से, इस सत्ताधारीदल की तरफ से, परदा डाला जा रहा है। इस प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी आप पर, हम पर, सभी पर है। अगर इन बातों पर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जायगा और भ्रष्टाचार को पनपने दिया जायगा, दिल्ली और लखनऊ से भ्रष्टाचार की गंगा और जमुना इस तरह बहेंगी और आप चाहें कि तहसील में जाकर भ्रष्टाचार को आप रोक लें तो इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता और अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकता है तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। गल्ले की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, महंगाई की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज आपके प्रदेश में सर कारी कर्मचारी, अध्यापक, मजदूर, किसान सभी परेशान हैं और इसलिए परेशान हैं कि सन् १९३५ में उत्तर प्रदेश की १२ करोड़ आय थी, आज दो ढाई सौ करोड़ हो गई और तब भी प्रदेश की जनता के सुख शान्ति का कोई इन्तजाम नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है ? सब पैसा कहां जा रहा है ? १२ करोड़ की जगह आज ढ़ाई सौ करोड़ हम दे रहे हैं फिर भी प्रदेश का नक्शा बदल नहीं रहा है, हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, दिन पर दिन हालत और गिरती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा। आखिरकार यह रुपया कहां चला जा रहा है, इसका पता लगाना होगा, तब कहीं प्रदेश की हालत सुधरेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना था।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं बजट का समर्थन तो सभी आदरणीय सदस्यों ने किया है, हां, उन्होंने कुछ अपनी निजी शिकायतें जरूर प्रस्तुत की हैं। बजट के संबंध में बोलते हुए खास तौर से समाजवाद की बात कही गयी लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक समाजवाद सारे देश में एकबारगी लागू न हो, खाली प्रदेश में किस प्रकार से लागू हो सकेगा। यह भी कहा गया कि इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यह ब्यूरोक्रेसी कैसे बढ़ रही है, इसके बारे में बोलते हुए माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने कहा कि १९६५ से हिन्दी को लागू करने के लिये जो धारायें थीं, उनको लागू कर दिया गया है। इससे उन्हें पता चला कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है। यदि इसी प्रकार के नतीजे निकाले जाते रहे तो मैं नहीं समझता कि हम किस तरह से सही नतीजों पर पहुंच सकेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

मैं बजट के सब दृष्टिकोणों का समर्थन करता हूं सिवाय एक दृष्टिकोण के जिसके द्वारा पूर्वी जिलों की उपेक्षा की गयी है। यह बजट १४ करोड़ के घाटे का प्रस्तुत किया गया है। यही नहीं सारे देश में डेफीसिट फाइनेंसिंग हो रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में २५० करोड़ का घाटा दिखाया गया था (आल इंडिया बेसिस पर), दूसरी योजना में १,२०० करोड़ रुपया का दिखाया गया, तीसरी में वह १७सौ करोड़ हो गया और इतने धन के लिये लोगों पर अतिरिक्त कर लगाये गये। इससे कोई यह न समझें कि मैं अतिरिक्त करों का समर्थन कर रहा हूं। ऐसा करना ज्यादा न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन इसका एक कारण भी है कि योजना बिना अतिरिक्त करों के चलाई ही नहीं जा सकती। चौथी पंजवर्षीय योजना में २६ सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने की योजना बनायी जा रही है। जब सारे देश में ही ऐसी बात है तो फिर हम अपने प्रदेश को सारे देश के नक्शे से अलग नहीं रख सकते।

एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पूर्वी जिलों का रहने वाला हूं। अगर मैं उनकी बात नहीं कहता हूं तो पूर्वी जिलों वालों के साथ अन्याय करूंगा।

(इस समय १ बज कर ८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, मुझे खुशी है कि आप उस गद्दी पर विराजमान हो गये क्योंकि आप भी पूर्वी जनपदों से परिचित हैं। पूर्वी जनपदों के विषय में मंत्री जी बहुत बार बड़े गर्व से कहते हैं कि उनका विकास हो रहा है, पटेल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को वहां कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे बहुत से माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो सकती है और माननीय मिश्रा जी अक्सर कह दिया करते हैं कि पूर्वी जिलों का तो विकास हो रहा है लेकिन मध्य के जिलों हरदोई और उन्नाव में कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर इसको आइटम-वाइज देखा जाय तो पता चल जायगा।

चिकित्सा की मद में २८ आइटम्स जिनमें १७ आइटम लखनऊ, कानपुर मेडिकल कालेज और अस्पतालों से संबंधित हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि लखनऊ और कानपुर को छोड़ कर प्रदेश में और कहीं चिकित्सा की व्यवस्था है या नहीं, यह चीज माननीय मंत्री जी को ज्ञात है या नहीं। हमारे जिले में चिकित्सा पर जो खर्चा आता है वह २० न० पै० प्रति व्यक्ति आता है। इतने पैसे में चावल-दाल भी तो नहीं आ सकती, भला दवाइयां क्या आयेंगी।

शिक्षा विभाग की ओर से कानपुर और मेरठ में विश्वविद्यालय खोले जाने की योजना है। अच्छा है, शिक्षा विभाग में ३३ आइटम्स हैं लेकिन इनमें से किसी में भी पूर्वी जनपद के किसी जिले का नाम नहीं है। पिछले तीन वर्षों से लगातार मैं इस बात की कोशिश करता आ रहा हूं कि गाजीपुर शहर में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल है जिसमें १,५०० विद्यार्थी पढ़ते हैं, ६० अध्यापक वहां हैं, जर्मन मिशनरी उसको सरकार के हाथों सौंप गये थे। वह स्कूल टूट रहा है। मैंने बार-बार सरकार से कहा कि इस स्कूल को स्टेट स्कूल डिक्लेयर कर दिया जाय लेकिन आप कहते हैं कि तीसरी प्लान में फाइनेंस ही नहीं है। ठीक है, विश्वविद्यालय खोलें, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन कहा यह जाता है कि पूर्वी जिलों का विकास हो रहा है जबकि शिक्षा के ३३ आइटम्स में एक आइटम भी पूर्वी जिलों के लिये नहीं है तथा चिकित्सा के २८ आइटम्स में एक भी आइटम पूर्वी जिलों के लिये नहीं है। इसी तरह से जितनी नयी सड़कें बनाने की बात है, कोई सड़क ताजमहल को जा रही है तो कोई और कहीं जा रही है जिसका पूर्वी जिलों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक बात मुझे और दुख के साथ कहनी पड़ती है कि न मालूम किस प्रकार के अधिकारियों को पूर्वी जिलों में भेज दिया जाता है जो तीन साल से लगातार मेरे जिले में ताड़ीघाट से होते हुए १२ मील की एक सड़क के लिए बजट में रुपया एलाट किया जाता है, जो सड़क बिहार को मिलाती है, लेकिन उस रुपये का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे अधि-

कारियों के वहां भेजने से क्या लाभ जबकि हर साल बजट में रुपया रख दिया जाय और उसका वे उपयोग ही न करें, और फिर भी कहा यह जाता है कि पूर्वी जिलों का विकास हो रहा है।

पूर्वी जिलों का एक चित्र मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पटेल इन्क्वायरी कमेटी के हैं। सारे भारत की पर कैपिटा इनकम ३०० रु० है और उत्तर प्रदेश की २६८ रु० प्रति व्यक्ति इनकम है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति इनकम केवल २२४ रु० है। परसेन्टेज आफ़ अनइम्पलायमेंट पश्चिमी यू० पी० में ३२ प्रतिशत है, मध्य यू० पी० में ३० प्रतिशत है, जबकि पूर्वी जिलों में ७४ प्रतिशत है। इसी तरह से बेरोजगारी पश्चिमी यू० पी० में ६.८, सेंट्रल में १३.८ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ४८.५ प्रतिशत है। पहाड़ी एरिया में ८७.५ प्रतिशत अनइम्पलायमेंट की फीगर है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

पूर्वी जिले वाले मेहनत नहीं करते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मेहनत करना खूब जानते हैं लेकिन बजट बनाने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है।

जहां तक वेजेज की बात है, पश्चिमी जिलों में अरबन एरिया में फी व्यक्ति २.६२ रु० है, मध्य यू० पी० में वही है, लेकिन पूर्वी यू० पी० में १.९२ रु० है। गांवों के अन्दर वेजेज की स्थिति यह है कि पश्चिमी जिलों में १.५८ रु०, मध्य यू० पी० में .९४ रु० और पूर्वी यू० पी० में .६४ रु० है। यानी १० आने मजदूरी पर आज भी पूर्वी जिलों में लोग काम करते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि आज की स्थिति में १० आने में क्या गुजर हो सकती है। इसी प्रकार से खेतिहर मजदूर सारे प्रदेश में ५१.७ प्रतिशत है, जबकि पूर्वी जिलों में ९४ प्रतिशत है। कृषक सारे उत्तर प्रदेश में ६८ प्रतिशत हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ७८ प्रतिशत हैं। उद्योग धंधे सारे उत्तर प्रदेश में २६.८ प्रतिशत हैं जबकि पूर्वी जिलों में १८ प्रतिशत हैं। जमीन की औसत पश्चिमी जिले में प्रति व्यक्ति ६.३ एकड़ है जबकि पूर्वी यू० पी० में १.१५ एकड़ है। मुझे यह कहने में बिलकुल संकोच नहीं है कि तीन पंचवर्षीय योजना के बाद भी आर्थिक दृष्टि से हम बिलकुल पिछड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आज दुनिया में हिन्दुस्तान आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और सारे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, उसी प्रकार से सारे उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड का इलाका तथा पहाड़ी जिले बहुत पिछड़े हुए हैं।

मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी यह उत्तर देते हैं कि पटेल इन्क्वायरी कमेटी तो केन्द्रीय सरकार की थी इसलिये उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये पैसा भी केन्द्रीय सरकार ही दे....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उत्तर प्रदेश के सारे खजाने को पूर्वी जिलों में ही लगावें....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, इस तरह से बीच में बोलना जबकि वह बैठ नहीं रहे हैं उचित नहीं है। पहले उनको बैठने का मौका दें वह बैठ कर आप की बात बीच में सुनना चाहें तभी आप बोल सकते हैं, आप बैठ जायं।

श्री कृष्णानन्द राय—

जब तक केन्द्रीय सरकार पैसा न देगी हम उन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकते हैं यह एक गलत दृष्टिकोण है। आखिर पूर्वी क्षेत्र भी तो उत्तर प्रदेश के ही अन्दर हैं जिस तरह से कि

[श्री कृष्णानन्द राय]

मेरठ, कानपुर, बरेली बुलन्दशहर आदि हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे गाजीपुर जिले के एक संसद सदस्य श्री विश्वनाथसिंह ह जो संसद में पूर्वी जिलों की भुखमरी, अर्द्धनग्न अवस्था को देख कर जब असहनीय हो गये तो रो पड़ें और उनकी आंखों से वहां आंसू बह निकले और जब पंडित नेहरू को यह देखने को मिला कि जिस पूर्वी क्षेत्र के लोग बड़े लड़ाकू होते हैं वहां का प्रतिनिधि संसद में रो रहा है तो उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने इस विषय में यहां के मुख्य मंत्री महोदय से लिखा पढ़ी की और केन्द्रीय सरकार की ओर से पटेल इन्क्वायरी कमेटी बिठाई गई। यह आपके देखने की चीज है कि खाली इन्क्वायरी से काम समाप्त नहीं हो गया, आप के सामने स्थिति आ गई अब यह कहना कि केन्द्रीय सरकार ही इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिये पैसा दे, यह गलत दृष्टिकोण होगा। इसके अलावा इस बजट के और समस्त दृष्टिकोण का मैं समर्थन करता हूं। इस सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई है। सेन्ट्रल प्लानिंग कमीशन का बराबर यह आरोप रहा है कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक टार्गेट पूरे नहीं हो रहे हैं लेकिन आपको आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि किस तरह से उनमें प्रगति होती रही है। सन् ६१–६२ में ५०२ करोड़ की योजना थी और आशा थी कि १०० करोड़ रुपया सरकार प्रति वर्ष खर्च करेगी। सन् ६१–६२ में खर्च किया ७०.१२ करोड़, ६२–६३ में ८४.५८ करोड़, ६३–६४ में ९४.४० करोड़। इस तरह से ३० करोड़ रुपया कम खर्च हो सका, प्लानिंग कमीशन का आरोप था कि यू० पी० सरकार अपने आर्थिक टार्गेट को पूरा नहीं कर पा रही है लेकिन तीसरी योजना में ६४–६५ में १२२ करोड़ व्यय किया और १४४ करोड़ का बजट इस साल का है। इससे मालूम होता है कि तीसरी योजना के जो प्लान टार्गेट्स थे वहीं नहीं बल्कि ३८–३९ करोड़ रुपया उससे अधिक यह सरकार खर्च करने को तैयार हुई है। इससे मालूम होता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि बजट में जो १४ करोड़ का घाटा दिखाया गया है मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना अतिरिक्त कर लगाये ही माननीय मंत्री जी अपनी लियाकत से पूरा कर लेंगे। उनको मैं याद दिलाऊंगा कि सन् ६२–६३ में भी बजट में ४ करोड़ का घाटा था और उस वर्ष किसानों पर चार आना रुपए की लैवी लगाई गई थी और उस मद से केवल ६ करोड़ रुपए प्राप्त हुये थे। अन्त में उस साल हुआ यह कि ११ करोड़ रुपए की बचत हो गई। अगर वह न भी लगती तो भी ४ करोड़ का घाटा पूरा हो जाता। इसलिए इस वर्ष भी और कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, यह घाटा दूसरे तरीकों से पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से ६३–६४ में भी ११ करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया था लेकिन वह भी वित्त मंत्री जी की योग्यता और उनकी कैपेसिटी जो आर्थिक नियंत्रण की है उससे पूरा हो गया। इसी तरह से मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह १४ करोड़ का घाटा भी अवश्य पूरा हो जायगा लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि यदि आपको यह विकास करना है और प्रदेश की फाइनेंशियल और प्लानिंग की स्थिति अच्छी करनी है तो न घाटे के बजट से और न अतिरिक्त कर के प्रस्ताव से विरोध होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं न वित्त मंत्री का स्वागत कर सकता हूं और न बधाई दे सकता हूं। पहली बार प्रदेश में एक नवयुवक वित्त मंत्री हुए हैं, जो लोक लेखा समिति के सदस्य रह चुके है इसलिये जब वित्त मंत्री बने हैं तो मुझे उम्मीद थी कि वह बहुत ही क्लोज और बेलैंसिंग बजट यहां पेश करेंगे। परन्तु खेद है कि दोनों में से एक भी बात नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो उसमें बतायेंगे कि प्रशासन में कितनी इकोनामी किस-किस डाइरेक्शन में होगी। मुझे उम्मीद थी कि बजट सोशलिस्ट आब्जेक्टिव की तरफ जायगा। मुझे उम्मीद थी कि वह जिक्र करेंगे कि जो बेरोजगारी फैली हुई है उस बारे में २, ४ शब्द जरूर कहेंगे। लेकिन बजट भाषण में अनएम्प्लायमेंट के विषय में कुछ नहीं कहा गया। मुझे उम्मीद

थी कि प्रदेश के ऊपर करोड़ों रुपया कर्जा जो जमता चला जा रहा है उसके विषय में कुछ कहेंगे। यह नहीं, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि नान-डेवलपमेंट और नान-प्रोडक्टिव जो खर्चा हो रहा है उसको अगर रोकेंगे नहीं तो कम से कम नियंत्रण करने की बात जरूर कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा कि यहां कल वित्त मंत्री नहीं थे, और आज भी अभी आये हैं। मैं सही कहता हूं कल विरोधी दल के नेता ने भी चेतावनी दी कि अगर कर बढ़ाये गये तो बड़ा भारी आन्दोलन होगा। यह ठीक है, आन्दोलन होगा लेकिन मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या एक अंग्रेजी में अगर बजट प्रति हमको मिल जाय या बजट भाषण मिल जाय उसके ऊपर सदन में यह चर्चा की जाय कि यह बजट भाषण या बजट अंग्रेजी में कैसे मिल गया, कैसे प्रेस को दिया गया? मैं चेतावनी देता हूं कि दक्षिण में जो भाषा के नाम पर खून खराबी हुई है उसका मुख्य कारण लैंगुएज इश्यू हो सकता है लेकिन उसके साथ आज जो नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है, अनइम्पलायमेंट है, जो बेचैनी बढ़ रही है उस सब का एक कम्पेक्ट असर हुआ और लैंगुएज इश्यू को लेकर यह बात वहां खड़ी हो गयी। इसी प्रकार बेरोजगारी, फिजूलखर्ची और प्रशासन में इकोनामी को इफेक्ट नहीं किया गया। बार-बार चर्चा की गयी, इकोनोमी कमेटी भी बनी लेकिन आज तक उसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। इस प्रदेश में जो आपको चेतावनी दी गयी है आन्दोलन होगा, जरूर होगा वह इसलिए होगा आज सभी में निराशा है बेचैनी है। जब आग भड़केगी बुझाने वाला पैदा न होगा। मैं यह भी वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह कौन-सी सोशलिज्म है कि कुछ अध्यापकों के लिये डी० ए० दे दिया, कुछ कर्मचारियों को डी० ए० दे दिया लेकिन समस्त प्रदेश के कर्मचारियों को, चाहे लोकल बाडीज के हों, या और कहीं के हों उनको न दिया जाय? मैं पूछना चाहता हूं क्या वह लोग इस महंगाई से पीड़ित नहीं हैं? क्यों नहीं यह किया गया? यह भेदभाव क्यों है? केन्द्र के सरकारी कर्मचारियों को एक वेतन मिले और प्रदेश के कर्मचारियों को दूसरा वेतन मिले। मंत्री जी कहेंगे हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो आप विरोध करते हैं और दूसरी ओर तनख्वाह और डी० ए० बढ़ाने की बात करते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं टैक्सेशन के विरोध में नहीं हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको टैक्स लगाना चाहिये बड़े-बड़े किसानों पर पूंजीपति पर जिनके पास १५ या १० एकड़ से ज्यादा भूमि है। ऐग्रीकल्चरल टैक्स से कुल ५० लाख रुपया मिलता है उन पर टैक्स बढ़ाइये। जो कर देने लायक हैं उन पर आप टैक्स लगाएं हम आपका साथ देंगे। श्रीमन्, मैं अपने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के भी मेम्बर रहे हैं कि हर वर्ष सदन में डैफिसिट बजट क्यों पेश किया जाता है? गत ९ वर्षों में हर वर्ष डैफिसिट बजट प्रस्तुत किया गया :

| | |
|---|---|
| १९५७–५८ में ११.६७<br>१९५८–५९ में ४.५४<br>१९५९–६० में १.८६<br>१९६०–६१ में २.३३<br>१९६१–६२ में ८.५०<br>१९६२–६३ में १३.३५<br>१९६३–६४ में ४.९७<br>१९६४–६५ में ११.५९ | करोड़ का घाटा दिखाया गया, लेकिन प्रति वर्ष घाटा बचत में परिणित हो गया है १९५७–५८ से १९६४–६५ तक ३६.६१ करोड़ बचत हुआ। |

१९६५–६६ में १४ करोड़ ९१ लाख का घाटा दिखाया गया है। अर्थात् लगभग १५ करोड़ का डैफिसिट है। जो बजट प्रस्तुत किये जा रहे है, उनमें जानबूझ कर लगातार घाटे के बजट पेश हो रहे हैं। किसी साल में ५ करोड़ का सरप्लस हुआ ह किसी वर्ष में ४ करोड़ का सरप्लस हुआ है, कहने का तात्पर्य यह है कि हर वर्ष जो बजट घाटे का बजट दिखाया जाता है वह अन्त में सरप्लस में परिणत हो जाता है। इसके २ ही कारण प्रतीत होते हैं। एक तो यह कि हमको टैक्सेशन करने का एक बहाना और रास्ता मिले और दूसरे डेवलपमेंट करने के नाम पर हम और कर बढ़ावें। हमने ३ पंचवर्षीय योजनाओं में खर्चा किया और ९०८ करोड़ रु० हम खर्चा कर चुके है पर जितनी भी स्कीमें हमारी हैं वे सब नाकमियाब हुयी हैं। जितना

[श्री नेकर म शर्मा]
हमने इनवेस्ट किया है उसका रिटर्न प्राप्त नहीं कर रहे हैं इर्रीगेशन की जितनी योजनाएं हैं वे सब लास पर चल रही हैं। जो-जो भी प्रोजेक्टस आप लीजिये उनमें करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किये जा रहे हैं। ट्यूबवेल्स में जितना हमारा रुपया इन्वेस्ट हुआ उससे हमें क्या फायदा हुआ? लास हो रहा है करोड़ों का आप रिहन्ड डैम को ले लीजिये। हमने तो बिजली तैयार की पब्लिक सैक्टर में और दे दी प्राइवेट सैक्टर में। जैनेरेशन कास्ट २.५ पड़ी लेकिन वह हमने १.९ पर दे दी। २० हजार रुपये रोज का फायदा हमने बिरला को दे दिया और इसके पहुंचा। ज बिजली बची अन्य पूंजीपतियों को दे डाली ४३ करोड़ रुपये का खर्चा तो पब्लिक सेक्टर में हुआ परन्तु आज उसका फायदा प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, पूंजीपतियों को हो रहा है। साथ ही प्लानिंग के लिये जितने रुपये की मांग की जाती है वह रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं। तीसरी योजनामें सन् १९६३-६४ में १४३ करोड़ का खर्चा हुआ और १९६४-६५ में हम १३२ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। अब, श्रीमन्, यह वर्ष तीसरी पंचवर्षीय योजना का ५वां अन्तिम साल है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार धन का पूरा और सही-सही व्यय नहीं कर पायेगी करोड़ों रुपये बच जायगें।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—
आप जितना दे देंगे, हम खर्च कर देंगे।

श्री नेकराम शर्मा—
माननीय राममूर्ति जी कहते हैं कि जितना भी धन दे देंगे वे खर्च कर देंगे। इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान सेकंड फाइव इयर प्लान की तरफ आकर्षित करता हूं कि उनकी सरकार जिसमें २० करोड़ रुपये नहीं खर्च कर पायी। आप सिंचाई के मंत्री थे आपने कितना रुपया खर्च किया? और जितना खर्च हुआ उसमें कितना वेस्ट हुआ। जिन स्कीमों पर लाखों रुपया खर्च हुआ वे बन्द कर दी गयीं। कुछ स्कीमों के लिये लाखों रुपये की व्यवस्था की गयी, स्कीम चली, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स बने पर बाद में यह कह दिया कि ये तो अनएकनामिक स्कीम हैं। लाखों रु० खर्च होने के उपरान्त वे योजनायें बंद कर दी गईं चीफ इंजीनियर ने स्कीम बन्द कर दी।

श्री राममूर्ति—
हर चीज की कास्ट बढ़ गयी।

श्री अधिष्ठाता—
अगर माननीय मंत्री जी हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो उठ कर करें। बैठ कर इंटरप्ट करना ठीक नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—
ठीक है। कीमतें बढ़ीं लेकिन प्लानिंग में सारी चीजों का अन्दाज करके स्कीम बनाई जाती है। ५, १० परसेंट प्राइसेज बढ़ने से स्कीमें अनइकोनामिक करके छोड़ नहीं दी जाती हैं। यहां तो योजना पर धन खर्च हुआ और बाद में इसलिए बंद कर दी गई कि उनसे लाभ न होगा। कास्ट बढ़ने का प्रश्न पैदा नहीं होता। यह तो जन-धन से खिलवाड़ है।

माननीय कृष्णानन्दराय जी ने प्रश्न उठाया था। अभी इसी महीने ७५ करोड़ रुपये की ग्रान्ट्स अनुपूरक ली गयीं। ए० जी० का मत है कि मूल बजट का २९ करोड़ ९९ हजार रुपये खर्च नहीं कर पाये। सप्लीमेंटरी में जो लिया गया उसमें भी ११ करोड़ १८ हजार खर्च नहीं कर पाये और इस तरह से इतना रुपया ब्लाक हो जाता है। ए० जी० ने लिखा है कि ३१ मार्च को ३० करोड़ ७२ लाख रुपया सरेंडर कर दिया गया यानी लास्ट डेट को सरेंडर किया गया। इतनी

इनएफीशियंसी इस नौकरशाही में है। प्रोग्रेसिव रिटर्न्स आने चाहिये और अगर खर्च नहीं कर सकें तो पहले सरंडर कर देना चाहिये था। बार-बार एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने सिफारिश की इस सम्बन्ध में लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। इसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर में जिसके लिए बाजार से कर्जा लेना पड़ता है और उस पर साढ़े ४, ५ परसेंट का सूद देना पड़ता है १९५८ से १९६३ तक ३७ करोड़ ३३ लाख रुपया भी यह सरकार नहीं खर्च कर पाई और हमसे कहा जाता है कि रुपया और दो। हमसे कहा जाता है कि और कर बढ़ाने में समर्थन दें, टैक्सेशन की इजाजत दे दो चूंकि डेफिसिट बजट है। योजनाओं के लिए धन चाहिए। तो यह सरकार अब स्वयं ही फैसला करे कि वह यहां बैठी रहे या यहां से जाय। महालेखापाल ने यह भी लिखा है कि योजना के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनमें डिले होती है और वेस्टेज होता है जिसके कारण योजना समय के अन्दर कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाती है। रुपये का प्रसार हो जाता है कोई भी योजना समय से पूरी नहीं हो पाती है जिसके कारण इनफ्लेशन होता है। कैपिटल एक्सपेंडीचर के अन्तर्गत सरकार की योजनाओं तथा डेवलपमेंट स्कीम में ४३ परसेंट, इलेक्ट्रिसिटी में २२ परसेंट, पब्लिक वर्क्स में २२.४ परसेंट, रोड ट्रान्सपोर्ट में २७ परसेंट, कोआपरेटिव डेवलपमेंट में ७६ परसेंट और एग्रिकल्चर डेवलपमेंट में ४१ परसेंट रुपया सरकार खर्च नहीं कर पाई और इस कैपिटल एक्सपेंडीचर के मातहत सरकार कर्जा लेकर सूद देती है जिसे वह खर्च नहीं कर पाई। न यह सरकार पूंजी व्यय खर्च कर पाती है और न संहित धन ही खर्च कर पाती है, सदन से धन स्वीकार करा लिया जाता है और उस धन को समय पर और पूरा भी खर्च नहीं कर पाती फिर हमसे करों का समर्थन मांगना, त्याग की अपील करना वैसूब है जब दिया हुआ धन नहीं खर्च कर पाते तो और कर लगाने की यह सरकार हकदार नहीं, यह सरकार तो फैमिली प्लानिंग पर ४३ परसेंट खर्च नहीं पर पाई और दूसरे कामों पर ८३ परसेंट खर्च नहीं कर पायी। इसके साथ ही साथ एक तरफ तो यह रुपया खर्च नहीं कर पाते और दूसरी तरफ नान डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर ८ करोड़ प्रति वर्ष बढ़ रहा है। आप देखें कि दूसरी ओर नान प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर भी काफी बढ़ता चला जा रहा है। १९५८ में वह ४१ करोड़ था जो १९६३-६४ में यानी ५ साल में ८६ करोड़ रुपया हो गया। यही नहीं ऐडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या आप देखें तो बजट का ५० परसेंट ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर खर्च हो रहा है। लैन्ड रेवन्यू पर २९ परसेंट बढ़ गया, चार साल में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ४० परसेंट बढ़ गया, पुलिस पर २२ परसेंट अन्य सेवाओं पर सर्विसेज पर ४७ परसेंट बढ़ गया। अनप्रोडक्टिव स्कीमों पर खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। यही नहीं प्रति वर्ष ३३ करोड़ रुपये इस राज्य पर कर्जे का बढ़ता चला जा रहा है। जितना हम पर कर्जा है उतने असेट्स हमारे पास हैं वित्त मंत्री जी बतलायेंगे ?

श्रीमन्, यह हमारी हालत है और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा रोड वेज पर हमारा लाभ कम होता जा रहा है और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पर किस तरह से धन का क्रिमिनल वेस्ट हुआ है। यह मैं बताऊंगा। दो बंगले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बनने थे जिसके मंत्री श्री राममूर्ति जी थे। उसके लिये लैन्ड एक्वायर किया गया। एक लाख २६ हजार रुपया मुआवजे का हुआ। लैन्ड के पजेशन का कई साल में फसला हुआ और १ लाख ३१ हजार रुपया सूद का देना पड़ा। इसी तरह से एक जगह ७४१ एकड़ जमीन लेने वाले थे। उसका मुआवजा २ लाख ४२ हजार रुपया हुआ और सूद का एक लाख ७७ हजार देना पड़ा। इसी तरह से डाक पत्थर में एक करोड़ ८५ लाख का ठेका लिया गया। लेकिन उस ठेकेदार ने कुछ दिन बाद काम करना छोड़ दिया। दूसरा ठेकेदार बुलाया गया और उसने ४७ लाख २७ हजार रुपये का एस्टीमेट और बढ़ा दिया जिसे स्वीकार किया गया। इस ठेकेदार से शर्त थी कि यदि समय के अन्दर वह काम पूरा नहीं कर पाया तो उस पर पैनाल्टी लगेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि दस महीने के बाद ५ लाख २३ हजार के बिल का उसको भुगतान कर दिया गया और कोई पैनाल्टी नहीं काटी गई जबकि कन्ट्रैक्ट में यह शर्त थी और न कोई जुर्माना ही उस पर किया गया। इस तरह से श्रीमन्, इनके मंत्रित्वकाल में रुपया वेस्ट हुआ। ठेकेदारों को किस तरह मदद की जाती है वह एक उदाहरण से साबित और होगा।

[श्री करामत शर्मा]

श्रीमन्, माताटीला में २८ लाख ६५ हजार रुपया एडवांस दे दिया गया। पेशगी बैंक रेट पर लाखों रुपया दे दिया गया। इसी तरह से एक सब रिसर्च स्टेशन झांसी की स्कीम थी उसको भी खत्म कर दिया गया। बेसिक टीचर्स की एक गाइड बनाने की योजना हुई और उस पर काफी रुपया खर्च हो गया और वह गाइड आज तक बेसिक टीचर्स के लिये नहीं आई। लाखों रुपये योजनाओं पर खर्च होते हैं बाद में वे योजनाएं छोड़ दी जाती है यह है जन धन का दुरुपयोग।

सेन्ट्रल फिल्म, लाइब्रेरी फिल्म बनाने के लिये खोली गई। उस पर व्यय हुआ लेकिन उसमें क्या हुआ? माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें कि कितनी फिल्मों का प्रयोग किया गया। ८८३ फिल्म का लक्ष्य, बनी ८१८ और १.५० लाख क आय होने की आशा थी और आप कुल हुई एक हजार। उसमें रुपया वेस्ट हुआ। १५७ मशीनें विदाउट यूज पड़ी हुई हैं। यह ए० जी० कहते है, मैं नहीं कहता हूं। तो जहां पर कान्ट्रेक्टर इस तरह का गड़बड़ करते हों, काम पर स्कीमों पर इतना अधिक वेस्ट होता हो तो वहां की हालत कैसे ठीक रह सकती है? मुख्य मंत्री महोदय कहती हैं कि रुपये का इन्फ्लेशन है, मैं भी मानता हूं, किन्तु वह इन्फ्लेशन किसने किया? आपका बजट डेफिसिट में होता है क्योंकि आप जो रुपया इंवेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट पर और उम्मीद करते हैं कि इतना उत्पादन होगा इतना लाभ होगा, किन्तु उनसे आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता है और यही इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कारण है। जब इनवेस्टमेंट ज्यादा होगा और उसमें उस मात्रा में उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन जरूर होगा। मान्यवर यहां रीयल नेशनल इन्कम में जितनी वृद्धि नहीं हुई उससे अधिक वृद्धि मनी सप्लाई में हुई है—यह एक इन्फ्लेशन का कारण है पहली योजना में १८ परसेन्ट, दूसरी योजना में २० परसेन्ट और तीसरी योजना में कुल ८ परसन्ट इन्क्रीज रीयल नेशनल इनकम में हुई जबकि इन्क्रीज मनी सप्लाई में उससे कहीं अधिक हुई जो कि इस प्रकार हुई कि पहली योजना में १२ परसेन्ट दूसरी में २९ परसेन्ट और तीसरी योजना में ३१ परसेन्ट हुई। मुद्रा प्रसार काफी तेजी से हुआ इनफ्लेक्शन इसलिये हुआ, जितना हमने अपने एसेट्स क्रियेट करने के लिये रुपया इन्वेस्ट किया, वह एसेट्क्रियेट हुये हैं लेकिन उन सब में लास हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि स्कीमें जल्दी समाप्त हो जानी चाहिये थीं यानी निश्चित अवधि में अवश्य समाप्त हो चाहिये थीं, किन्तु वह इस सरकार के निकम्मेपन व गलतियों के कारण जल्दी समाप्त नहीं हो सकी हैं वह बहुत समय ले रही हैं।

Audit Report says "The reasons are defecting estimates delays at different stages of execution of works and development schemes." यह भी कारण इन्फ्लेशन का है। तीसरा कारण यह है कि लांग डिले इन इक्जीक्यूशन आफ डेवलपमेंट वर्क। स्कीम्स से जितनी सर्विसेज और गुड्स पैदा हुआ है वह मनी सप्लाई के मुकाबले में बहुत ही कम है। लिहाजा यह सारे कारण हैं जिनसे यह इनफ्लेशन है और रहेगा और प्राइसेज बहुत ऊपर रहगा। इसलिये जब तक सरकार प्राइवेट सेक्टर को कर्व नहीं करेगी, तब तक इनफ्लेशन पर आप काबू नहीं कर पायेंगे और न प्राइज पर काबू कर पायेंगे। क्योंकि इसके अतिरिक्त जबकि रिजर्व बैंक और अदर कामर्शियल बैंक्स ने ६७४ करोड़ का नेट क्रेडिट गवर्नमेंट आफ इंडिया को दिया है और ४१४ करोड़ दिया है प्राइवेट सेक्टर्स को। लिहाजा इसका असर यह हो गया है कि मनी क्रियेट हो रहा है बहुत तीव्र गति से और उसके मुकाबले में प्रोडक्शन हमारा नहीं हो रहा है। मनी क्रियेट हो गया उत्पादन बढ़ा नहीं अतः अब रुपया ज्यादा होता है वस्तुएं कम तो कीमत बढ़ेगी ही।

हमने अब तक तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में ९०८ करोड़ रुपया लगाया है। जिसमें से १५३ करोड़ पहली पंचवर्षीय योजना में व्यय किया है, २५३ करोड़ दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च किया है और तीसरी योजना में ५०२ करोड़ रुपया खर्च होना है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना

पड़ता है कि २५ परसेन्ट तो यह पहली योजना में खर्च नहीं कर पायी है और २२ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय योजना में अभी तक केवल ३७७ करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम साल है। अतः इस सम्बन्ध में मेरा दावा है कि यह पूरा रुपया खर्च नहीं कर पायेंगे और करोड़ों रुपये की बचत हो जायेगी। तो जब यह सरकार जो रुपया सदन स्वीकृत करके देता है चाहे रेवेन्यू एकाउन्ट में, चाहे कैपिटल एक्सपेन्डीचर में हो वह खर्च नहीं कर पाये और डिफिसिट बजट आप इसलिये ९ साल से लगातार प्रस्तुत करते जा रहे हैं कि इस सरकार को टैक्स लगाने का एक रास्ता मिल सके। इस सरकार को धन चाहिये तो वह रोडवेज को नेशनलाइज करें, क्यों पूर्णरूप से ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण यह सरकार नहीं करती? यदि यह राष्ट्रीयकरण कर ले तो करोड़ों रुपया इस सरकार को मिल सकते हैं। आप शुगर मिल को नेशनलाइज करें। आप बैंकों का नेशनलाईजेशन भले ही न कर पायें किन्तु आपको चाहिये कि आप बैंकों क राष्ट्रीयकरण के लिए भारत सरकार को सिफारिश करें। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी सुझाव दें और उनकी राय लें। किन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जो पूंजीपति हैं वे बैंको से रुपया लेकर अपनी इच्छानुसार मनमानी करके मार्केट को ऊंचा नीचा करते रहते हैं और यह सरकार बेबस बनी देखती रहती हैं।

मैं मान्यवर आगे २-३ बातें और कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि प्रशासन का जो खर्च का परसेन्टेज है वह और स्टेट्स के मुकाबले में बहुत कम है। उसके सम्बन्ध में श्रीमन् देखें कि थर्ड फाईव ईयर प्लान की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है, एवरेज श्रीमान् इस समय जो इसमें लिखा है, वह इस प्रकार है—

"The State Government down from a position above the average in India to a position below the average. The gap between the State and the country has thus been widened unfavourably to the State.

The total State income of Uttar Pradesh went up by Rs.336.0 crores, but in contribution to the national income declined from 18.4 percent in 1950-51 to 15.7 per cent in 1960-61.

जब आप कहते हैं कि हमारा प्रशासन पर खर्च कम है तो आप यह भी देखें कि आपके यहां पर कैपिटा आउटले कितना है। उसको भी मैं बताता हूं। पंजाब में यह ८३ और जम्मू में ७३ है, श्रीमन् मैं सब स्टेट्स का आपको सुना दूं उत्तर प्रदेश में ३३ ही है। तो जम्मू काश्मीर में ७३ है और जबकि उत्तर प्रदेश में ३३ है। जम्मू कश्मीर सबसे छोटा स्टेट है, फिर भी उसकी पर कैपिटा आउटले इतनी है। बाम्बे बड़ी स्टेट है, लेकिन मैसूर लें। केरल ले लीजिये, ५०.३३ केरल स्टेट की पर कैपिटा आउटले है। उसमें सबसे ज्यादा है। यही नहीं पर कैपिटा इक्सपेंडीचर इन दि स्टेट प्लांस ड्यूरिंग दि डिकेड १९५१-६१ में जम्बू काश्मीर में १११.७६ रु० उड़ीसा में १०७.५९ रु०, मैसूर में १००.९३ रु०, बेस्ट बंगाल में १००.०० रु० है। हमारे स्टेट में सबसे कम है। हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा आउटले ५७.९४ रु० है। आप यह तो देखिये कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। आप प्लान में कितना इन्वेस्ट कर पाये? प्लान में आपको क्या मिला है? सबका बजट देखें कि आज हमारी हालत क्या है। आप वित्त मंत्री जी विधान मंडल के नवजवान अंग हैं, मैं आपसे यह आशा करता था कि कोई ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे कि जिसके द्वारा यह तो कम से कम मालूम हो सके कि हम किधर जा रहे हैं।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

आपके पास परकैपिटा रिसोर्सेज एक ही है? (व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

आप पिछड़ गये। मान्यवर, आप देखें कि स्टेट्स योजनाओं में Percapita outlay में हमारा प्रदेश कहां है।

जम्मू काश्मीर में—२०८.३३ करोड़, राजस्थान में—११७.४१ करोड़ पंजाब में ११३.९९, मैसूर में—१०६.३८, गुजरात—१०३.९९, आसाम—१०.८४ केरल—१००.५९, मध्यप्रदेश—९२.५९, उड़ीसा—१०.९१, मद्रास—८६.३५ आंध्र प्रदेश—८४.७२, बंगाल—७१.४३, बिहार—७२.४७, और हमारे प्रदेश में कुल ६७.३४ करोड़ यह है दशा श्रीमन् हमारे प्रदेश की इसीलिए आज हम भारत में सबसे पिछड़े हैं। जितनी स्कीमें आपने चलाईं, आप वित्त मंत्री जी जानते हैं प्राफिट नहीं रहा है। आपका इन्वैस्टमेंट कम इसलिये रहा कि आपने सेंट्रल की फीगर्स लीं आडिट रिपोर्ट ने तो आपको दिखा दिया है। आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रुपया लिया उसको भी नहीं खर्च कर पाये। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के रुपये का खर्च तो दिखा दिया। १९६४ की आडिट रिपोर्ट मेरे पास है, उसमें पृष्ठ २६ पर माननीय वित्त मंत्री जी आप पढ़ लें, उसमें यह है कि :

"The figures of expenditure shown in the Appropriation Accounts 1962-63 include in some cases amounts which were not actually spent during that year. The amounts in such cases were withdrawn from the Consolidated Fund in advance of requirements from the Treasuries or adjustments were made in the accounts showing the amounts as spent, although no such expenditure was actually incurred before the close of 1962-63."

खजाने से रुपया निकाला गया ३४,११,००० और बैंक में ड्राफ्ट रख दिया गया। तो मैं यह कह रहा था कि जितना भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, वह आप खर्च नहीं कर पाये और जितना रुपया आपको इस सदन ने दिया है, उसको भी खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार की गुटबन्दी के कारण यहां पर तो आपको फुरसत ही नहीं है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के आफिशियल का कहना है कि आप न समय पर योजना भेज पाते हैं न समय पर जितना धन चाहिए वह भेज पाते हैं और दोष देते हैं भारत सरकार को। दोष देना चाहिए अपने निकम्मेपन को और गुटबन्दी को। आपके यहां से रुपये नहीं लिये जाते हैं, यह हम आपकी इनएफीसियेन्सी कहें, इसके कारण आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी पूरी तरह से मांग नहीं रख पाये। मैं यह कह रहा था कि डा० राधाकृष्ण जी ने कहा कि आप प्रोडक्शन चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े तो रूल्स तथा और जो ऐसे कानून हैं, जिनसे कि हमारी प्रगति में बाधा पड़ती है, उनको आप बदलिये। आपको मैं एक थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि आपने प्रोडक्शन में जितना भी रुपया इन्वेस्ट किया १९५७-५८ में अगर ४९ लाख होता था इर्रीगेशन, तो १९६१-६२ में ४८ लाख रहा लेकिन किसी को पानी नहीं मिला। श्रीमन् इर्रीगेशन के लिए साधन बढ़ा दिये गये, लेकिन ४ परसेंट से ५ परसेंट कन्सालीडेशन में नहीं चला, किसानों से काट लिया गया। कुछ राममूर्ति जी ने कानून बनाया। करोड़ों रुपया खर्च करके भी किसानों को पानी न दे पावें १८ साल के बाद तो क्या सरकार इस योग्य है कि इन कुर्सियों पर एक पल भी बैठी रहे? जमीन का एरिया उतना ही रहा, बढ़ा नहीं और इर्रीगेशन कम होता चला गया। यहीं नहीं, प्रोडक्शन भी आप पूरा नहीं कर पाये। थर्ड प्लान के फर्स्ट और सेकेन्ड ईयर की रिपोर्ट तो आपने दी लेकिन उसके बाद की आपने दी नहीं, शायद यह समझ कर कि माननीय सदस्य सदन में उसको कोट न कर दें, लेकिन अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहां चले जा रहे हैं।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक नान-आफिशियल कमेटी बनायें, जैसे पे रेशनलाइजेशन कमेटी बनाई है, उस तरह की नहीं क्योंकि ये आफिशियल्स आपका

साथ नहीं दे पायेंगे क्योंकि उनकी लीगेसी एक दूसरे तरह की है, आप लोग देश की आजादी की लड़ाई के लिये लड़े, आप प्रदेश के हित में सोचेंगे अफसर पहले अपनी सोचता है बाद में प्रदेश की तो उन नान आफिशियल्स की एक कमेटी बनाइये जो यह देखे कि हमारा प्रोडक्शन किस तरह से बढ़े। इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि जो कानून या कायदे हमारी प्रगति में बाधक होते हैं उनको तोड़िये।

हम सरकारी कर्मचारियों के लिये मांग करते हैं तो आप कह सकते हैं कि टैक्स लगायेंगे। आप टैक्स लगाइये लेकिन आप पहले एकनोमी करिये, फिजूलखर्ची को रोकिये और जो बच जाता है वह बचने न पाये, उसका सदुपयोग कीजिये अगर उसके बाद काम न चले तो टैक्स लगाइये। मैं समर्थन करूंगा लेकिन टैक्स भी लगाइये तो किन पर उन पर जिनकी आमदनी हजार रुपये से ऊपर आती हो माह में या १० या १५ एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास है उनके ऊपर टैक्स लगाइये। पूंजीपतियों के ऊपर २५ से ३० करोड़ रुपये सेस का और सेल्स टैक्स का बाकी है, उसको उनसे निकलवाइये और अगर वह निकल आयेगा तो टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यह न हुआ तो मैं साफ साफ कहता हूं कि जो साउथ में हो रहा है वायलेंस हो रहा है वहां तो लंग्वेज के नाम पर हुआ लेकिन अगर यहां आपने टैक्स लगाया, बिना सब रिसोर्सेस को एक्जास्ट किये हुये, तो यहां भी बगावत होगी, क्रान्ति होगी। आज जनता में निराशा है बेचैनी है। आज इस सरकार से कर्मचारी भी खुश नहीं यदि गरीब पर कर बढ़ा तो यहां भी क्रांति हो जायगी आज सरकारी कर्मचारियों में कोई भी, मजदूर भी, नहीं है जो शासन से खुश हो और इसका मुआवजा आपको सख्त से सख्त उठाना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उसमें सरकारी कर्मचारियों को जो अंतरिम सहायता की घोषणा है उसका स्वागत करता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि आप एकानमी ड्राइव में अन्य कर्मचारियों को अलाहदा न कर दें क्योंकि इससे अनएम्प्लायमेंट बढ़ जायगी। वित्तमंत्री जी ने आपने भाषण में खाद्यान्न के मामले को प्राथमिकता प्रदान की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी गावों में रहता हूं, खेती करता हूं जो इस प्रदेश के लिये नितान्त आवश्यक है और वह तभी बढ़ सकती है जब कि आप इर्रीगेशन को सेचुरेशन प्वाइंट तक पहुंचा दें। जब इर्रीगेशन सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच जायगा तो काश्तकार खुद अपनी प्लानिंग कर लेगा और अपनी पैदावार बढ़ा लेगा। जब तक इर्रीगेशन सेचुरेशन प्वाइंट पर नहीं पहुंचता है मेरी निगाह में खेती की बढोत्तरी होना संभव नहीं है। इसके साथ ही यह भी होता है कि काश्तकार को फर्टिलाइजर लेने के लिये बाध्य किया जाता है। सब लोगों का बी०डी०ओ० और ए०डी०ओ० की तरफ खयाल रहता है कि अधिक से अधिक फर्टिलाइजर बांटा जाय और खासकर जिस क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं है तो वहां पर पैदावार बढ़ाने के लिये वह फर्टिलाइजर देते हैं। इस तरह से काश्तकार के ऊपर कर्जा लद जाता है। फर्टिलाइजर देने वाली एक संस्था नहीं है बल्कि बहुत सी एजेंसीज हैं जो उनको फर्टिलाइजर देती हैं तो उनको बाध्य होकर लेना पड़ता है। कोआपरेटिव वाले देते है, गन्ना विकास वाले अलग देते हैं और कृषि विभाग अलग देता है तो इसका नतीजा यह होता है कि उसके ऊपर कर्ज हो जाता है। इसी के साथ-साथ उसको तकावी भी मिलती है, कोआपरेटिव से भी मिलता है और अब तो उनके लिये ३३ परसेंट फर्टिलाइजर कर दिया है लेकिन उनको जितना भी यह खाद दिया जाता है उनके लिये बेकार हो जाता है। वह कहीं दे नहीं पाते, और घर पर पड़ा रह जाता है और लोग मुफ्त में ले जाते है। इस तरह से उनके ऊपर कर्जा लद जाता है। इसलिये सिंचाई के साधन की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब तक इर्रीगेशन नहीं बढ़ेगा तब तक मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम ]

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब कैश क्राप अधिक एरिया में पैदा की जाती है बजरा, धान और गेहूं जहां पर पहले पैदा की जाती थी वहां पर अब कैश क्राप गन्ने की या मूंगफली की पैदा की जाती है । इसका नतीजा यह हुआ है कि बाजरा, गेहूं और धान की पैदावार घट गई है । तो उसी का यह असर पड़ा है ।

कुछ बातें अपने जिले के बारे में भी कहना चाहता हूं । हमारे भाई कृष्णानन्दराय जी ने पूर्वी जिलों का जिक्र किया जिनके लिये कमीशन नियुक्त किया गया है । उधर पश्चिम वाले भी कहते हैं कि हमारे लिये भी कठिनाई है तो उनके लिये कमीशन नियुक्त होना चाहिये लेकिन शाहजहांपुर न पूर्व में है और न पश्चिम में है । तो ऐसी दशा में हम क्या करें । अगर जोन ही बना दिये जायं तो अच्छा है क्योंकि हमारे जिले के लिये भी कोई जोन बन जायगा । मैंने देखा कि इस बजट के अन्दर कोई भी नई स्कीम शाहजहांपुर के लिये नहीं है । यातायात के साधन, विद्युत् के साधन जिनसे आजकल के जमाने में तरक्की होती है, वे कोई भी साधन शाहजहांपुर के लिये नहीं हैं । इसी कारण यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ रह गया है । यह न पूर्वी जिलों में आया है और न पश्चिमी जिलों में आया है । इस वजह से यहां के लिये बहुत कम ध्यान दिया जता है । इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि शाहजहांपुर जिले के लिये यातायात के साधन नितान्त आवश्यक हैं । वहां पर जिले में रामगंगा और दूसरे कई नाले हैं जहां पर कोई ब्रिज नहीं है सड़क भी नहीं है और उस इलाके में कोई अस्पताल भी नहीं है । हमारे देश में १५ साल निर्माण के गुजर जाने के बाद भी इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है । मेरी समझ में नहीं आया कि हमारी सरकार इस क्षेत्र की तरफ से क्यों उदासीन है ।

एक बात इर्रीगेशन के सिलसिले में और कहना चाहता हूं । फरीदपुर ब्रांच का एक रजबहा बझेड़ा रजबहा के नाम से है । लेकिन मंत्री जी से कहूंगा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी उससे इतने उदासीन हैं कि जो बयान नहीं किया जा सकता । उन्हें कोई मतलब नहीं है चाहे आपकी सारी प्लानिंग गर्क हो जाय और चाहे यहां पर फूड क्राइसिस पैदा हो जाय । इस रजवाहे का कंस्ट्रक्शन माननीय राममूर्ति जी ने ३ साल हुये मंजूर किया था और यह कहा था कि इससे यह नहर १०,१२ मील आगे बढ़ जायगी, जिससे उस इलाके की तरक्की होगी । उसके बाद मैंने सिंचाई मंत्री, मुख्य मंत्री और चीफ इंजीनियर को लिखा और प्रोडक्शन कमिश्नर को भी लिखा तो केवल प्रोडक्शन कमिश्नर का जवाब मिला जिसमें वह कहते हैं कि यह स्कीम सरकार के विचाराधीन है । लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने अपने जवाब में बतलाया कि यह स्कीम अवेटिंग दि एलोकेशन फ्राम दि सेंटर । जो सिंचाई मंत्री हैं उन्होंने मेरे एक प्रार्थना पत्र पर लिख दिया कि इसको जल्दी एक्सपिडाइट किया जाय । पिछले साल मैंने लिखा था कि चकबन्दी हो रही है और वहां मैंने हर प्रधान से तय कर लिया था कि जितनी जमीन उस रजबहा में लगेगी उसका सरकार से मुआवजा वह लोग नहीं लेंगे । यह बात मैंने सरकार को लिख भी दी थी । इससे सरकार को लाखों रुपयों का फायदा हो जाता, लेकिन उस के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

एक बात प्राइमरी अध्यापकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । जबसे उनका निमंत्रण जिला परिषद् तथा ब्लाक प्रमुख द्वारा होने लगा है पढ़ाई बिलकुल चौपट हो गयी है । मैंने इस सिलसिलेमें जब एक डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से बात की तो उन्होंने एक दिन मेरे एक साथी के साथ मुझे ले जाकर दिखाया कि एक जिला परिषद् के अध्यक्ष के यहां १०० मास्टर बैठे हुए हैं । उनसे पूछा कि कैसे आये तो किसी ने बतलाया कि वह तबादला कराने आया है किसी ने बतलाया कि वह किसी काम से आया है, किसी ने कहा कि वह अध्यक्ष महोदय के काम से आया है । तो इस फेर में उनकी पढाई-लिखाई चौपट हो जाती है, और वह इसी चक्कर में पड़े रहते हैं । यह बड़ा निन्दनीय है और इस लिये आवश्यक है कि उनका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल द्वारा किया जाय और उनका कोई भी सम्बन्ध ब्लाक अथवा जिला परिषद् से न रखा जाय ।

पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि वह प्रदेश में बहुत ही अपर्याप्त है थाने बहुत दूर दूर हैं । मैं एक मिसाल जेतपुर थाने की देना चाहता हूं । वह नदी के जिस पार है उधर केवल १२, १४ गांव उसमें आते हैं लेकिन नदी के दूसरी तरफ उसमें १३० गांव हैं और यातायात के साधन वहां नहीं हैं । इसलिये ऐसी जगहों पर यदि थाने न हो सकें तो चौकियों की स्थापना की जानी चाहिये ।

सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि गल्ला गोदामों से जो बीज दिया जाता है वह वापस नहीं होता और सुपरवाइजर्स सेंट परसेंट वसूली दिखाने के लिये गेहूं को धान में और धान को गेहूं में बदलते रहते हैं, और ५० परसेंट काम फरजी होता है । अगर ऐसा ही होता रहा तो आपका कोआपरेटिव का सारा रुपया मारा जायगा और काश्तकारों के खेत और बैल सब नीलाम हो जायेंगे ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, आप किसी लिस्ट से नाम ले कर सदस्यों को बुला रहे हैं अथवा जिस पर आपकी नजर पड़ जाती है उसे बुला लेते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास हर पार्टी के सचेतक द्वारा भेजी हुई लिस्ट है, लेकिन मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं उस लिस्ट के हिसाब से ही बुलाऊं । जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है मैं उसे बुला लेता हूं ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय,

दरदेलत अन्दर दिल अगर गोयम जबां सोजद,
बगर दम दर कशम तरसम कि मगज उस्तुखां सोजद ।

मान्यवर, यह एक फारसी का शेर है और मैं समझता हूं कि बहुत से लोग समझ नहीं पाये होंगे इसलिये इसका अनुवाद भी जरूरी है । लेकिन इत्तफाक से मुझे दूसरा शेर याद आ रहा है इसलिये उसे अपनी जबान में कहता हूं

फुंगां करने में रुसवाई खमोशी दिल दुखाती है,
इलाही बस इन्हीं सदमों में मेरी जान जाती है ।

इसे हिन्दी में कहा गया है

आह करूं तो जग हंसे चुपके लागे घाय
ऐसी विपदा आन पड़ी है कह करूं कौन उपाय ।

मान्यवर, यह जो घाटे का बजट सदन के सामने पेश किया गया है इससे करोड़ों दिलों को धक्का लगा है । इसलिये कि जनता उम्मीद बांधे हुए थी कि इस भुखमरी के जमाने में सरकार उसके लिये कोई रास्ता आराम का, गुजरान का निकालेगी । लेकिन यह घाटे का बजट बिलकुल इससे उल्टा है । मान्यवर, पिछले वर्षों में भी बराबर करोड़ों रुपये के घाटे के बजट पेश होते रहे हैं लेकिन हर साल लाखों रुपयों की बचत भी होती रही है । जो कि रिफंड हुई । इसके साथ ही सरकार ने अपने बजट के रुपयों का गलत इस्तेमाल भी किया और पानी की तरह जनता की गाढ़ी कमायी को बहाया । मान्यवर, योजनायें जो चलाई जा रही हैं उनमें रुपयों का फिजूलखर्च और उसका काफी गलत ढंग से इस्तेमाल होता है जिससे कोई अच्छे नतायज नहीं निकलते । खाली कागजी खानापूरी होती है । सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बीते हुए समय का भी जायजा लिया और चले हुए, तय किये हुए रास्ते को भी मुड़ कर देखा कि इतने लम्बे रास्ते को हम तय कर चुके, फिर भी मंजिल का नामोनिशां क्यों नहीं नजर आता और तेली के उस कोल्हू के बैल की तरह ही हम हैं कि जो जहां से चला था

[चौधरी अब्दुल हसीब खां]

वहां आज भी मौजूद है । श्रीमन्, अखिरी हद को पहुंची हुई गिरानी और अनाज और दूसरी इस्तेमाली चीजों की कमयाबी, बल्कि नायाबी की वजह से हमारे देश में जो हाल है वह मैं शायर की जवान में आप के सामने पेश करना चाहता हूं:—

हमारे देश में हर शै की है किल्लत, जो दस्तयाब कोई चीज है तो महंगी है ।

अलावा इसके अगर कोई चीज है अरजां, तो वह जुकाम है, नजला है और खांसी है ।

मान्यवर, गलत योजनायें चलाने का ही नतीजा है कि आज अनाज छटांक के भावों में बिक रहा है । इससे खेतिहर मजदूर, गरीब और नादार, कम आमदनी वाले लोग दुखी हैं और पेट की आग में झुलस रहे हैं और उनकी जिन्दा लाशें सिसक रही हैं और वह अनाज की ही नहीं बल्कि मौत को भी तरस रही हैं ।

श्रीमन्, ऐसी उलटी सीधी योजनायें बनती हैं जिनसे प्रदेश की कोई प्रगति नहीं हुई है सरकार की बेनूर पथराई हुई नजरें अगर देख सकती हैं तो देखें ।

"देख फाकों की चिताओं पे सुलगती है हयात,
हासिले जीस्त मुसीबत के सिवा कुछ भी नहीं
यह है आपकी योजना का नतीजा ।

मान्यवर बजट से ऐसे संकेत मिले हैं कि गरीब किसान के ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है । गरीब किसान को परेशान करने वाली और नुकसान पहुंचाने वाली और बहुत सी चीजें हैं जैसे आंधी, ओला, पत्थर, पाला, कीड़े-मकोड़े तथा जंगली जानवर। अगर सरकार को धन की जरूरत है तो वह १० करोड़ रुपया जो सेल्स टैक्स का बकाया है उसको वसूल करें । उससे सरकार का काम चल सकता है, टैक्स बढ़ाना न मुनासिब होगा ।

आज दिनों दिन जो भ्रष्टाचार और नौकरशाही का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है उसको देख कर अगर यह कहा जाय तो बेजा न होगा—

"हमको हुकूमत सौंप फिरंगी चले गये, घर में गलीज छोड़ कर भंगी चले गये ।"

आज सरकारी कर्मचारियों तथा अध्यापकों के खामोश आन्दोलन हो रहे हैं। अगर उनकी जगह पर सरकार चलाने वाले होते तो उनको पता चलता कि गरीबी और गिरानी क्या चीज है और उससे कितनी परेशानी होती है । सरकार की हुकूमती कश्ती भंवर में रहती है और जो धड़ाबन्दी व ग्रूपिंग है उसका एक नक्शा, एक चित्र, इस शेर के जरिये पेश करता हूं:—

"चली जाती है कश्ती खश्मगी मौजों से टकराती,
उमड़ती बैठती दबती दबाती और चकराती,
कहीं गिरदाब के मुंह में, कहीं पुरशोर धारे पे,
कभी इसके इशारे पे, कभी उसके इशारे पे"

इन शब्दों के साथ मैं इस आमदनी और खर्च के बजट की मुखालफत करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा पिथौरागढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट पर बहुत सी चर्चा हुई, मगर उत्तराखण्ड के बारे में कोई चर्चा सदन के सामने नहीं हुई । इसलिये उत्तराखंड के बारे में कुछ निवेदन करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं और उसकी ओर में आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले ४ सालों से करीब २८ करोड़ रुपया वहां के लिये खर्च हुआ है, "मगर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है ।" जो हालत वहां पहले थी, वही अब भी है । वहां के लोगों के रहने के लिये न मकान हैं, न पहनने के लिये कपड़े का प्रबन्ध है, न खाने के लिये

भोजन है। मैं सरकार से चाहता हूं कि वह वहां की जांच के लिये कोई कमीशन नियुक्त करें और देखें कि जो २८ करोड़ रुपया खर्च हुआ है वह कहां तक सही तरीके से हुआ है और कहां तक अपव्यय हुआ है। मैं अपने व्यक्तिगत तजुरबे से कह सकता हूं कि ५० फीसदी रुपये का सदुपयोग नहीं हुआ है, जो खर्च हुआ है वह सरकारी बड़ी बड़ी इमारतों पर, मोटरों पर, सरकार के कर्मचारियों की सुख सुविधाओं पर हुआ है। गरीब जनता की गरीबी को दूर करने पर नहीं हुआ है। वह रुपया वहां की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उन्नति के लिये दिया गया था, मगर वहां इस ओर कोई तरक्की नहीं हुई है। न वहां कोई उद्योग ही खोले गये हैं न खनिज पदार्थ या टूरिज्म न रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें ही वहां पैदा करने की कोशिश की गयी है। घी, दूध, अंडे सब्जी, मक्खन आदि वीजें सब मैदानों से आकर वहां पर बिकती है जिनको अधिक दामों पर वहां की जनता को खरीदना पड़ता है। इन चीजों के उत्पादन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मान्यवर, सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की जो रूपरेखा है अगर उसको आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर धनी और अधिक धनी हुआ है, गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है। सरकार वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कोई भी कोआपरेटिव इन्स-टीट्यूशन अगर खोलती तो मैं मान सकता था कि सरकार ने कुछ किया। वहां पर कोआपरेटिव विभाग द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे सरकार की तारीफ की जाय। डा० सम्पूर्णा-नन्द के जमाने में एक डिग्री कालेज वहां पर खोलने के लिये २९ लाख रुपया मंजूर हुआ है। आज ५ साल हो गये, अभी तक उसका शिलान्यास तक नहीं हुआ है। वहां पर साइंस क्लासेज खोला जाने वाला था, वह भी नहीं खोला गया। इसमें कोई षड़यंत्र मालूम पड़ता है। मैं चाहता हूं सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसके अलावा लाइब्रेरी के लिये भी उनके जमाने से डेढ़ लाख रुपया मंजूर हुआ था। ३ लाख एक डेरी फार्म के लिये मंजूर हुआ था। वह कुछ अभी तक नहीं हुआ। डेढ़ लाख पोल्टरी फार्म के लिये मंजूर हुआ था, इसमें बहुत कम काम हुआ हैं जो संतोषजनक नहीं है। इन सब चीजों को कार्यान्वित करने के लिये मैं चाहता हूं सरकार विशेष ध्यान दे। एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी ७५ पृष्ट की एक रिपोर्ट दी हैं जिसमें बहुत सी सिफारिशें की हैं। मैं चाहता हूं सरकार उस ओर ध्यान दे और उनको कार्यान्वित करने के लिये यथाशीघ्र कदम उठाये।

प्राइवेट स्कूल के टीचरों, प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जब राजकीय पाठशालाओं में अध्यापकों को उसी कार्य के लिये १५० रु० दिये जाते हैं तो उसके एक तिहाई या आधा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में क्यों दिये जाते हैं? यह वहां के लिये अन्याय है। सभी स्कूल राजकीय स्तर पर क्यों नहीं समझे जाते? इसी तरह जो जूनियर स्कूल के अध्यापक हैं उनके वेतन में इजाफा करना भी सरकार का कर्त्तव्य है।

उत्तराखंड में पी० डब्लू० डी० गैंग की किल्लत है। परन्तु जो गोरखपुर वगैरह से आये हुये गैंग के व्यक्ति होते हैं उनको १२० रु० प्रति माह दिया जाता है जबकि वहां के रहने वालों को केवल ५५ रुपया ही दिया जाता है यह असमानता क्यों? मैंने इसी तरह से स्कूल की ट्यूशन फीस के बारे में भी सुझाव दिया था कि जब काश्मीर सरकार ने एम० ए० तक फीस माफ कर दी है तो क्या उत्तराखंड में दसवीं कक्षा तक भी फीस की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती? सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। इसी तरह से मैंने सरकार का ध्यान इल क्लोथ्ड और इल्फैड बच्चों के खाने और कपड़े की सुविधा की ओर भी दिलवाया था परन्तु सरकार ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जबकि पानी की तरह रुपया वहां बहाया जा रहा है। टैक्नीकल स्कूल की स्थापना के लिये भी सरकार का विशेष ध्यान दिलाया गया था परन्तु सरकार ने इस ओर भी कोई कदम नहीं उठाया। टैक्नीकल स्कूल के होने से वहां के बेरोज-गार अच्छे किस्म के रोजगार कर सकते हैं। महिलाओं के शेल्टर होम के लिये भी मैंने एक

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

सुझाव सरकार के पास भेजा था परन्तु इसमें भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हर जिले में एक शेल्टर होम होना चाहिये। क्वीतड गूल ७, ८ साल से बन रही है। वह अब भी सुचारुरूप से न चल पाई। मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। आजकल इस इलाके में जितनी सड़कें बन रही हैं और जिन-जिन लोगों के खेत ले लिये गये हैं उन लोगों के मुआवजे के केस ८,१० साल से तय नहीं हुये। कहा गया था कि तराई में रिहैबिलेटेशन के लिये स्थान दिया जावेगा परन्तु वह भी नहीं दिया गया। धारचूला में सड़कें जो बनाई गई व मिलिटरी बसाई गयी उनको जिन-जिन के खेत लिये गये कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है। यहां पर मकान बनाने के कर्जे के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि यहां के निवासी लोन आदि की सुविधा प्राप्त कर सकें। सरकार ने यहां रोडवेज ट्रान्सपोर्ट सर्विस चालू की है परन्तु यहां ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज बहुत ज्यादा हैं जो यहां की जनता देने में असमर्थ है। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे। यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज जो बनी हैं वे केवल नाममात्र की हैं। जब एम० एल० एज० का चुनाव होता है तो क्यों यहां सरकार लोकल बाडीज के चुनाव में बालिग मताधिकार देने से घबराती है, यह समझ में नहीं आता है। सरकार ने यहां टी० बी० का अस्पताल बनाया है परन्तु वह शहर के मध्य में बनाया है। यहां की जनता चाहती है कि वह शहर से बाहर हो। जो आई हास्पिटल भी बनाया गया है उसके पास जगह बहुत कम है। अगर उसी में टी० बी० हास्पिटल भी उन्हीं को दे दिया जाय तो अच्छा हो और वह अच्छी तरह चल भी सकता है।

हां, अगर तरक्की हुई हैं वहां तो शराब की दूकानें और डिस्ट्रलैरियां बहुत बन गई हैं। यह गलत कार्य हैं। इससे लोग गुमराह होंगे। ऐसी चीजों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो हर साल दो-दो दूकानें बढ़ाते चले जा रहे हैं इस पर रुकावट होनी चाहिये।

जो उत्तराखंड का यह डिवीजन बना है उसका ज्योग्राफिकल शेप अभी तक ठीक नहीं बन सका है। उसमें बहुत से इलाके जो कि तिब्बत से मिले हुये हैं वह छूट गए हैं। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जैसे अलमोड़ा जिले में दानपुर का इलाका है, चमोली और टेहरी के बीच का इलाका है और वह उत्तरी इलाका जो तिब्बत से मिला हुआ है इसको उत्तराखंड में फिर से मिला लेना चाहिये ताकि एक ज्याग्रोफिकल शेप उसकी निश्चित बन जाय और उसका एक हेडक्वार्टर बन सके। दूसरी बात यह है कि वहां की जनता प्रेजेंट डे ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ काम हो रहा है उससे बहुत दिल में दुखी है और बहुत तकलीफ उनको है। वह चाहती है कि यह ड्युअल ऐडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार का अभी चल रहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रुपया दिया जाय और प्रान्तीय सरकार उसको अपनी मनमौजी से खर्च करे, यह ठीक नहीं है, इससे तो कहीं बेहतर होता कि दस साल के लिये सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरिया यह हो जाता जिससे कि वहां की जनता को पूरी राहत मिलती।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेट इन तीन जिलों में भेजे जाते हैं वह बहुत ही अनुभवी और परिश्रमी व्यक्ति हैं, मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह जनता के सम्मान के भाजन हैं और बहुत मेहनत से वहां के इलाके के कार्य को कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमसें पूर्व वक्ताओं ने कुछ पूर्वी जिलों और उत्तराखंड ऐसे क्षेत्रों के बारे में बातें कहीं। जहां तक उत्तराखंड का संबंध है बड़े ही उपयोगी सुझाव आये हैं और वह सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उसके विकास के लिये जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी सम्भव उपाय हों वह अवश्य किये जायं। जहां तक कृष्णानन्दराय जी ने पूर्वी जिलों के लिये कहा, पूर्वी जिलों के लिये तो ऐसे ही कृपा रात दिन सरकार करती रहती है। कहीं पटेल आयोग बैठता है, कहीं जनशक्ति उपयोग योजना लागू की जाती है, कहीं सड़कों का विशेष अनुदान दिया जाता है। पूर्वी जिलों का प्रदेश की आय में हिस्सा देखा जाय तो वास्तव में न्याय-संगत बात यह होगी कि पूर्वी जिलों को जितना मिलता है उसमें कटौती करके पश्चिमी जिलों को मिलना चाहिये क्योंकि उत्तर प्रदेश का भरण-पोषण पश्चिमी जिलों द्वारा ही होता है। परन्तु इस विवाद में अधिक न जाते हुए मैं योजनाओं के मूलभूत प्रश्नों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी तीन पंचवर्षीय योजनायें व्यतीत होने को आ गयीं। परन्तु जिस रीति से हमारे प्रदेश के विकास के लिये योजनायें बनाई गई हैं उसमें प्राथमिकता देते समय बहुत बड़ी भूल की गई है। कुल तीन चीजें ऐसी हैं कृषि उद्योग एवं शिक्षा जिन पर विशेष ध्यान देकर उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये था और प्रत्येक स्तर पर इनकी ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये था। परन्तु हमारी अपनी परम्पराओं, अपनी संस्कृति और अपने देश काल की मनो-वस्था को न देखते हुए हमने इस प्रकार की पाश्चात्य देश की परिकल्पनायें लेते हुए और उसके विकास के ढांचे को लेते हुए, ऐसे विकास का समावेश किया जो कि हमारे प्रदेश के वाता-वरण के अनुकूल न था, न हमारे साधन स्त्रोतों के ही अनुकूल था और न ही श्रम स्त्रोतों के अनुकूल था। जो भी योजनायें बनाई गई वह हमारे यहां की प्रकृति, अथवा परम्पराओं के अनुकूल नहीं थीं, उन पर आधारित नहीं थीं। योजना बनाने वालों को राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं थी। इन्हीं अव्यावहारिक योजनाओं के कारण हमारे मूल्यों में उतार चढ़ाव इतने अधिक हुए कि जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था हमारे प्रदेश और देश की, बहुत ही प्रभावित और असन्तुलित हुई। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि कृषि उत्पादन की वस्तुओं और उद्योग से उत्पादन की वस्तुओं में, उनके मूल्यों में, मजदूरी व ब्याज सब बातों को देखते हुए एक ऐसा संतुलन बैठाना चाहिये जिससे कीमतों में जल्दी जल्दी इतने बड़े उतार-चढ़ाव न हों। हमारी वित्तीय नीतियां गलत नियोजनों के आधार पर निर्धारित हैं। हमारे राष्ट्र की आय में प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है और ऐसी वित्तीय नीति होनी चाहिये जिसमें मुद्रा-स्फीति या मुद्रा का खिंचाव न पैदा हो। इससे योजनाओं के एग्जीक्यूशन में बहुत बाधा पड़ती है। सही नीति अपनाने की आवश्यकता है। योजनाओं में हमारी सरकार नारा तो लगाती है समाजवाद का लेकिन एग्जीक्यूशन में पूंजीवाद से निहित योजनाओं को अपनाया जाता है। समाजवाद और पूंजीवाद के नारों से प्रदेश की उन्नति होने वाली नहीं है। इन दोनों की व्यवस्थाओं में अपने-अपने दोष हैं। हमने इन व्यवस्थाओं को पाश्चात्य देशों से ग्रहण करने से पूर्व उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जो इनसे वहां उत्पन्न हुई थीं। अमेरिका की सर्वेक्षण रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सुइसाइड और रेप के केसेज बढ़ते चले जाते हैं। आदमी अपनी हत्या तभी करता है जबकि वह अपने को समाज में यह देखता है कि उसके प्रति कोई समवेदना प्रकट करने वाला नहीं है।

(इस समय २ बज कर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

इसी तरह से श्रम नीति है। हमने अपने उद्योगीकरण में विकेन्द्रीकरण की नीति को नहीं अपनाया है। जो समस्यायें पाश्चात्य देशों में श्रम नीति से उत्पान्न हुई हैं उनसे हमें लाभ उठाना चाहिये। हमको अपनी योजनाओं में इस प्रकार के आमूल-चूल परिवर्तन करने चाहिये कि न तो उनमें समाजवाद का और न ही पूंजीवादका नारा हो। हमें अपनी श्रम-शक्ति का ऐसा विकास करना चाहिये जिससे हमारे प्रदेश की सर्वव्यापी उन्नति हो सके और प्रत्येक नागरिक को अपने श्रम का सही मूल्य मिल सके।

नियोजन को सही रूप में लाने के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता कृषि को देनी चाहियें। यह ७५ फीसदी जनता का ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय है। अगर आप इसके श्रम का, किसान के श्रम का, मूल्यांकन करें और जो श्रम वह स्वयं अपनी स्त्री और बच्चों के साथ करता है उसे

[श्री राजेन्द्रसिंह]

देखें और जो वह प्रति एकड़ पैदा करता है उसे देखें, तब आपको मालूम होगा कि कम से कम ३२, ३३ प्रतिशत को अनाज पैदा करने में उससे भी कम रिटर्न मिलता है जो एक मजदूर पैदा कर लेता हैं। यह व्यवसाय हमारे प्रदेश के बजट का ५० प्रतिशत आय देता है और जो ७५ फीसदी जनता का व्यवसाय है और जिस पर हमारी खाद्यनीति निर्भर करती है उस व्यवसाय को पहले प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। कृषि योजना बनाते समय हम उसमें अवश्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं लेकिन जब हम नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनमें कृषि को भुला देते हैं। बजट भाषण में है कि अनाजों के मूल्य निर्धारित किये गये हैं कृषकों के लिये। पता नहीं कैसे अधिकारियों को और सरकारी आदमियों को यह आभास हो गया कि किसान की स्थिति अच्छी हो गई और कृत्रिम घाटे के लिये, जो वास्तव में घाटा नहीं है, उसकी पूर्ति के लिये किसानों पर टैक्स लगाने की बात सोची जा रही है। अगर सरकार ने कृषकों पर टैक्स लगाने की बात सोची तो यह गलत कल्पना होगी। किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, स्वतः गरम कोट नहीं पहन सकता है। आपकी तीनों योजनाओं से कोई प्रोत्साहन किसान को नहीं मिला है। केवल जो तेजी आई है उसके परिणामस्वरूप उसकी रुचि उत्पादन में कुछ बढ़ी है। सरकार को चाहिये कि खाद और सिंचाई की सुविधा किसानों को दे। सहकारी खेती के नारे से किसान के हृदय में अपनी भूमि के स्वामित्व के बारे में अनिश्चितता पैदा होती चली जा रही है। सरकार को सहकारी खेती की नीति को वापिस लेना चाहिये।

किसान को जो कर्जा दिया जाता है वह उससे भी भयावह है जो वह पहले ग्राम में सूदखोरों से लेता था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैंने उनकी बजट स्पीच को ध्यान से सुना और पढ़ा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री को तात्कालिक समस्याओं की ओर स्पष्ट चेतना है। इतना ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि बड़े साहस और निर्भीकता के साथ उन्होंने भला काम किया है। आज की परिस्थिति में जो भी वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेगा निश्चय ही उसके ऊपर महंगाई की एक छाया दिखाई पड़ेगी। वित्त मंत्री जी ने इसको जरा सा भी छिपाने का प्रयास नहीं किया है। जहां तक महंगाई की बात है अगर प्रदेश को सिंगिल आउट करके बात की जायगी तो वस्तु स्थिति के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं हो सकेगा। विकासोन्मुख व्यवस्था में महंगाई तो बढ़ती ही है और किस प्रकार से हमारा अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक बढ़ता रहा है वह इन आंकड़ों से स्पष्ट दिखाई देता है। १९५६–५७ में जबकि वह ८७.६ था, ५७–५८ में वह १०२.३ हो गया, १९५८–५९ में वह हो गया १०३.४ और बढ़ते बढ़ते ६३–६४ में वह १६६.३ हो गया। इसके लिये केवल यह प्रदेश ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक सर्वदेशीय आर्थिक फैक्टर है।

अब देखना यह है कि इस प्राइस इन्डेक्स को डाउन करने के लिये क्या सरकार ने कोई प्रयत्न किया है या नहीं। ऐसे प्रयास के संकेत निश्चित रूप से इस बजट में दिखाई पड़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं। अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के संबंध में वित्त मंत्री जी ने संकेत किया कि तनख्वाहें नकद रूप में बढ़ाना मुनासिब नहीं हैं, इसलिये उनको अधिक नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसलिये उनके लिये सस्ते मल्यों पर सामान मिलने के लिये दूकानें खोली

जा रही हैं। इससे महंगाई बढ़ने की दिशा में कुछ रोक लग जायगी। महंगाई को रोकने का एक उपाय यह हो सकता है कि जिस हिसाब से विकास कार्यों में रुपया लग रहा है उसी हिसाब से उत्पादन भी बढ़ना चाहिये। इसकी ओर भी वित्त मंत्री जी की दृष्टि गयी है। सिंचाई व्यवस्था की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। बजट वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं से ४ लाख ३ हजार एकड़ और बड़ी योजनाओं से २ लाख ४५ हजार एकड़ अधिक सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाये जाने का प्रयत्न किया जायगा।

कृषि के अतिरिक्त औद्योगीकरण का वातावरण भी इस प्रदेश में पैदा करना नितान्त आवश्यक है। लेकिन वह जितना होना चाहिये, वह अभी नहीं है। लेकिन फिर भी उस ओर ध्यान दिया गया है। विद्युत का उत्पादन बढ़े और बच्चों को टेकनीकल एजूकेशन अधिक दी जाय इस ओर भी ध्यान देकर औद्योगीकरण का वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया गया है। तीसरी योजना के अन्त तक एक लाख २४ हजार मेघावाट बिजली का उत्पादन हो जायगा, जिससे बहुत से औद्योगिक कार्यकलाप बढ़ सकेंगे। टैक्नीकल एजूकेशन की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिक सुविधा देने की बात सोची गयी है। इस बजट में आप देखेंगे कि पिछड़ी जाति के बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था करने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जातियों के लिये भी ३ करोड़ ५६ लाख रखा गया है। यह लोक-तंत्र को मजबूत बनाने की ओर विशेष कदम है। उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था करने के अलावा लोगों को अपने अधिकार और कर्त्तव्यों की शिक्षा भी देना सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस ओर निश्चित रूप से इस बजट में कदम उठाये गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कदम आर्थिक प्रसाधनों की मर्यादा और सीमा के अन्दर है। यदि विरोधी दल के सदस्य बजट की समालोचना करते हुए इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसके साथ न्याय नहीं हो सकेगा।

जहां कहीं विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होनी होती है, निश्चय ही हमारा ध्यान पूंजी के इनवेस्टमेंट की तरफ जाता है। पूंजी इनवेस्टमेंट के द पहलू होते हैं। एक तो यह कि किन रिसोर्सेज से पूंजी को इकट्ठा करें और दूसरा यह कि टैक्सेशन उसका एक आवश्यक अंग हो जाता है। टैक्सेशन का नाम जब लिया जाता है तो हमारी रूह कांप जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हमारे कई मित्र कहते हैं कि टैक्सेशन अब सैचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गया अब उसका नाम न लीजिये। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं कि टैक्सेशन का नाम न लिया जाय लेकिन उसके लिये कौन-सा उपाय है जिसके द्वारा हमें अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये अग्रसर होना चाहिये? सिवा इसके कि टैक्सेशन अब न किया जाय, बकाया टैक्सेज की वसूली की जाय, और कोई ठोस कदम उठाने का सुझाव आपकी तरफ से नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस तरह से एकांगी बात करने से काम नहीं चलने का है। विकास के लिये समाज के हर अंग को पूर्ण रूप से विकसित करना हमारा काम है। केवल सरकार का ही यह काम नहीं है। एक तरफ यह कहना कि प्रशासन अच्छी तरह से चले और टैक्स न लगाये जाय वरना हम आन्दोलन करेंगे, मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र का परिहास करना है। यह कहना कि हमसे टैक्स भी न वसूल किया जाय औरविकास का काम होता रहे, और फिर उसके लिये आन्दोलन करना, मैं समझता हूं कि बिलकुल अप्रजातांत्रिक तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध रुख रखना है। इसी रुख के फलस्वरूप विरोधी दल की तरफ से जब यह बात कही जाती है तो इसका अर्थ है कि "स्टेटस को" कायम रहे।

बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी परम्पराओं के अनुकूल नियोजन होना चाहिये। जिस समय कोई परम्पराओं की बात कहता है उसको देखना चाहिये कि आज से १७–१८ वर्ष पहले नियोजन की कोई परम्परा रही है या नहीं। आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि आर्थिक संघर्ष के फलस्वरूप ही नियोजन की बात पश्चिमी देशों की तरफ से यहां आयी। जो समाजवादी विचार वाले सदस्य यहां बैठे हुए हैं वे इस बात को अच्छी तरह

[श्री रामलखन शुक्ल]

से जानते हैं कि नियोजन का प्रश्न वहीं खड़ा हुआ जहां सीमित साधनों के अन्दर अधिक से अधिक उन्नति करने की बात हुई। मैं समझता हूं कि हमारे समाजवादी विचारक और इतिहास के जानकार इससे इनकार नहीं कर सकते कि नियोजन की बात सबसे पहले सक्रिय रूप से रूस में आयी। मैं समझता हूं कि यदि आप अपनी पुरानी परम्परा पर विचार करेंगे तो पायेंगे कि पहले यहां नियोजन की कोई परम्परा ही नहीं थी। पुरानी परम्परा व संस्कृति की बात कह कर नियोजन के कार्यकलापों को जनता की आंखों से ओझल करना सही कदम नहीं होगा। इस तरह से जनता की आर्थिक दशा में कोई परिवर्तन हर्गिज नहीं आ सकता। जो भी वास्तविक स्थिति है उसका सामना करना है। आपको बतलाना चाहिये कि नियोजन के काम में कहां खामी है, उसके कार्यान्वयन में कहां खामी है और मुझे आशा है कि हर समझदार आदमी इसको स्वीकार करेगा और स्वीकार करके जहां अपने को असहाय पायेगा आपसे आपकी योग्यता के अनुसार उसका विकल्प पूछेगा कि इसको हम कैसे दुरुस्त करें।

बजट पर बहस करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिये। और यह सोचकर चलना चाहिये कि हमारी कमजोरी किस ढंग से ठीक हो। इस सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के संबंध में कुछ कदम उठाये हैं। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है कि वह कम है या बेश है। वह यह कह सकते हैं कि उनके साधन इतने ही हैं और उनका बजट इतना ही एलाऊ कर सकता है। एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह जो महंगाई की दर में वृद्धि की गई है ५० रुपये वालों तक को ५ रुपया, ५१ से १५० तक वालों को दस रुपया और १५१ से ४५० तक वालों को साढ़े १२ रुपया, मेरे खयाल से समाजवादी विचार धारा के अन्तर्गत इस प्रकार से सोचने का क्रम और ढंग बदलना चाहिये। हमें ५० रुपया तक पाने वालों को साढ़े १२ रुपया उससे ऊपर वालों को दस रुपया और ४५० तक वालों को ५ रुपया देना चाहिये था। यह जो ५० रुपया वालों को ५ रुपये की बढ़ोत्तरी दी गई है वह नहीं के बराबर है। मैं नहीं कहता कि साधनों के बाहर जाकर उनके घर में दूध बरसा दिया जाय या हलवा पूरी उनको परोस दिया जाय लेकिन जब आप एक समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत चलते रहने की घोषणा बार-बार करते हैं तो जो सबसे गरीब है, जिसकी आय सबसे कम है उसकी ओर पहले आपको अपनी दृष्टि डालनी चाहिये और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके समाजवादी कार्यक्रम में यह एक महान त्रुटि रहेगी, ऐसा मेरा विचार है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने उत्तर में इसका जस्टिफिकेशन दे।

इसके अतिरिक्त मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान अध्यापकों की समस्याओं की ओर भी आकृष्ट करूंगा। आपने जूनियर बेसिक स्कूल के अध्यापकों के वेतन में ५ रुपया महंगाई की वृद्धि कर दी वह बहुत ही कम है। मैं चाहता हूं कि अपने बजट की सीमाओं के अनुसार जो प्रोपोर्शन और प्रतिशत आप विभिन्न मदों में खर्च करते हैं उसके अनुसार आप एक बार शिक्षा में भी घोषित कीजिये कि शिक्षा पर आप कितने प्रतिशत व्यय करने जा रहे हैं और उसके बाद आप यह भी घोषणा करें कि शिक्षा में आप जो प्रतिशत व्यय करने जा रहे हैं उसमें से आप कितने प्रतिशत शिक्षकों के वेतन आदि पर खर्च करने की बात सोचते हैं। जितनी भी योजनायें आती हैं उन पर होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च का हिसाब लगाकर उनमें पैसा रखा जाता है कि उन पर कितना वेतन में और भत्ते आदि में खर्च होगा। मैं जानता हूं कि एक माकूल मात्रा रकम की इस मद में सभी योजनाओं में रखी जाती है। आप कृपया इसकी व्याख्या दिलायें कि शिक्षा पर जो कुल बजट है उसका कौन सा अंश आप व्यय कर रहे हैं और उसमें से भी अध्यापकों के वेतन आदि पर आप कितना व्यय कर रहे हैं। आपने यह ५ रुपया बढ़ा दिये लेकिन दूसरे प्रदेशों में जो प्राथमिक शिक्षकों का वेतन है, उससे आप अपने यहां का मुकाबला करें तो आपको वस्तुस्थिति मालूम होगी, अन्य प्रदेशों में कोई ऐसी विशेषता भी नहीं है कि और सूबों में कोई बड़ी महंगाई हो या पहाड़ी क्षेत्र हो जहां और खर्च सामान पहुंचने के अधिक होते हैं वह बात भी नहीं है। कोई कारण नहीं है कि हमारे यहां के अध्यापकों की इस प्रकार की अवहेलना हो।

समान कार्य के लिये समान वेतन देने के सिद्धान्त की घोषणा आप पहले ही कर चुके हैं। जो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक हैं उनको सरकारी स्कूलों के समकक्ष लाने में कठिनाई हो सकती है लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है इसलिये सिम्बालिक रूप में ही सही इन अध्यापकों की ओर ध्यान जाना चाहिये। यह उत्तर उचित प्रतीत नहीं होता कि उनका पहले बीस रुपया बढ़ चुका था इसलिये हेड मास्टरों का बढ़ा दिया है और उनको छोड़ दिया है और जूनियर वालों को छोड़ दिया है। मंत्री जी इस पर विचार करें कि तब से अबतक मंहगाई और अन्य परिस्थितियों में बहुत अन्तर हो गया है, मैं यह नहीं कहता कि आप इतना अवश्य ही दीजिये और अध्यापकों ने जो अपना यह रुख अपनाया है कि अपनी बात मनवाने के लिये वह आने वाले ए जामिनेशन्स का बाईकाट करेंगे वह मुनासिब नहीं है, वह बड़ी अनहेल्दी चीज है उससे उनका और समाज का या इस प्रदेश का कल्याण नहीं होगा। अगर सरकार ने जरा चालाकी की तो जिन छात्रों की बदौलत वह अध्यापक बने हुये हैं वही उनके खिलाफ जायेंगे और उनके और छात्रों के बीच एक विषम वातावरण पैदा हो जायगा जिसको वह उस समय कंट्रोल न कर सकेंगे। उनको अध्यापकों की जिम्मेदारी को समझ कर अपना आचरण करना चाहिये और सरकार को भी उनकी कठिनाई को देखते हुये एक सहानुभूति का रुख अपनाना चाहिये इसी में दोनों का वास्तविक हित है। उनको अध्यापक की तरह से ही व्यवहार करना चाहिये, उनको अपना संतुलन नहीं खोना चाहिये। मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि जहां उन्होंने टैक्स की बात कही है वहीं यह भी कहा कि कर उन्हीं पर लगायेंगे जिनकी कैपेसिटी है कर देने की, जिन्होंने आज की आर्थिक व्यवस्था में अपने को आर्थिक दृष्टि से मजबूत किया होगा उन्हीं पर टैक्स लगायेंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर डटे रहें और सोचें कि वास्तव में कौन सा वर्ग है जिसने फायदा उठाया है। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वह सदा के लिये धन्यवाद के पात्र होंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, बजट हर साल प्रस्तुत किया जाता है। मुझे निवेदन करना है कि अधिकतर सदस्य, इधर के हों या उधर के, बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं रख पाते कि कैसे बजट बनता है और कहां पर रुपया खर्च होता है। हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं जहां बहुत से काम आवश्यक होते हैं लेकिन उनके लिये हम बजट में कोई व्यवस्था नहीं रखा पाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जब सालाना बजट बने तो कम से कम ५०,००० रु० या १ लाख रु० की ग्रान्ट सदस्यों की इच्छानुसार उनको दी जानी चाहिये। जिसे वह अपने क्षेत्रों में खर्च करा सकें। मैं यह नहीं कहता कि आपके जो नियोजन के काम हैं उनको न करें। उनको आप चालू रखें, लेकिन बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं जिनकी जानकारी क्षेत्रीय एम० एल० ए० के अलावा और किसी अधिकारी को नहीं हो सकती। अतः अगर उनके कहने से लाख, पचास हजार रु० हर साल उनके क्षेत्र में खर्च हो तो मुझे विश्वास है कि इससे सबका कल्याण हो सकता है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेशीय सरकार इस दिशा में अगुवाई करेगी और आगे के जो बजट होंगे उनमें सदस्यों से लाख, पचास हजार रु० के प्रोपोजल मांग कर उस बारे में व्यवस्था करने की दिशा में कदम उठायेगी। जो बजट इस साल का प्रस्तुत हुआ है इससे पिछले बजट साल में जो अब खत्म होने वाला है अन्न का भयंकर कष्ट रहा है। हमारे साथियों ने अन्न के पैदावार की कमी की बात की है। अगर किसानों को केवल आप पानी दे दें तो पैदावार बढ़ सकती है। मैं तो चाहूंगा १७ वर्ष के बाद अगर सरकार मुफ्त पानी किसान को देती, तो अरबों रुपया जो हमको बाहर से गल्ला मंगाने पर खर्च करना पड़ता है उसकी जरूरत ही न पड़े। अगर हम इस दिशा में सोचें तो मुझे विश्वास है कि भारत का अन्नदाता किसान देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को खिला सकता है। अतः भारत भूमि से विश्वास खोना ठीक नहीं है। होता क्या है? मैं बताऊं कि रसायनिक खाद की जो आप बात करते हैं उसके लिये पानी तो आप दे नहीं पाते फिर भला उससे कैसे लाभ

[श्री सत्यनारायण पाण्डेय]

हो ? हमारे क्षेत्र में एक जगह ग्राम सेवक ने जबरदस्ती रसायनिक खाद दे दी जब कि सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि सारी फसल झुलस गयी। इससे तो अगर रसायनिक खाद न दी जाती तभी अच्छा रहता। कम से कम कुछ तो उस खेत में पैदा हो जाता। इसलिये हमारे किसानों के लिये सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। आपने नहर विभाग खोला है पर उनके कर्मचारियों से किसान अत्यन्त परेशान और पीड़ित हैं। भले ही उनके खेतों में कुछ पैदा न हो पर वे उनसे पानी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं कि किसान पानी नहीं लेता पर उनसे पानी कर की वसूली की नोटिस आ जाती है और उनसे पानी का टैक्स ले लिया जाता है। अगर हमारी सरकार मुफ्त पानी की व्यवस्था कर सके तो हमारे अन्न की पैदावार दुगुनी हो सकती है।]

खाद्य विभाग के संबंध में मैं क्या कहूं वहां तो अत्यन्त अंधेर है। यद्यपि यह सरकार अपने को किसानों की सरकार कहती है लेकिन शहर में तो वह एक यूनिट पर १ किलो शक्कर देते हैं पर देहात में एक यूनिट पर केवल १ छंटाक ही पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वितरण का क्या औचित्य है ? शहर वाले तो एक यूनिट पर एक किलो शकर खायें और गांव वाले एक यूनिट पर केवल एक छंटाक। आप कहते हैं कि उन्हें गुड़ खाना चाहिये। आज आजादी को आये भी १७ वर्ष हो चुके हैं और इन १७ वर्षों के बाद भी चीनी ठीक ढंग से नहीं देते। देहातों में लड्डू नहीं मिलते हैं, समोसे नहीं मिलते हैं। वहां पर जाड़ों में भी चीनी का शरबत देते हैं परन्तु देहात वालों को १ यूनिट पर एक छटांक से ही सब्र करना पड़ता है। यही नहीं जो मिलती भी है वह भी सभापति की मर्जी से मिलती है। जिस पर उनकी कृपा होती है उसे ही मिल पाती है। देहातों में अधिक से अधिक १० प्रतिशत लोग हैं जो चीनी पा जाते हैं। ९० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्हें चीनी प्राप्त ही नहीं होती। अतः मैं सुझाव देता हूं कि गांवों में भी कार्ड प्रणाली चालू की जाय ताकि अगर एक यूनिट को १ छंटाक चीनी मिलती है तो वह कम से कम सब को तो मिल सके। मुझे आशा है सरकार इसको अविलम्ब चालू करने की व्यवस्था करेगी।

मेरे पूर्व वक्ता ने अभी कहा है कि यह सरकार एक समाजवादी सरकार है पर खेद है कि इस ऐसी समाजवादी सरकार में जो बड़े-बड़े अफसर हैं उनको ज्यादा मंहगायी दी गयी और छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको कम। इस समाजवादी सरकार ने चपरासियों को तो ५ रु० और अफसरों को कहीं अधिक महंगायी दी है। मुख्य रूप से म लोकल बाडीज के कर्मचारियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों को अधिक महंगायी मिले और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी को कम महंगायी दी जाय यह कहां का इन्साफ है ? इसके अतिरिक्त सुचेता सरकार का कर्मचारी कम महंगायी पाये और लालबहादुर सरकार का कर्मचारी अधिक पाये, यह क्या असमानता है ? वे लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, एक स्थान से चीजें लेते हैं लेकिन बदकिस्मती से वे स्टेट सरकार के कर्मचारी हो गये और वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। पता नहीं यह क्यों जब कि उसी पार्टी की सरकार केन्द्र में है और उसी पार्टी की सरकार स्टेट में है। म माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अगले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को रखें। कर्मचारियों के ग्रेडों में अन्तर हो सकता है लेकिन महंगायी भत्ते में अन्तर हो, यह समझ में नहीं आता है मेरी समझ में तो यह अन्तर नहीं होना चाहिये। मुख्य मंत्री सम्मेलन में हमारी मुख्य मंत्री इस प्रश्न को उठावेंगी ताकि देश के कर्मचारियों की महंगाई एक स्तर पर आ सके।

इस बजट में दो तीन विश्वविद्यालय और खोलने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति होने वाली थी लेकिन वह हाई कोर्ट के कारण रुक गयी और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस कार्यकाल में नियमानुसार उनका वेतन २वस ७५० रुपये होना चाहिये था जैसा कि ऐक्ट में है। लेकिन उपकुलपति नियम विरुद्ध के,००० रुपया वेतन ले रहे हैं। फायनेन्स डिपार्टमेंट से कहा गया, अखबारों में निकाला

गया लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं किया गया। इसके अलावा पुलिस के रिटायर्ड आफिसर्स, रिटायर्ड जजेज और आई० सी० एस० आफिसर्स अब वाइस चासलर नियुक्त किये जाते हैं। ये लोग किस प्रकार ५, ६ हजार विद्यार्थियो को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उनमें यह क्षमता होती है और इतना चरित्र बल होता है कि विद्यार्थियों को कंट्रोल कर सकें और उनको अनुशासन में ला सकें। यह जो आज विश्वविद्यालयों में विषम परिस्थिति है, अनुशासन-हीनता है उसका कारण यही है कि उपकुलपति ऐसे नियुक्त कर लिये जाते हैं जिनका कोई संबंध शिक्षा से नहीं होता है।

वित्त मंत्री ने लाखों रुपया बेसिक शिक्षा के लिये रखा है। बुनियादी तौर पर बेसिक शिक्षा ठीक चीज है लेकिन शिक्षा मंत्री जी उसके लिये एक कमेटी बनायें, मूल्यांकन हेतु, जो यह पता लगा सके कि कितना रुपया उपयोग में लाया गया है? देहातों में आपने रंग भेज दिये हैं चित्र बनाने के लिये लेकिन वहां इमारत नहीं है। या तो वे रंग और साज सज्जा बक्स में बन्द है या दीमक उनको खा गई। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है कि बेसिक स्कूलों के धनका तथा साज सज्जा का बड़ा दुरुपयोग हुआ है।

कुछ बात ला ऐंड आर्डर के संबंध में कहना है कि स्थिति बड़ी गंभीर है। देहातों में जहां पहले बल्लम और फरसे लोग ले कर चलते थे अब हथगोले लोग चलाते हैं। सरकार ला ऐंड आर्डर की स्थिति को ठीक करने के लिये बल्लम और फरसे पर प्रतिबन्ध लगाये, क्योंकि इनसे हम चीन के हमले को नहीं रोक सकते हैं। इससे हम लोग बहादुर नहीं बनते हैं बल्कि गुंडई को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। हमारे यहां पुलिस कप्तान साहब का अजीब रवैया है। उनसे कहा जाता है कि फलां जगह जुआ हो रहा है लेकिन वह नहीं रोक पाते हैं। थानेदारों से उनका गठबंधन है और बहुत थानेदार उनके पेट हैं। अब परंपरा यह हो गई है कि अफसर लोग मेम साहब के जरिए रुपया लेते हैं। यह अजीब दलाली चल गई है। इसी कारण से हमारे यहां ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं हो पाती है।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बजट भाषण के पश्चात् यहां पर जो चर्चा का मुख्य विषय रहा है, वह खाद्य स्थिति और कीमतों के बारे में रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अपनाये गये रास्तों के ऊपर कुछ कहने से पूर्व मैं उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिनके मातहत किसी देश में या प्रदेश में कीमतों का बढ़ना आधारित होता है। हमारे देश में या प्रदेश में जो आर्थिक व्यवस्था है वह डेवलपिंग स्टेज पर है और हमारा जो प्लानिंग है वह लांग टर्म के मातहत चलने वाला है। तीसरी बात जो कीमतों के बढ़ाने में मुख्य होती है वह यह है जिसको बैंक पैदा करते हैं और एडीशनल क्रेडिटिंग द्वारा भी कीमतों पर काफी असर पड़ता है। चौथी बात हमारा डेफीसिट फाइनेंस है। जिस प्रदेश में ये चार चीजें होती हैं वहां कीमतें जरूर बढ़ती है। अब सरकार क्या करे जिनके द्वारा अपने प्रदेश के अन्दर इन कीमतों को एक निश्चित पैमाने पर रखा जा सके। उनके अपनाने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि सरकार ने उनको अख्तियार किया या नहीं?

हमारी सरकार की कुछ नीतियां अच्छी रही हैं और उनमें से कुछ नीतियां जिनको कि हमारी सरकार को अपनाना जरूरी था, अच्छी नहीं रही हैं। सरकार ने एक तरीका यह अख्तियार किया कि जो गेहूं बाहर का था उसकी कीमत निर्धारित की। इसके बाद जो अपने देश की पैदावार थी उसकी कीमत निर्धारित नहीं की। इससे यह हुआ कि देश के व्यापारियों की और प्रदेश के व्यापारियों को जानकारी थी कि हमारी सरकार के पास कितना गेहूं है। जब तक आपने वह गेहूं सप्लाई किया तब तक व्यापारियों ने अपना गेहूं नहीं निकाला। इस तरह से जो आपकी फेयर प्राइस शाप्स की पालिसी थी वह नहीं होनी चाहिए थी। इससे व्यापारियों को बढ़ावा मिला।

[श्री रामसिंह]

दूसरी बात यह है कि हमारा नियोजन लौंग टर्म का है। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि कुछ चीजें प्लानिंग में ऐसी हैं जिनसे एक निश्चित अवधि में उससे आमदनी शुरू होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि पंचायत-घर बनाने की बात चली, आप पंचायतघर आदि बनाने के लिए १०-१५ हजार रुपया देते हैं। किन्तु मेरा कहना है कि बजाय १०-१५ हजार रुपया इन चीजों पर खर्च करके जहां तक नियोजन की स्कीमों का प्रबंध था आपको सिंचाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको कृषि की पैदावार की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने अपने नियोजन में जितनी स्कीमें बनाईं उसमें रिटर्न की बात नहीं सोची जबकि हमें यह चाहिए था कि हम रिटर्न की बात पहले सोचते। बिना रिटर्न प्राप्त किये नियोजन स्कीमों पर इन्वेस्ट करना हानिकारक होगा और इससे नियोजन के मार्ग में बाधायें आ सकती हैं। कृषि मंत्री यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हू कि कृषि मंत्री साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, किन्तु मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि जितना भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है उतना शायद ही अन्य किसी सरकारी विभाग में हो। जितनी खाद और बीज सरकार देती है किसानों को बांटने के लिए, वह सारा का सारा बीज और खाद तथा दूसरे भी कृषि के साधनों की चोरी होती है और उनका दुरुपयोग होता है। खाद बीज किसानों तक सही रूप में नहीं पहुंच पाते हैं बीच में ही यह भ्रष्टाचारी कर्मचारी उसे अपने लाभ में इस्तेमाल कर लेते हैं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

फर्टिलाईजर तो कोआपरेटिव बांटता है।

श्री रामसिंह—

जब आपका नम्बर आये तब आप अपनी बात कहना, इस समय मुझे अपनी बात कहने दीजिए। एक बात मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं जो सिंचाई के बारे में है। आप चाहे जितनी खाद दें, चाहे जितने बीज दें और किसानों को चाहे जितना कर्ज बांटें, जबतक सिंचाई उपलब्ध नहीं होगी आपकी पैदावार नहीं बढ़ सकती, यह निश्चित बात है। बिजली के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के जितने गांवों में बिजली लगी है, उसमें हमारा निश्चित मत है कि एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, जिसमें गरीब बस्ती या हरिजन बस्ती हो और उसमें बिजली लगाई गई हो। मैं अपने क्षेत्र की बात भी कर रहा हूं, शायद एक दो स्थानों को छोड़कर जहां पर शायद किसी एप्रोच या राजनीतिक दबाव के कारण बिजली लगी हो अन्य किसी भी गरीब बस्ती या हरिजन बस्ती के गांव में बिजली नहीं लगाई गई है।

इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे सरकारी ढांचे में आमूल परिवर्तन होना चाहिए और इसको सरकार को महसूस करना चाहिए। यही कारण है कि जो हमारा प्रशासन चलाते हैं हम उन पर कोई काबू आज नहीं रख पाते हैं। मैंने इस संबंध में एक बार यह सुझाव भी रखा था कि इसमें विशेष परिवर्तन होना चाहिए। आप आज के समय में जो दोहरी शासन प्रणाली चला रहे हैं वह भी ठीक नहीं है और वह बहुत ही दोषपूर्ण है। ग्रामों के क्षेत्र में ब्लाक भी हैं और तहसील्स भी हैं। सारा काम तो ब्लाक के जरिए विकास संबंधी होता है और ऐसी स्थिति में तहसील के केवल दो काम रह जाते हैं लैंड के रिकार्ड अपने पास रखना और लैंड रेवेन्यू वसूल करना। आपको तहसील को वहां पर से उठाकर उसका सारा काम ब्लाक स्तर पर सौंप देना चाहिए जिससे आपका प्रशासन सीधा होगा और बचत भी होगी। और पंचायतों के जो डिसेन्ट्रलाईजेशन की आपकी स्कीम है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि पंचायतों को ग्राम सभा वाइज कर दें। आपकी जितनी स्कीम्स हैं गांवों में उसका प्रचार होना चाहिए और उस स्कीम को लागू करना चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि हर गांव सभा स्तर पर आप एक ऐसा जिम्मेदार अधिकारी रखें और उसके जिम्मे यह होगा कि तमाम गांव का रिकार्ड उसके जिम्मे होगा, लैंड रिकार्ड उसके पास

होगा, रेवेन्यु रिकार्ड उसके पास होगा और प्रोडक्शन संबंधी सारे आंकड़े उसके पास होंगे। उसके पास यह सारा कार्य होगा। जब पैदावार न ठीक हो तो उस आदमी से आप त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक स्टेटमेंट मंगवायेंगे कि उस गांव में निश्चित और अच्छी पैदावार न हो सकने के क्या कारण हैं। वही उपज कम होने के कारण बतायेगा और उसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उपज क्यों कम हुई।

एक बात मैं और आपके सामने कहना चाहता हूं, जो मैं महसूस करता हूं। जो पुलिस का ढांचा हमारे प्रदेश में है, उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए। मुझे दुःख है कि स्वतंत्रता के पहले पुलिस का जो ढांचा और रवैया था वही चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। निश्चित रूप से आपको इस पर सोचना चाहिए कि इसमें कोई तब्दीली हो। प्रशासन के दूसरे विभागों का भी यही हाल है। मिसाल के तौर पर सिविल सप्लाई की बात कहता हूं, आज भी डी० एस० ओ० का आफिस उसी तरह का है उसकी सारी कार्य प्रणाली उसी तरह की है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बात और है जो बहुत दिनों से मैं कहना चाहता हूं किन्तु अधिवेशन न होने के कारण नहीं कह सका वह यह है कि २ लाख की आबादी में आपने बस या बारह दुकानें खोल दीं जो गेंहूं वितरित कर सकें। आपने ब्लाक अधिकारियों को गाड़ियां दे रखी हैं, घूमने के लिए, बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए। मैं समझता हूं कि आपके सप्लाई विभाग ने गेहूं तो देहात में दिया ही नहीं, वह तो शहरों तक ही सीमित रहा है। जब आप इस प्रकार का इन्तजाम नहीं कर सकते थे कि देहातों को भी गेहूं सप्लाई कर सकें और शहरों को भी दें तो आपने ऐसी व्यवस्था क्यों की? यदि कोई गेहूं लेने जाता है तो वह पूरे दिन का समय तो खराब करता ही है और उसके साथ ही साथ उसे गेहूं भी नहीं मिल पाता। आप इस प्रकार का इन्तजाम क्यों नहीं करते हैं कि २ गाड़ियों को गेहूं से भर कर मोहल्ले मोहल्ले राशन बांटते। आज सुबह से शाम तक आदमी खड़ा हुआ है, गेहूं के लिए, उसकी दिन भर की मजदूरी भी गई और उसको आखिर में गेहूं नहीं मिला।

इसी के साथ-साथ मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि एक परिवार नियोजन स्कीम आपकी चल रही है। क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी करने की कभी कोशिश की है कि जो परिवार नियोजन में काम कर रहे हैं और परिवार नियोजन की बात लोगों को सिखा रहे हैं, कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की है कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके पास कितने बच्चे हैं और उनके परिवार के कितने लोगों ने परिवार नियोजन की बातों के अनुसार काम किया है? इस बात का पता लगाने से मालूम होगा कि वे लोग जो कि इस परिवार नियोजन के कार्य में लगे हुए हैं, उनके पास स्वयं ८ बच्चे हैं और फिर भी वे परिवार नियोजन के अनुसार स्वयं नहीं चल रहे हैं। जिस स्टाफ को आपने इस कार्य के लिए लगाया है, उसको भी परिवार नियोजन करना चाहिए। शिक्षा तो आप दूसरों को देते हैं, लेकिन आप स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं। यदि आपने आज किसी अधिकारी को करप्शन रोकने के लिए डिप्यूट किया है, उसको डिप्यूट करने से पहले ही आपको इस बात की जानकारी कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है वह व्यक्ति स्वयं करप्ट तो नहीं है। यदि वह आदमी ठीक हो तो उस आदमी को उस कार्य के लिए आप लगाइये।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि इस फूड की पालिसी को अच्छी तरह चलाने के लिए ३ चीजें बहुत आवश्यक सरकार के लिए हैं। पहली चीज तो यह है कि उस वस्तु के लिए जो नित्य प्रति हमारे उपयोग में आती है, उसकी ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कीमत तय होनी चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि किसान जब गेहूं बेचे और जब वह खरीदे, तो उसमें कोई ज्यादा अन्तर न होना चाहिए। दूसरे यह कि जो पालिसी थी आपकी फेयर प्राइस शाप्स की इसको खत्म करके आप दूसरा तरीका अख्तियार करें।

तीसरी बात जो बहुत ही आवश्यक है, वह यह है कि आपका होलसेल ट्रेडिंग आफ दी ग्रेंस जो है, वह स्वयं स्टेट के हाथ में होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट की पालिसी को आपने अख्तियार

[ श्री रामसिंह ]

किया है उसके बारे में मुझे कहना है कि जितना अनाज आपके काश्तकार को मिले, आप उसी गांव में स्टोर कर दीजिए, जिस गांव से आप लें। स्टोर करने के बाद जब कोई इमर्जेन्सी हो, तो वह अनाज उन्हीं आदमियों को मिलना चाहिए, जिस आदमी ने उस अनाज को दिया है। जिस गांव से जितना अनाज मिले, वह अनाज उसी गांव में रखा जाय, बजाय इसके कि शहर में लाया जाय। जिस गांव का स्टाक हो, उसी गांव में दिया जाय। जैसे ६ या ७ गांव का एक सर्किल बनाया और अनाज को एक स्थान पर खरीद करके स्टोर कर दिया और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर, वह अनाज उसी गांव में बटे।

एक बात विशेष रूप से टैक्सेज के सिलसिले में कही गई। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मगर हम यह चाहते हैं कि सरकार यदि कोई उन्नति का कार्य करे, जिससे जनता का लाभ हो, जैसे स्कूल ज्यादा खोले तो उसके लिए टैक्सेज लगाने की आवश्यकता होगी। अगर हम यह कहें कि हमें पैसा भी ज्यादा चाहिये, तरक्की भी ज्यादा हो और पैसा कहीं से लिया न जाय तो यह नामुमकिन बात है।

एक बात हरिजनों के लिये जो इसमें २५ और ४५ फीसदी वाली है उसके लिये मैं यह कहता हूं कि उसको तेजी से लागू करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हू और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये है उन पर सरकार अवश्य विचार करेगी और अमल करेगी।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बजट स्वराज्य का बजट है, रामराज्य का बजट है या यमराज का बजट है। इस विधान भवन के सामने कल से तीन-तीन आदमी पूर्वी यू० पी० के प्रतीक रूप में अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है? बलिया को पटेल आयोग के अन्दर शामिल किया जाय। यह लड़ाई शुरू की थी गौरीशंकर राय जी ने, लेकिन वे तो अब मुख्य मंत्री जी के पोलिटिकल पी० ए० हो गये और उस लड़ाई को उन्होंने छोड़ दिया और उस झंडे को फेंक दिया। बलिया के आम लोगों ने अब इस लड़ाई को अपने ऊपर ले लिया कि बलिया को टेप आयोग के मातहत शामिल किया जाय। श्रीमन् याचिका समिति के आप सभापति हैं। और उसने तय किया है कि बलिया और अन्य दो-तीन जिलों को भी पटेल आयोग में लिया जाय। कहा जाता है कि हमारी मुख्य मंत्री जी मां हैं, पता नहीं कैसी मां है, यह जाकर क्यों नहीं उन अनशनकारी लोगों से कहती हैं तुम लोग अपने अनशन तोड़ दो, यह केन्द्र का मामला जरूर है लेकिन हम आपकी मांगों के बारे में केन्द्र से लिखा पढ़ी करेंगी। हम जब बलिया, गाजीपुर और आजमगढ़ के पिछड़ेपन की बात करते हैं तो उसमें हम बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को भी इन्क्लूड करते हैं। हमारी हमदर्दी उनकी लड़ाई के साथ भी है। प्रदेश के वे तमाम जिले जो बहुत पिछड़े है हम पूरब के लोग तमाम के लिये संघर्ष करते हैं। गाजीपुर जिला ऐसा है श्रीमन् जो शिवपूजन राय पैदा कर सकता है जो कि मुहम्मदाबाद तहसील पर गोली झेल सकता है, वह उमाशंकर राय जैसा क्रान्तिकारी पैदा कर सकता है जो बरेली जेल में अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते शहीद होगया, बलिया चित्तू पांडे को पैदाकर सकता है लेकिन ये जिले सुचेता कृपलानी, बनारसीदास और दूसरे मिनिस्टर्स पैदा नहीं कर सकता है और इसीलिये हम लोगों की तरफ आपका ध्यान नहीं जा पाता। इसमें सुचेता जी हम लोगों का कसूर क्या है? आप चौथी मुख्य मंत्री हैं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)—

वे मुझसे सीधे कह रहे हैं, उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये कहें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप मेरी मार्फत उनसे कहें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

आपकी मार्फत ही उनसे कह रहा हूं कि आप चौथी मुख्य मंत्री हैं। पंत जी जब मुख्य मंत्री थे तब गेहूं १६ सेर का था, सम्पूर्णानन्द जी जब थे तो ५ सेर का, गुप्त जी के समय में ढाई सेर का था और आपके समय में ढाई पाव का, हम क्या करें? इसके लिये जिम्मेदार कौन है? सरकार की नीति तथा बड़े-बड़े लैंडलार्ड और इजारेदार, पूंजीपति जो अब व्यापारी के रूप में गल्ले के व्यापार में घुसे हुये हैं। जब हम आपको जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप नाराज होते हैं और कहते हैं कि यह सोशलिस्टिक राज्य है और हम सोशलिस्टिक बजट पेश कर रहे हैं। क्या यह सोशलिस्टिक बजट है? चपरासियों की तनख्वाह २२ रुपये, चौकीदारों की तनख्वाह ५ रुपये, छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह ५० रुपये है तथा दूसरी ओर बड़े अफसरों की तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं। पूंजीपति लखपति से करोड़पति होता जा रहा है। जैसा कि संतसिंह यूसुफ ने कहा कि लखपति करोड़पति हो गया और करोड़पति अरबपति हो गया। इस कांग्रेस के राज्य में गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने हदबन्दी कानून लागू किया और कहा कि ९, १० लाख एकड़ जमीन इससे बचेगी तो वह बेजमीन वालों को दी जायगी। अब वह जमीन कहां चली गई? हदबन्दी करने के बाद पता नहीं वह जमीन कहां चली गई। इस सरकार के राज्य में वह जमीन मिलती नहीं है। बंजर और परती के नाम पर १ करोड़ एकड़ के लगभग जमीन पड़ी हुई है। मैं चाहता हूं वह जमीन गरीब हरिजनों को बांट दी जाय। मैं हरीसिंह जी और दूसरे कांग्रेसी हरिजनों से निवेदन करूंगा कि वह अपनी सरकार से कहें कि वह एक करोड़ परती और बंजर जमीन हरिजनों में बांट दें मगर अपनी सरकार के सामने इस तरह से कहने की हिम्मत उनकी नहीं है।

शिक्षा की क्या प्रगति है इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि गरीब आदमी के बच्चे तो यूनिवर्सिटी में जा नहीं पाते हैं। जो शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये उसको नहीं किया जाता है। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल तक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये थी लेकिन वह लागू नहीं हुई। उन गरीब इन्सानों के बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। श्रीमन्, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में आप लोगों ने मंहगाई-भत्ता तो सुना होगा लेकिन घटोत्तरी महंगाई नहीं सुनी होगी। इस कांग्रेसी राज्य में घटोत्तरी महंगाई का एक नया तरीका निकाला गया है। प्राइमरी शिक्षक जो ५० रुपये तनख्वाह पाते हैं उनको २५ रुपया महंगाई मिलती है। ५१ रुपया जो तनख्वाह पाते हैं उनको २४ रुपया महंगाई मिलती है। ५२ रुपया जिनको मिलता है उनको २३ रुपया महंगाई मिलती है और इसी तरह से जिनको ५३ रुपया तनख्वाह मिलती है तो उनको २२ रुपया मंहगाई यह सरकार देती है। इस तरह से जैसे तनख्वाह बढ़ती है तो महंगाई कम होती चली जाती है।

यहां पर बजट पेश किया गया। उसमें ५० रुपये वालों को ५ रुपया, ५१ से १५० वालों को १० रुपया और १५१ से ४५० तक १२ रुपया ५० पैसा मंहगाई बढ़ाई गई है लेकिन प्राइमरी शिक्षकों के लिये मंहगाई भत्ता में एक-एक रुपया कम होता जाता है। एक ही तरह की योग्यता का काम करने वाले जो शिक्षक हैं दूसरी तरफ जब वे माडल टीचर होकर नार्मल स्कूल में जाते हैं तो २० रुपया महंगाई का फर्क पड़ जाता है। यही नहीं अभी जो ५ रुपया, १० रुपया और १२ १/२ रुपया मंहगाई में बढ़ोत्तरी हुई है जब सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों ने चिल्लाना शुरू किया तो उनकी बात को सुन कर सरकार ने पहली जनवरी से उनको महंगाई देने का निर्णय किया लेकिन प्राइमरी स्कूल के प्राथमिक शिक्षक, जो छोटे-छोटे बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बैठ कर राष्ट्र की रीढ़ तैयार करते हैं, उसकी तरफ क्या ध्यान दिया गया? कुछ भी नहीं। हमारे भाई जो गाजीपुर से आते हैं, कृष्णानन्दराय जी, उन से मैं इत्तफाक करता हूं। यह ठीक है कि वह हमेशा सरकार की मक्खन बाजी करते हैं लेकिन उसीके साथ-साथ वह कभी-कभी अपनी बात भी निकाल ले जाते हैं और इसीसे इसमें मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। (व्यवधान) पटेल प्रयोग ने तो हम लोगों की आत्म हत्या ऐसी हालत कर दी है कि इस प्रकार जब पूर्वी जिलों की तरफ ध्यान देने की बात कही

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

आती है तो यहां कह दिया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने पटेल आयोग की नियुक्ति कर दी है; वह कर रहा है। जब वहां कहा जाता है तो वे कहते हैं कि तुम्हारी उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करती ही नहीं। अशोक मेहता साहब जब गाजीपुर गये थे तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वहां गंगा पर पुल बनाया जायगा। जब पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर साहब से पूछा तो उन्होंने जबाव दिया कि यह मामला तो केन्द्र का है, हम क्या करें। सदन में तथा बाहर सभी लोग जानते हैं कि पी० डब्लू० डी० में इस सिलसिले में दो, दो फाइलें चल रही हैं और दो-दो जगह सर्वे हो रहा है। वहां की जनता की मांग है कि गाजीपुर में गंगा पर पुल बनना चाहिये क्योंकि वह गाजीपुर का गोरखपुर से, आजमगढ़ से, बलिया और बनारस से सीधा संबंध जोड़ देता है। इस सरकार का बिहार से भी संबंध जुड़ जाता है इस पुल के कारण, लेकिन हमारे मिनिस्टरान हमारी इस आवाज को दबाते हैं। कृष्णानन्द जी ने बतलाया कि शिक्षा में ३३ आइटम हैं जिनमें से पूर्वी जिलों के लिये कोई भी आइटम नहीं है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थायें दो प्रकार की होती हैं—प्राइवेट या सरकारी, लेकिन गाजीपुर में जो सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल है वह न सरकारी है और न प्राइवेट। पिछली लड़ाई में सरकार को जर्मन मिशन ने दिया था। हमारी मांग है कि सरकार उसे राजकीय स्कूल घोषित करे। आज सभी इस बात को रियलाइज करते हैं कि पूर्वी जिले पिछड़े हुए हैं। (व्यवधान) शिक्षा के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। एड के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिलता, इस मद में उनको २२ नये पैसे प्रति व्यक्ति मिलता है। कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार का आयोग उन के लिये करेगा। (व्यवधान) इसके अतिरिक्त गाजीपुर जिले का करंडा क्षेत्र ऐसा है कि जो चार महीने बरसात के तथा उसके बाद भी दो महीने तक टापू जैसा बना रहता है और सारा यातायात वह ठप हो जाता है। उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इसके अलावा धरमपुर से सैदपुर तक तथा गाजीपुर से चोचकपुर तक सड़क व परमेठ पर गंगी नदी पर पुल होना चाहिये। यह प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन कर भी अनसुनी करती है। कहा जाता है कि पैसा नहीं है। हमारे एक भाई बिगड़ रहे थे। हम पूर्वी जिले व ले अपने लिये ही नहीं, बुन्देलखंड के लिये, उत्तराखंड के लिये, सभी के लिये लड़ते हैं। और सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं, सभी पार्टी वाले लड़ते हैं और यूनाइट होकर लड़ते हैं। (व्यवधान)

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि आप टैक्स मत लगाइये। उसके बिना ही आप अपने काम पूरे कर सकते हैं। आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करें, आमदनी पर एक हद बांधे और केन्द्र को सिफारिश करें कि वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे, सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण करे। अगर सरकार अपने बकाये, १० करोड़ रुपये को वसूल कर ले तो उसे नये टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका काम पूरा चल जायगा। हम पूर्वी जिले वाले ईमानदारी से अपने लिये ही नहीं पूरे प्रदेश के लिये लड़ते हैं और लड़ेंगे।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट के आम विवाद में समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है उसे देखने से पता चलता है कि आज प्रदेश में हरिजनों की हालत क्या है। आज बहुत ही ईमानदारी से एक भूतपूर्व जमींदार के लड़के माननीय कृष्णानन्द राय जी ने इस बात को माना कि मजदूरों को १० आना रोज मजदूरी मिलती है। जब हम लोग चिल्लाते थे तो यही लोग उनका विरोध करते थे। आज मुझे खुशी है कि वह बात उन्होंने मानी तो। आज मजदूर के पास खाने के लिये भी नहीं है लेकिन वह हिम्मत के साथ सरकार से चिपका हुआ है और वह इसलिये बंधा हुआ है कि इस सरकार में महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का कुछ अंश बाकी बचा है और इसीलिये हरिजन समुदाय

आज सरकार के साथ है। आशा है कि वर्तमान मंत्रिमंडल उनकी दशा को सुधारेगा। खेतिहर मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जाती है और उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार २६ रुपया मजदूरी महीने में पाने का उनको हक है, लेकिन कृषि विद्यालय कानपुर में २२ रुपये महीने पर एक हलवाहा नौकर है। यह उसकी निर्धारित तनख्वाह है। २२ रु० में उनका कैसे गुजर होगा जो खेत में काम करने वाले हैं। ये जो इधर के पार्टी के हैं या उधर की पार्टी के हैं दोनों ही जमींदारों के बच्चे हैं। हमें आज समाजवाद लाने की जरूरत है। कल एक सज्जन बोल रहे थे कि ये सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे है, औषधालय बन रहे हैं, यह समाजवाद नहीं तो क्या है। यह सब तो प्रजातन्त्र की प्रणाली के अनुसार सब कुछ हो रहा है। मुझे आपसे कहना है कि श्रीमन्, यहां हरिजनों की बात कही जाती है। ब्लाकों में करोड़ों रुपये हरिजनों के उत्थान के लिये दिये गये परन्तु वहां उस रुपये का दुरुपयोग होता हैं। हरिजनों के लिये वह इस्तेमाल नहीं किया जाता हैं। गांवों में भी यही हाल है। प्रधान भी दो पार्टियों में बंट जाते हैं। एक पार्टी कहती है कि हरिजनों को रुपया दो और दूसरी कहती है कि नहीं दो। पर सरकार बहुत डींग मारती है कि हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके रुपये का रखवाला है कौन ? एक सेठ अगर दो सौ रुपये खर्च करता है तो दो मुनीम उसका हिसाब रखते हैं। हमारी सरकार में कौन देखने वाला है ? यहां की शिक्षा को ही लीजिये। कितने बच्चे हाई स्कूल में हैं। कितने इन्टरमीडिएट में और कितने प्राइमरी में हैं। जो रुपया आप जिला बोर्ड में देते हैं वह भी रुपया या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मंत्री या उसका क्लर्क अपने पास रख लेता है या उसका दुरुपयोग होता है। हरिजनों तक नहीं पहुंच पाता है। आप को चाहिये कि रुपया हरिजन आफिसर के द्वारा वितरण करवाया जावे ताकि गरीब हरिजनों को मिल सके। इसके साथ-साथ खेती की बात कही जाती है। खेती में दो ही चीजें हो सकती हैं। आज बड़े और छोटे आदमी हलवाहे के बल पर ही खेती करते हैं। वे पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ जमीन पर फिर से आप सीलिंग करें जिससे हर आदमी के पास खेती हो सके। आपने जो चालीस एकड़ की सीलिंग रख दी है उससे खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी।

एक बात और मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि खेती, उद्योग और सर्विस ये तीनों ही अलग अलग उद्योग हैं। खेती वाले को उद्योग या सर्विस, उद्योग वाले को सर्विस या खेती, सर्विस वाले को खेती या उद्योग नहीं करने देना चाहिये। परन्तु तीनों चीजों में लगे हुए हैं। इस तरह से आप सबको सर्विस नहीं दे सकेंगे, सब को व्यापार नहीं दे सकेंगे, सब को खाना कपड़ा नहीं दे सकेंगे। आपको इस नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो खेती में हैं उनको खेती में रखिये, जो व्यापार में लगे हैं उनको व्यापार में रखिए अ.र जो सर्विस में लगे हैं उनको सर्विस में रखिये।

योजनाओं के सम्बन्ध में कहा गया कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी दो ही जिले मैंने देखे हरदोई और जालौन। हरिजनों की तरफ से औद्योगिक संस्थान खोलने की बात वहां थी। वहां के चेयरमैन हरिजनों से कहते हैं कि अगर तुम कोआपरेटिव बेसिस बना लो और हमको उसमें अध्यक्ष बनाओ तो हम खुलवा देंगे और नहीं तो यह खुल नहीं सकता है। दो साल से इमारत तैयार है तो हरदोई में संस्थान खोलने का काम पड़ा हुआ है और जालौन में भी यही हालत है। यह चीजें जो अध्यक्षों के ऊपर छोड़ी गई हैं उससे यह चल नहीं सकतीं। इसको आप हरिजन अधिकारी को दें तो चल सकती हैं।

गोंडा जिले के सम्बन्ध में बिजली की बात मैं माननीय बिजली उपमंत्री श्री शान्ति प्रपन्न जी से कहना चाहता हूं। कहते थे कि रिहन्द की बिजली पैदा होगी तो गोंडा के गांव-गांव में पहुंचा देंगे। लेकिन आज लाइन तो चली गई हैं गोंडा से फैजाबाद, बहराइच तक लेकिन बिजली वहां नहीं दी जा रही है। कुकर भुकवा, कौड़िया बाजार, छितौनी पारासराय इन स्थानों पर बिजली नहीं दी जा रही है। जेठापुरवा में ट्यूबवेल है, उसके लिए बिजली की लाइन लगी है लेकिन उससे गांव को बिजली नहीं दे रहे हैं। अगर गांवों को बिजली दे दी जाय तो सिंचाई भी वह उससे कर सकते हैं और उद्योग धंधे भी लगा सकते हैं। हमारे

[श्री गंगाप्रसाद]

यहां सरयू कैनाल की बात चली थी। लेकिन ३५-३६ लाख रुपया खर्च होने के बाद वह स्कीम बन्द हो गई। तो अब वह कैनाल भी नहीं बन रही है और वहां ट्यूबवेल भी नहीं दिये जा रहे हैं। इस बजट में वहां ट्यूबवेल देने का कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहां एक जिलाधीश अच्छे आ गए हैं। उन्होंने चार पांच हजार कुएं खुदवा दिए हैं लेकिन अब यह सरकार सीमेंट नहीं दे रही है। तीन महीने में कोटा मिलता है। पिछला तो खत्म हो गया उसमें सीमेंट नहीं मिली। अगला कोटा अगर मई जून तक मिला और बरसात शुरू हो गई तो वह सब कुएं खराब हो जायेंगे। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी सीमेंट कुएं के लिए दे।

हमारे भाई रामसुन्दर जी शास्त्री कम्यूनिस्ट पार्टी के बहुत ही लड़ैते लाल हैं। उन्होंने कहा कि १ करोड़ एकड़ जमीन पड़ी हुई है। बड़ी खुशी की बात है लेकिन एक करोड़ क्यों जमींदारी उन्मूलन के बाद कई करोड़ एकड़ जमीन निकली मगर उसे पाया किसने, आपके भाई-भतीजे, नाती, रिश्तेदार, चाचा उसको हड़प ले गए। हरिजन उसमें से मुश्किल से एक दो प्रतिशत पाये। उसके बाद चकबन्दी आयी और उसमें वह भी चली गई। (व्यवधान) चाहे सफेद टोपी हो, चाहे लाल टोपी हो दोनों ही हरिजनों के लिए काल के रूप में हैं। (व्यवधान) यादव सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। लाठी लेकर यही जाते हैं मारने। दो ही तो हैं, ठाकुर साहब ने हुकुम दिया और यादव साहब लाठी लेकर वहां पहुंच गए कि राजा साहब ने हुकुम दिया है चलो पीटो इनको और हरी बेगार लो। इस तरह की चीजों से जमीन हरिजनों को मिलने वाली नहीं है। अगर आप ईमानदारी से कहते हैं कि १ करोड़ एकड़ जमीन पड़ी हुई है तो उसके लिये एक कमेटी बनाइये और उसमें हरिजनों को रखिये नहीं तो वह जमीन भी किसी एक हरिजन को मिलने वाली नहीं है। हमारे यहां के एक राजा साहब की ६४ बीघा जमीन निकली थी लेकिन किसी हरिजन को मिली नहीं। वहां के सब से बड़े पूंजीपति ने अपने हलवाहे के नाम से उसको लिखवा लिया। हर जगह लोग इसी प्रकार से करते हैं; अपने हलवाहे के नाम से उस जमीन को ले लेते हैं और २-३ साल के बाद उसको निकाल देते हैं और जमीन को स्वयं हड़प जाते हैं। इसी तरह से अगर उस कमेटी में हरिजन न रहेगा तो यह जमीन भी चली जायगी।

श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

उपाध्यक्ष जी, मैं, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बारे में कुछ कहा गया। ठीक है कुछ वेतन बढ़ा है लेकिन छोटे कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया गया है इसके लिये मुझे दुख है।

अभी-अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इधर और उधर के सब लोग जमींदारों के लड़के हैं लेकिन मैं अपने लिये कह सकता हूं कि मैं एक बहुत छोटे काश्तकार का लड़का हूं लेकिन फिर भी हरिजनों की ओर से बोल नहीं पाता। आज के जमाने में हरिजनों की ओर से कोई बोल भी तो नहीं सकता। अगर कोई सही रास्ते पर चलता है या हरिजनों की मदद करना चाहता है तो उसको ऐसा करने नहीं दिया जाता है। और यह सब इस सरकार के अन्दर चलने वाले भ्रष्टाचार के कारण है। हरिजनों को तरह-तरह से सताया जा रहा है। फैजाबाद जिले में वहां के पुलिस इंचार्ज दीप नारायण सिंह तमाम हरिजनों को पकड़-पकड़ कर जेल भेज रहे हैं और जब मैं उनकी मदद करने के लिये गया तो कहा कि इस धूम प्रसाद को खत्म करवा दो चाहे ५०० रुपया हमें ही खर्च करना पड़े। उनकी मैंने शिकायत भी की लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये हरिजनों को सताये जाने पर भी कोई उनकी मदद नहीं कर पाता है।

उत्पादन के बारे में कहा गया। हमारे यहां फैजाबाद में सीलेंस में चकबन्दी चल रही है। बड़ा भारी भ्रष्टाचार वहां फैला हुआ है। वहां सहायक चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ मैं २-४ सबूत भी दे सकता हूं। वहां के चकबन्दी अधिकारी शराब की बोतलें और गोश्त के टुकड़े

उड़ा रहे हैं और दलालों के जरिये से रिश्वतें ले रहे हैं। हरिजनों की रही-सही संपत्ति शराब और गोश्त में खत्म हुई जा रही है। आसपास के मुर्गे और मुर्गियां खत्म हुए जा रहे हैं। जब शराब की बोतलें और गोश्त के टुकड़े वे मांगेंगे, तो बेचारे गरीब किसान उन्हें कहां से लायें ? जो सहायक चकबन्दी अधिकारी केवल दो सौ रुपये तनख्वाह पाता है, अगर वे इतने पैसे उनको नहीं देते हैं तो इतना खर्चा वह कैसे उठा पाता है ? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जहां चकबन्दी हुई है वहां के अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी जाय कि वहां के गरीब बेचारों के साथ बेरहमी न की जाय। जिनकी जमीन वगैरह जाती है वे जब उसकी मांग करते हैं तो वहां के रहने वाले दलाल कोर्ट में जाकर इसके लिये उज्रदारी कर देते हैं और उनको डांट कर कहते हैं कि हम तो इस केस को हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। यह सब कुछ वहां के अधिकारियों के इशारे पर ही दलाल लोग करते हैं ? गरीब किसान जिनके पास पैसे नहीं होते वे हाई कोर्ट का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। जब वे सहायक चकबन्दी अधिकारी के पास जाते हैं तो वे उनको सलाह देते हैं कि आपस में मिलजुल कर आधे पर सुलह कर लो और इस तरह से उस बेचारे की जमीन अगर ४ बीघे रही तो वह दो बीघे ही रह जाती है।

इसके अलावा चकबन्दी के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उस से जो भी जमीन बचेगी उसे भूमिहीन किसानों को दिया जायगा। लेकिन मैं अपने जिले की ही नहीं, बल्कि पूरे यू० पी० की बात कहता हूं कि इसका कुछ भी पता नहीं चलता है कि कितने भूमिहीन लोगों को चकबन्दी होने के बाद जमीन मिली है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिस से इसका ठीक-ठीक पता लग सके। मैं समझता हूं कि जमीन ऐसे ही लोगों को दी गई है जो उसके लिये पैसे देते हैं और जो पहले ही से काफी मालदार हैं। इस सम्बन्ध में मैं फैजाबाद जिले के मिसरौली गांव का उदाहरण देता हूं जहां दो साल पहले चकबन्दी हुई थी और चकबन्दी के बाद जो जमीन बची उसे १००-१०० रुपये नजराना ले कर ऐसे लोगों को दी गई जो उनके दलाल थे। ऐसी जमीन भूमिहीन किसानों को न दे कर ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको प्रधान, उप प्रधान और गांव के मेम्बर मिल कर दिलाते हैं और जिनके पास पैसा होता है। गरीब किसान जिनके पास पैसा नहीं होता, उनसे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुमको जमीन कैसे मिले। फिर गरीब किसान को जमीन कहां से मिले और वह क्यों जोते ? कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात कही जाती है तो कैसे कृषि उत्पादन बढ़े जब कि मेहनत करने वाले किसान के पास जमीन ही नहीं है ? इस तरह से वे गरीब बेचारे ४ आने, ६ आने और अधिक से अधिक १० आने की मजदूरी पर काम करते हैं और किसी तरह से अपना पेट भरते हैं। हमारे यहां देहात में हाहाकार मचा हुआ है, लोग भूखों मर रहे हैं, महीना-महीना बीत जाता है, उनका तवा गर्म नहीं होता। कहीं कोई मटर भून कर चबाता है, तो कहीं कोई ईख का रस चूस कर दिन बिताता है।

सरकार कहती है कि उसने देहातों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर उसके उचित वितरण की व्यवस्था कर दी है। लेकिन आज देहात की सस्ते गल्ले की दूकानों में भी वही भ्रष्टाचार होता है। जो राशन की दूकानों के लाइसेंसदार हैं जब वे सप्लाई आफिस में जाते हैं तो उनको दो रु०, ४ रु० बोरी के हिसाब से सप्लाई आफिस के क्लर्क को देना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे किराये पर खर्च करना पड़ता है और इस तरह से सब जोड़-जाड़ कर वह खुले आम सप्लाई आफिस के सामने कहता है कि अगर हम ब्लैक में नहीं बेचेंगे तो यह खर्चा कहां से निकलेगा ? और यह सब को मालूम है कि वह अधिक से अधिक गल्ला ब्लैक में बेचता है जिस से गरीब किसान के पास वह गल्ला नहीं पहुंच पाता। वह बेचारे सस्ते गल्ले की दूकानों पर नहीं पहुंच पाते और गल्ला खत्म हो जाता है। यह सप्लाई अफसर, जिलाधीश और सारे सदस्य जानते हैं लेकिन वह करें क्या ? सदस्य कहते हैं तो कहा जाता है कि रिपोर्ट लिखित दो। जो गल्ले के खरीदने वाले लाइसेंसदार हैं वे कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे शिकायत कर सकते हैं ? वह रहने भी नहीं पायेंगे। ऐसे-ऐसे लाइसेंसदार हैं कि शायद वह रहने भी नहीं देंगे। इसलिये कोई शिकायत ही नहीं करता। कोई बेचारा में आता है तो वह भी देख लेते हैं कि रुपया मिल गया और लौट जाते हैं। गरीबों को कोई नहीं सुनता जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा,

[श्री धूमप्रसाद]

वे बेचारे कमजोर हैं या मदद भी नहीं पा सकते। अगर किसी ने उनकी मदद की,, उनके साथ चले और उनकी भलाई की, वह मारे जाते हैं और हरिजन तो गवाही भी नहीं पा सकते कि कोई कह दे कि हमारे सामने मारा गया है जब सरकार सुनती नहीं, उनकी मदद नहीं करती। वह सदस्यों की मदद के लिये कोई प्रबन्ध करती तो सदस्य भी जरूर गरीबों की मदद करते और गरीबों के लिये लड़ते। लेकिन बहुत दुख की बात है कि गरीबों की कोई बात नहीं सुनी जाती और वे मारे जाते हैं रास्तों में और बाद में कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं है।

कहा जाता है कि शिक्षा विभाग में हरिजनों को छूट दी गई है। हरिजनों के पढ़ाने के लिये कुछ व्यवस्था की गई है लेकिन उनको जो आज छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उनको जो किताबें दी जाती हैं उनमें कुछ ऐसे दलाल होते हैं जैसे कि हमारे यहां फैजाबाद में एक लड़का छात्रवृत्ति पाता था और उसकी सारी छात्रवृत्ति मौलवी साहब ने ली, लड़के को नहीं मिली और शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हुआ। शिकायत सुनी भी नहीं जाती और कोई कार्यवाही नहीं होती। कहां शिकायत करें, किस से करें? हरिजनों की मदद की जाती है, उनकी भलाई का प्रबन्ध किया जाता है, लेकिन जो बीच में यह दलाल खा जाते हैं उसको भी तो रोका जाय। हमारे यहां जैसे चकबन्दी हो रही है उसमें कोई ऐसा अहलकार नहीं है जो हरिजन रखा गया हो। सब ऊंची कौमों के लोग ही रखे जाते हैं। एक लेखपाल हरिजन आ गया था उसके विरुद्ध तरह-तरह की शिकायतें हुईं और उसे हटाने की कोशिश की गई लेकिन किसी तरह से वह रुक गया। जो भी आफिसर चकबन्दी के आते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसके साथ रहम करता हो, सभी उसके साथ बेरहमी से पेश आते हैं, कोई उसकी मदद नहीं करता बल्कि दलालों को मिलाकर हरिजनों को नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है। सब में हाहाकार मचा हुआ है और सारे क्षेत्र में मालूम होता है कि महामारी की बीमारी फैल गई है। हरिजन बेचारे हाथ पर हाथ रख कर बैठ गये हैं। कहां जायें, किसको सुनायें, सरकार भी नहीं सुनती, जिसको जनता ने चुन कर भेजा है उसकी भी कोई नहीं सुनता। इसलिये अब सरकार हरिजनों के लिये कोई उचित व्यवस्था करे जिस से उनको राहत मिले। जो भूमिहीन हैं उनको जमीन मिले वर्ना चकबन्दी के बाद जो जमीनें बच जाती हैं वह प्रधान, उपप्रधान और सदस्य मिल कर ले लेते हैं, और पैसा चलता है। उन पैसा प्राप्त करने वालों को न दे कर गरीब हरिजनों को दिलाया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। जो बजट हर साल यहां पेश किया जाता है उसके द्वारा जनता का मार्ग दर्शन किया जाता है। प्रदेश के जन-जीवन को ऊंचा उठाने के लिये सत्तारूढ़ दल के कुछ सिद्धान्त उस बजट में निहित होते हैं जिनके लिये पार्टी सरकार बनाती है तथा अपने उद्देश्यों को बजट के जरिये देश की जनता की बहबूदी के लिये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। कई सालों से यह देखने में आ रहा है कि हर साल डेफिसिट बजट पेश किया जाता है लेकिन अन्त में वह सरप्लस हो जाता है। मैं चन्द शब्द डेफीसिट बजटिंग के बारे में कहना चाहता हूं। आखिर वह कौन से इनग्रीडियेन्ट्स हैं जिनकी वजह से डेफिसिट बजट सरप्लस हो जाता है। हमें देखना पड़ेगा कि प्रदेश की जनता पर उसका क्या असर पड़ता है। मैंने यूरोपियन देशों के अनबैलेन्स्ड बजट्स की हिस्ट्री को पढ़ा है। १९३३-३५ में यूरोप के मुल्कों में अनबैलेन्स्ड बजट पेश किये गये जिससे वहां हा-हाकार मच गया, इनफलेशन हो गया, प्राइसेज राइज करने लगीं जिसके कारणों क बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने विचार किया कि वे कौन से कारण हैं जिनके ऊपर अपना प्रभाव रख कर देश की आर्थिक स्थिति को इस इनफलेशनरी ट्रेन्ड से बचाया जा सके। हमारे यहां अन बैलस्ड बजट पेश होते हैं, एक ट्रेन्ड चल पड़ा है। मैंने देखा कि आफिशियल मशीनरी जो विभिन्न विभागों के बजट तैयार

करके संकलित रूप में यहां सदन के सामने पेश करती है उसमें जो भावनायें निहित होती हैं वे हमारे ध्येय और दिशा से अलग जाती हैं। आपने श्रीमन्, लोक लेखा समिति की रिपोर्टस् को देखा होगा कि हर साल करोड़ों रुपया खर्च किये बगैर रह जाता है जिसके कारण डेफीसिट बजट सरप्लस हो जाता है। जो हमारी चैनेल्स हैं उन पर जब रुपया खर्च ही नहीं होगा तो उत्पादन कैसे बढ़गा ? जिसका परिणाम स्वभावतः यह होगा कि इनफ्लेशन आयेगा और आ रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ट्रेन्ड को वित्त मंत्री जी रोकें और प्रभावकारी ढंग से समीक्षा करें तथा अर्थशास्त्रियों से जांच करायें ताकि आगे ऐसी चीज न होने पावे। अन्यथा प्रदेश की हालत जटिल हो जायगी। बजट में हमारी नीतियों का प्रतिबिम्ब होता है। हमने समाजवादी समाज की रचना का लक्ष्य निर्धारित किया है। कांग्रेस सरकार ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की स्थापना की बात कही है। लेकिन मैं देखता हूं कि हम उस तरफ न जाकर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और परिस्थितियों पर हमारी सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में शासन किसी मिनिस्टर का नहीं है। शासन इस प्रदेश में ब्योरेक्रेसी का है जो हमारे जनतंत्र के लिये, हमारी डेमोक्रेसी के लिये खतरा है और खतरे की घंटी इस समय बज रही है। आप इसकी जांच करें, इसकी समीक्षा करें। आपके अधिकारी रेवोल्यूशन करते हैं आपके शासन के खिलाफ। ये लोग मुल्क में केओस क्रियेट करते हैं। उसके पीछे इन लोगों का एक सुनियोजित अभिप्राय है। वे लोग आफिसों में बैठकर कहत भी हैं कि हम देखो किस प्रकार से इन नालायकों को नचा रहे हैं ? इसी प्रकार की स्थिति, जैसा माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा, जर्मनी में थी। आज आप हिन्दी के आन्दोलन को ले लीजिये। दक्षिण भारत में हिन्दी के आन्दोलन की अगर जांच हो तो सिद्ध हो जायगा कि चूंकि अफसर लोग हिन्दी के खिलाफ हैं इसलिये अंग्रेजी के खिलाफ जो कुछ भी बात होगी उसका विरोध होगा। आज यह स्थिति है और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपके अफसर, आपकी जो इच्छायें हैं जिनसे आप डेमोक्रेटिक ढंग से समाजवादी व्यवस्था करना चाहते हैं, वे अपनी इच्छाओं के विरुद्ध फलते फूलते नहीं देख सकते हैं। इसलिये भी मैं कहना चाहता हूं कि आप नियंत्रण करें। साफ बात कहने में किसी भी कांग्रेसमैन को अपने दिल में यह नहीं सोचना चाहिये कि उनके ऐसे कहने से मिनिस्टर खुश होंगे या नाराज। बहुत से मिनिस्टर बनेंगे, बहुत से बिगड़ेंगे। हमें अपनी देश की चिन्ता होनी चाहिये। हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में खाद्यान्न की अच्छी पैदावार हो भी रही है लेकिन बाजार में चीजें नहीं आ रही हैं और जब आप किसी तरह की नियंत्रण की या स्टेट ट्रेडिंग की या और कोई कानून बनाते हैं जिनसे ट्रेडर खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी बिजनेस पर हमला होता है, उस समय सारा गल्ला बाजार में आना ही बन्द हो जाता है।

हमारा यह प्रदेश नैपाल की सीमा पर स्थित है। हमारे मुल्क की सीमा चीन और तिब्बत से १,१०० मील मिली हुयी है, चाहे वह नैपाल से हो, सिक्किम से हो, या भूटान से हो। १,१०० मील लम्बी सरहद है जिससे हम मिले हुये हैं। गोरखपुर की सीमा नैपाल से मिलती है। वहां पर इन्टरनेशनल सड़क काठमान्डू से ल्हासा तक बन गयी है और आपने बोखरा से सोनोली तक सड़क बनायी है। आपका ट्रेडर, जिस समय आपने लैवी लगायी, नैपाल में चला गया और सारा गल्ला नपाल में खरीद कर इसी रास्ते तिब्बत की ओर भेज रहा है। हमारे व्यवसायियों ने उसे बेचा जो कि सरकार को मालूम है। हमारी सरकार सो रही है। यह मुश्किल का समय है, उसे सोना नहीं चाहिये। आपको जागना चाहिये और अगर नहीं जागते तो आपकी नीति सफल नहीं होगी। इसलिये आप परिस्थितियों पर कंट्रोल करिये।

जहां तक खेती का प्रश्न है, आप चकबन्दी करवा रहे हैं और उसके जरिये आप चाहते हैं कि बिखरे हुये खेत एक जगह किये जायं। सीलिंग के जरिये आपने लाखों एकड़ जमीन को लेने की बात की और वह सीलिंग की जमीन या ग्राम समाज की जमीन बेकार है।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

फिर आप सहकारिता की बात करते हैं लेकिन वह भी तभी सफल हो सकती है जब कि लोगों में आप उसके लिये भावना पैदा करें। कोआपरेटिव सेक्टर आफिशियल मशीनरी के जरिये चलाया जा रहा है। होना यह चाहिये कि एक गांव के चारों ओर चार गांव पड़ते हैं। जहां चकबन्दी की जाती है वहां ग्राम समाज की जमीन सीलिंग के जरिये निकलती है। उस सब जमीन को लकर, उन चारों गांव की उस जमीन को ले कर कोआपरेटिव के जरिये से आप फार्मिंग कराइये और अच्छा बीज तथा खाद आप उनको दें और सहकारी ढंग से वहां खेती की जाय। आपकी खेती की तरक्की सहकारिता के जरिये देख कर दूसरे गांव के लोगों में सहकारिता की भावना जाग्रत होगी लेकिन आपने वह जमीन गांव सभापतियों को दे दी है जो उसको व्यक्तिगत इस्तेमाल में लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं और जैसे चाहते हैं वह इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने अभी सुझाव दिया है वैसा अगर किया गया होता तो दूसरे गांव के सामने उदाहरण होता और उससे कोआपरेटिव मूवमेंट को बल मिलता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया जिसके कारण सहकारिता की नीति तथा ऐग्रिकल्चरल पालिसी आपकी फेल हो रही है।

आपके बजट की कोई प्लानिंग नहीं है। जिस चीज की जहां जरूरत हो उसे आप वहां मुहइया नहीं करेंगे बल्कि यह देखेंगे कि कौन-सा मिनिस्टर किस हिस्से में रहता है। वहां एक के बजाय दो, दो मेडिकल कालेज खोल दिये जायेंगे। पिछली बार बजट स्पीच में मैंने कहा था कि देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया और फैजाबाद आदि जो पूर्वी जिले हैं वहां कोई मेडिकल कालेज नहीं है जिस से वहां के लड़कों को लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद मेडिकल कालेजेज में भेज कर पढ़ाना पड़ता है। क्यों नहीं आप इन पिछड़े हुये इलाकों में मेडिकल कालेज खोलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां पर इसकी जरूरत है, जहां पर प्रदेश की आबादी का एक घना हिस्सा रहता है और जहां पर हैजा, चेचक, फाइलेरिया, मलेरिया की बीमारियां होती रहती हैं जिस से जन-जीवन ग्रसित हो गया है, वहां आप मेडिकल कालेज क्यों नहीं खोलते हैं?

पिछली बार मैंने निवेदन किया था और पुनः करता हूं कि मेरा जिला सरहद से लगा है, मिडिल सेक्टर में है। हमारे इस सेक्टर से लगे जिलों को नैगलेक्ट किया जा रहा है और सड़कों की वहां पर कोई योजना नहीं चल रही है। एक सड़क मिली हुई है जिसे केन्द्र ने राज्य सरकार को बनाने हेतु दिया है जो बरेली जाने को है। अमीन गांव उस रोड से लिंक रोड निकाल कर सरहद से मिला दिया जाय तो खर्चा भी कम पड़ेगा और सरहद पर सड़कों का अभाव भी दूर हो जायगा और उस से आपके कम्यूनिकेशन में सरलता हो सकती है।

१९५० में खाद्यान्न का क्या भाव था और आज क्या भाव है? अगर आप इसको देखेंगे तो पायेंगे कि आपकी प्लानिंग के बावजूद हमारे बाजारों में आज गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज एक सेर के भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। आपकी कोई व्यवस्थित नीति नहीं है। अगर आपने ऐग्रीकल्चर के प्रोडेक्शन की कोई व्यवस्था बनाई होती तो यह स्थिति पैदा न हुई होती। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप व्यवस्थित ढंग से फूड पालसी और स्टेट ट्रेडिंग को अपनाइये और बफर स्टाक बनाइये। अगर आपने नहीं बनाया तो जबर्दस्त आन्दोलन होगा। आज हमारा किसान भी चेतने लगा है। इसके बाद उसकी पैदा की हुई चीजों में तथा अन्य चीजों में कोई मेल-मिलाप नहीं है।

आपने प्राइस स्टेबिलाइजेशन बोर्ड भी कायम नहीं किया है। अगर नहीं कर सके तो सोशलिज्म से गिर जायेंगे और आपने जो अवाड़ी का प्रस्ताव पास किया है उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पायेंगे। आज वहां पर कंग्रास की स्थिति बन गई है। मैं एक शेर कहता हूं:

कुफ्र सब मिटने को है, जिन्दा हो दर खुलने को है
खेल ऐ कैदी अभी कुछ देर, जंजीरों से खेल॥

यदि आप लोग नहीं चेतेंगे तो जनता आन्दोलन करेगी और आपके अफसर उसको दबा नहीं सकेंगे। कुफ्र गिर कर रहेगा और सब लोग उसके नीचे दब कर जान दे देंगे।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले ७-८ वर्षों से मैं इस माननीय सदन का सदस्य रहा हूं और प्रति वर्ष मैं देखता हूं कि हमेशा सदन में घाटे का ही बजट पेश किया जाता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगा कर उसको पूरा किया जाता है और यह देखा जाता है कि अन्त में यही बजट सरप्लस हो जाता है। घाटे का बजट इसलिये पेश किया जाता है ताकि सरकार को प्रदेश की जनता पर कर लगाने का मौका मिल सके। टैक्स लगाना और घाटे का बजट पेश करना कोई बुरी बात नहीं है बशर्ते कि हर साल जनता के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो, औसत आमदनी बढ़े और जीवनोपयोगी चीजें आसानी से मिल सकें और सस्ता दवा-दारू का इन्तजाम हो सके और बेरोजगारी व गरीबी घटे तो हर साल टैक्स लगाये जायं और बजट बढ़ जाय तो कोई भी विरोध नहीं करेगा। लेकिन देखा यह गया है कि ज्यों-ज्यों बजट बढ़ता चला गया है ज्यों-ज्यों करों का बोझ बढ़ता गया है, गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है और अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है। औसत आमदनी घट गयी है, पैदावार गिरती चली गयी और जीवन पयोगी वस्तुयें मंहगी होती चली जा रही हैं। आज इंसान का जीवन दुर्लभ हो गया है। बेरोजगारी दिन ब दिन बढती जा रही है। इस बजट में घाटे को पूरा करने का संकेत टैक्स लगा कर किया गया है। इसलिये मैं और विरोधी दल इसका विरोध करने के लिये खड़े हुये हैं।

मान्यवर, यह बजट जो पेश किया गया है वह इसलिये पेश किया गया है कि इस प्रदेश के नागरिकों का जीवन-स्तर ऊंचा उठे लेकिन सरकार इस कार्य में अभी तक असफल रही है।

गृह विभाग की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि प्रदेश में डकैती, चोरी कत्ल, और राहजनी की घटनाओं में बराबर बढ़ोत्तरी हुई है और उसका कारण यह बताया गया है कि मंहगाई बहुत ज्यादा रही, अन्न की प्रदेश में कमी रही और चुनावों से उत्पन्न ग्रामों की दलबन्दी है। यह कारण तो हो सकते हैं किन्तु यदि इस में एक कारण यह और जोड़ दिया जाता तो बहुत अच्छा होता कि पुलिस विभाग ने अपनी उन्नति पाने तथा पैसा कमाने का एक नया रास्ता अख्तियार किया है। पुलिस के अधिकारियों ने झूठी डाकुओं से मुठभेड़ के ड्रामा रचकर निरपराध व्यक्तियों को अपनी उन्नति के लिए हत्यायें करना शुरू कर दिया है जिस के कारण हत्याओं की संख्या बढ़ी है। पुलिस विभाग वाले अपनी प्रोमोशन के लिए झूठे और बनावटी रिपोर्टें लिखते हैं। मान्यवर, आपने अभी मन्नाकोला के बारे में सुना होगा। वहां के जो एस० पी० हैं वह बड़े होशियार हैं और झूठी डाकू मुठभेड़ों को कराने में बड़े होशियार हैं। वह इसी तरह से प्रमोशन पाना चाहते हैं। मान्यवर पिछले दिन यह प्रश्न यहां आया था। ४-९-६४ को मन्नाकोला में, जो इटावा व फर्रुखाबाद की सरहद पर है, वहाँ चार आदिमयों को पकड़ कर गोली के घाट उतारा गया। श्री नारायण काछी अपने रिश्तेदारों के यहां से घर जा रहा था। उस को पकड़ कर नगला चौधरी ले जाया गया। जैसा कि पन्डित विजय शंकर शुक्ल, एम० एल० ए० ने अपने पूरक प्रश्न में भी कहा है। सीताराम, चतुरी बहेलिया और पातीराम लोधी तथा अन्य लोगों को भी पकड़ कर वहां लाया गया। यों तो पातीराम जी पुलिस के आदमी थे और उनका डी० एस० पी० राय से घनिष्ट सम्बन्ध था कि तु किसी बात पर डी० एस० पी० ने उन से सम्बन्ध छुड़वाना चाहा और उन्हें अपने साथ कार पर बिठाकर घर से ले आये और बेला थाने पर उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उन में से २ आदमी तो जो ऊंची कौम के थे, पैसे वाले थे वह रुपया लेकर छोड़ दिये गये और दो आदमी अपनी जान को खतरे में जान कर तालाब में कूद कर किसी प्रकार भाग गये और ४ आदमियों को गोली का शिकार बनाया गया। उस पर पुलिस वालों ने कह दिया कि वे डाकू थे और डाके डालने एक घर में जा रहे थे और उन से पुलिस वालों की मुठभेड़ हुई और वह इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा मारे गये। किन्तु यह सारी बात गलत है। मुठभेड़ में कोई भी पुलिस का आदमी घायल नहीं हुआ, घायल होना तो दूर रहा किसी पुलिस मैन को खरोंच भी नहीं आयी। जिस मकान पर डाका पड़ने वाला था उस की छत पर पुलिस के सिपाही बैठे रहे और उस से करीब ३०० गज दूरी पर गोली चलती रही लेकिन उन आदमियों ने कोई गोली नहीं चलायी। इस के

[श्री होरीलाल यादव]

अतिरिक्त जिस जगह मुठभेड़ बतायी जाती है, वहां पर यदि दिन में भी गोली चलायी जाती और डाकू होशियार होते तो उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। वह नदी में कूद कर अपनी जान बचा सकते थे। यह सब जाल बनाया गया है। पुलिस ने उन बेचारों को गोली से मार दिया और अपने बचाव के लिए यह सारा किस्सा बनाया है। यह आदमी ऐसी जगह पकड़ कर मारे गये जहां पर जंगल है, जहां पर कोई मकान नहीं हैं। इस सम्बन्ध में चाहे आज कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो सब दलों ने इस कांड का एक स्वर से विरोध किया है और श्री बद्रीप्रसाद पलीवाल और श्री विजय शंकर जी भी इस से सहमत हैं। उस क्षेत्र में नीचे तबके का किसान जो हजारों की तादाद में है, आज उस की जिंदगी दूभर है। यह कांड बड़ा भयंकर कांड है और इस के लिए सभी दलों ने और जनता ने सरकार से अपील की कि इस पर सी० आई० डी० से जांच पड़ताल करवायी जाय, इस को विजिलेंस कमीशन को दिया जाय।

दूसरी बात मैं खेती की पैदावार के सिलसिले में कहना चाहता हूं। खेती की पैदावार के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं। तालिका को देखकर मनानीय सदस्यों ने सुना दिया कि इतनी खाद बांटी गयी, इतना बीज बांट गया फिर भी दिन प्रति दिन खेती की पैदावार की हालत बदतर होती चली जा रही है, इसका क्या कारण है ? यह जो कागज की रिपोर्ट और कागज का बंटवारा लेकर इकट्ठा किया जाता है और उसका सदुपयोग किसी किसान के हाथ मे नहीं पहुंच पाता है। सिंचाई, तकावी के बारे में बात कही गयी कि इतनी तकावी बांटी गयी और इतने उन्नतिशील प्रयोगों के लिए तकावी दी गयी। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि लघु सिंचाई योजनाओं की तकावी जो दी जा रही है, उसका ठीक तरीके से २५ प्रतिशत तक भी उपयोग नहीं हो रहा है। सीमेंट जो दिया जा रहा है कुयें में लगाने के लिए, लोग उस को कुयें में न लगाकर अपने घर की मरम्मत में लगा रहे हैं, । रुपया दिया जाता है सिंचाई के कार्यों में लगाने के लिए लेकिन वह रुपया सिंचाई के कार्य में लगाया नहीं जा रहा है। यह बहुत ही दिक्कत की बात है ।

दूसरी बात यह है कि किसान का जो अंध विश्वास है, वह खेती की उपज बढ़ाने में बहुत ही बड़ा बाधक है। मान्यवर मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि इन्टरमीडियेट और हाई स्कूल के जो विद्यालय हैं, उन के पास छोटी छोटी जमीनें देकर डिमांस्ट्रेटिव फार्म खोले जायं। जैसे शिक्षा के मामले पर रुपया खर्च किया जाता है, वैसे डिमांस्ट्रेटिव फार्मों पर भी सरकार को रुपया खर्च करना चाहिये। नयी खादों और वैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल कर के उस के दिमाग में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, वह टूटे और ऐसा करने से किसान के पास जो मौजूदा साधन है, उस से ही वह अपनी खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उन से वह ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करेगा। जब तक किसान का जो पुराना व रूढ़िवादी तरीका है, जो उस के अन्दर फैल हुआ अंधविश्वास है, जब तक उस के अन्दर से टूटेगा नहीं, वह खेती में तरक्की नहीं कर सकता है।

मान्यवर, सिंचाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। सिंचाई एक बार करने से ही पैदावार नहीं बढ़ सकती है। सिंचाई जो होती है, वह मौके पर अक्सर नहीं मिल पाती है। सिंचाई यदि समय पर नहीं मिल पायी तो, पैदावार नहीं बढ़ सकती। समय पर पानी न मिलने से, अब फसल सूख गयी तो पानी देने से कोई लाभ किसानों को नहीं हो सकता है। कहने के लिए तो सिंचाई का रकबा बढ़ा बताया जाता है पर वास्तविक बात यह है. कि एक बार तथा असमय पर सिंचाई करने से पैदावार बढ़ नहीं सकती है।

मंहगाई का जो दर्जा बढ़ा हुआ है, और मंहगाई के सिलसिले में जो सरकार ने बढ़ौत्तरी की है, वह बहुत नाकाफी है। मान्यवर, जिला परिषद् के और नगर पालिकाओं के जो कर्मचारी हैं, वह पंचायती राज्य के अधीन कर दिये गये ।

जहां तक उनकी बढ़ोत्तरी का सवाल है, वह अन्य सरकारी कर्मचारियों को कई बार मिल चुकी है, लेकिन अन्तरिम जिला परिषदों के कर्मचारियों को कोई बढ़ोत्तरी नहीं मिली है। जब वह पंचायत राज्य के अधीन कर दिये गये है तो उन की बढ़ोत्तरी और पंचायत राज की बढ़ोत्तरी में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। उसे समान स्तर पर लाना चाहिये।

अध्यापकों की मंहगाई के सिलसिले में बहुत असन्तोष व्याप्त है और उसका भयंकर परिणाम निकलने वाला है। उन्होंने कहा है कि वे इन्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में सहयोग नहीं देंगे। विज्ञान के विद्यार्थियों के प्रेक्टिकल इम्तहान होने जा रहे हैं। अगर सरकार अपनी नीति का स्पष्टीकरण नहीं करती तो विज्ञान के विद्यार्थियों के सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो जायगी। इस लिए सरकार को इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल के अध्यापकों की मंहगाई के सम्बन्ध में अपनी नीति को तय कर देना चाहिये।

वाटरलागिंग का जहां तक प्रश्न है प्रदेश में बहुत सी जगहें हैं जहां बहुत थोड़े से पैसे खर्च करके फसलों में बहुत तरक्की की जा सकती है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां की दो झीलों तरींद और जनखत के बारे में मेरा कहना है कि अगर वहां से पानी निकालने का इन्तजाम हो जाय तो धान की फसल बढ़ने के साथ-साथ दूसरी फसलें भी ज्यादा हो सकती हैं। तरींद झील एक ऐसी झील है जिसके पास से इलाहाबाद नहर निकली है। नहर बनने से उस झील के पानी का बहाव रुक गया है। उसका पानी बहाने वाला जो नाला है उस झील में एकत्रित पानी बहा ले जाने की क्षमता नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार उस नाले का डिस्चार्ज बढ़ाये ताकि पानी जो नहरों के बन जाने से रुक गया है वह निकल जाय। पिछले तीन चार सालों से काश्तकार बरबाद हो रहे हैं, और जो धान की फसल होती थी उससे महरूम हो गये हैं, रबी की फसल भी कतई नहीं है, इस वक्त भी पानी भरा हुआ है। तो ऐसी छोटी-छोटी योजनाओं को लेकर, चाहे मैनपावर स्कीम के द्वारा ही हो १०, २० हजार रुपये खर्च करके लाखों रुपये का फायदा हो सकता है, मैं उन स्कीमों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मनानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। क्या उन्नति के लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं या लास की ओर जा रहे हैं इसी विचार को लेकर इस पर गौर करना चाहिये। आज सरकार की बहुत आलोचना की जाती है, लेकिन अगर जरा गौर से देखा जाय तो पता चलेगा कि यह आलोचना कहां तक ठीक है। यह आलोचनायें बिलकुल गलत हैं। कहा जाता है कि ऐग्रीकलचरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। मैं पूछता हूं कि क्या यह बात गलत है कि प्रदेश में नहरों का जाल सरकार बिछाती चली जा रही है, नलकूप बढ़ाती चली जा रही है, सिंचाई के साधन बढ़ते चले जा रहे हैं, इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है, किसान ज्यादा से ज्यादा खेती करता जा रहा है, इसके अलावा खेती के उन्नतिशील औजार दिये जा रहे हैं, बीज तो गेहूं का इतना बंटा कि वह जरूरत से ज्यादा था हजारों मन बंट गया। आखिर यह सब बातें हैं, लेकिन बावजूद इसके भी अगर पदावार नहीं बढ़ी तो क्या सरकार को दोष दिया जा सकता है? क्या किसान खुद यह नहीं समझता कि उस की पदावार बढ़ने से उसकी उन्नति होगी, और उसकी भलाई होगी? तो वह शख्स जिसको पहले फायदा पहुंचता है, वही आदमी उसमें नाकामयाब हो गया तो सरकार को कैसे दोष दिया जा सकता है?

इसके अलावा मैं मान्यवर, बढ़ती हुई कीमतों और इन्फ्लेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इन्फ्लेशन है, यह मैं मानता हूं लेकिन जब हमारी विकास योजनायें हैं और अगर हम आज उन पर ध्यान नहीं देते हैं और अगर हम आज उन पर रुपया खर्च नहीं करते हैं और उन के मुताल्लिक हम नहीं सोचते हैं तो भविष्य में क्या होगा? आज हम को भविष्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

के लिए बलिदान देना है। उसीके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमको करनी चाहिये। जितने भी डेवेलपिंग नेशन्स हैं, वह सब अपनी योजनायें बनाते हैं और विकास का काम करते हैं। अगर हम विकास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो भविष्य हमारा उज्ज्वल नहीं होगा। तो आज हम जब इतना रुपया खर्च करते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इन योजनाओं पर तो उससे रुपया का फैलाव बढ़ेगा। उसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन इस बढ़ती हुई कीमत के साथ जो जनता को तकलीफ है और दुःख है वह इसी कारण से है कि भविष्य के लिए हम कुछ कर रहे हैं।

इस के अलावा मान्यवर, हमारी सर्विसेज के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा गया जो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। अच्छे और बुरे लोग सब जगह हैं। सर्विसेज में सभी तरह के लोग हैं लेकिन सबको एक ही डंडे से हांकना, सबके लिए एक ही बात कह देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि कहां तक यह चीज जायज है और कहां तक ठीक है। इससे हो सकता है कि जो हमारे ईमानदार, मेहनती और दयानतदार अधिकारी हैं उनके दिल को ठेस पहुंचे, कि उनके मुताल्लिक जनता के प्रतिनिधि क्या कहते हैं। जहां तक मैं समझता हूं उनमें बुरों की तादाद कम होगी, और अच्छों की तादाद ज्यादा होगी। इसलिए उनके बारे में ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है। मान्यवर, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि हम ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि जिस में हम को अन्दाजा नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। उसके लिए दोषी कौन है? जहां तक मैं समझता हूं उसका दोष हम सब पर है। आज मैं इस चीज को मानता हूं कि इखलाकी गिरावट है और सामाजिक गिरावट भी है और उनको दूर करना हमारा और आप का फर्ज है। आज हमें जनता के चरित्र को ऊंचा उठाना है और आज हम को जनता के अन्दर ऐसी भावना पैदा करना है कि जिसमें मुहब्बत और मेहनत और विश्वास की भावना पैदा हो। आज हमको उनके इस तरीके से अपने साथ ले चलना है जिस तरह से एक बच्चे को ले जाया जाता है। इसके साथ ही मैं यह जरूर कहूंगा कि हम को अपनी त्रुटि को भी देखना चाहिये और अपनी गलती नहीं भूलनी चाहिये। यह जरूर है कि हमारे सिंचाई के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन साधनों के बावजूद भी क्या हम उन का पूरा उपयोग कर रहे हैं? मैं समझता हूं हम पूरे तरीके से नहीं कर रहे हैं। नहर की कच्ची गूलें हैं जिन में २५, ३० फीसदी पानी जाया हो जाता है। उनका पक्का किया जाना जरूरी है। सिंचाई विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिये। जो नलकूप हैं, उसकी हालत को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। अक्सर देखने में आता है कि वे खराब रहते हैं। सही वक्त पर पानी नहीं मिलता है जिससे किसानों का नुकसान होता है। उनकी हालत को दुरुस्त करना जरूरी है। इस तरह से जो हमारे और साधन हैं सिंचाई के उनको हमें पहले ठीक करना चाहिये और साथ-साथ और भी साधन जुटाते रहना चाहिये जिससे कृषि में उन्नति हो।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जरूर कहूंगा कि हमारे सामने जो सुझाव आयें वे इस तरह के आने चाहिये जो कांक्रीट किस्म के यानी ठोस तरीके के हों, जिन से कोई बात हासिल हो सके। यही नहीं कि आलोचना ही हो और मैं ऐसे सुझावों पर वित्त मन्त्री जी और सरकार से गुजारिश करूंगा कि वे उन पर खास तौर पर गौर करें। जहां तक छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह का सवाल है मैं मानता हूं कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। उन्हें जिन्दगी गुजारना भारी हो गया है। उनके मुताल्लिक सरकार को जरूर सोचना चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ विरोधी दल को या हमारी तरफ से यह भी सुझाव आने चाहिये कि इन अखराजात को कैसे पूरा किया जाय। रिसोर्सेज को बताया जाय कि कौन से रिसोर्सेज के जरिये इनको पूरा किया जा सकता है। टैक्सों के बारे में भी एक अच्छी बात माननीय वित्त मन्त्री जी ने कही है कि सिर्फ उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाया जा सकता है जो लोग उन टैक्सों के भार को उठाने के काबिल हों। यह बहुत ही अच्छा किया गया है। लिहाजा किसी गरीब आदमी को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है।

इस के साथ-साथ, मान्यवर, मैं म्युनिसिपैलिटीज और जिला परिषद् के कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों के बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १० अगस्त, १९६४ के मेरे सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से घोषणा की गयी थी कि म्युनिसिपलिटीज के कर्मचारियों के वेतन के लिए दूसरी वेतन समिति सरकार संगठित करने वाली है लेकिन वह नहीं की गयी है जिससे उन कर्मचारियों को भी बड़ा दुःख हुआ है। मैं समझता हूं कि उनकी शिकायतों को दूर करना चाहिये। इसी प्रकार जिला परिषदों के कर्मचारी हैं उन के वेतन की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा, मान्यवर, मैं आप से यह जरूर चाहूंगा कि आप इस तरफ जरूर ध्यान दें कि हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, चाहे वे जिला परिषद् के हों, म्युनिसिपैलिटीज के हों, या राज्य सरकार के हों, उनकी हालत की तरफ जरूर गौर करना चाहिये। आजकल महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और उसके मुकाबिले उनकी तनख्वाहें बहुत ही कम हैं। ऐसी सूरत में जो दुःख वे बरदाश्त कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। अगर वे घबड़ा उठते हैं तो वे सही काम नहीं करेंगे। अगर उनको तनख्वाह ठीक तरह से नहीं मिलती है तो वे भ्रष्टाचारी हो जाते हैं।

जब तक हमारे अध्यापकों की तनख्वाह ज्यादा अच्छी नहीं होगी वे सही तरीके से हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, जिससे शिक्षा का स्तर गिर जायगा। कहीं-कहीं तो जिला परिषदों में यह देखने को मिला है कि अध्यापकों की तनख्वाहें कई महीने तक नहीं मिलती हैं। जिससे उनको जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिये।

हमारे प्रदेश में एक तबका जखीरेबाजों का, व्यापारियों का या होर्डर्स कहिए, उनका है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाय क्योंकि जो कुछ कार्यवाही अब तक की गयी है वह नाकाफी है। इन लोगों ने अनाज की किल्लत करके जनता के लिए तकलीफ पैदा कर दी है।

हमारे इन्जीनियर्स भ्रष्टाचार में मुब्तिला हैं। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि चाहे नहर हो या पी० डब्लू० डी० हो ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्टाचार के शिकार हैं। अगर कोई नीचे का इंजीनियर ईमानदारी से काम करता है तो उसके खिलाफ गलत एन्ट्री करके और उसे दूसरी जगह ट्रांस्फर करके उसकी जिन्दगी तल्ख की जाती है। इस तरह से हमारा बहुत-सा रुपया इन्जीनियरों की जेबों में चला जाता है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, यह बजट जब सदन के समक्ष प्रस्तुत होता है तो इस समय सारे प्रदेश की जनता की आंखें इस पर लगी होती हैं....

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर विवाद का यह दूसरा दिन है। लेकिन आप ने हमारी पार्टी के एक भी आदमी को अब तक मौका नहीं दिया। (व्यवधान)। शायद आप कहेंगे कि हम लोग उपस्थित नहीं थे। (व्यवधान) आप को इस तरह की असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिये।...

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आप लोग कोई हाजिर नहीं थे, मैंने देखा था।

श्री लखपतराम शर्मा—

सारे प्रदेश की आंखें इस पर लगी होती हैं कि उसकी सुविधा के लिए कहां तक ध्यान रखा गया है। इस सदन में जो बजट पेश किया गया उसकी आलोचना चाहे इधर के बैठने वाले

[श्री लखपतर म शर्मा]

हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, करीब-करीब सभी ने अपने-अपने ढंग से की। श्रीमन्, सदन के समक्ष हमेशा जो बजट रखा जाता है वह घाटे का रखा जाता रहा और सरकार की एक तरह से यह आदत-सी पड़ गयी है घाटे का बजट रखने की और फिर जनता पर टैक्स लगाने की। श्रीमन्, यह भी सही है कि यदि विरोधी पक्ष की तरफ से सुझाव नहीं आते हैं तो आप को यह मौका मिल जाता है कहने के लिए कि बिना सुझाव के आलोचना से काम कैसे चल सकता है।

(इस समय ४ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, बिजली की आमदनी ६४–६५ में ३ करोड़ २७ लाख रुपये बतायी गयी है और इस वर्ष अनेक बिजली के कारखाने आपने अपने कब्जे में लिये हैं और मैं समझता हूं कि उस की आमदनी करीब ४ करोड़ रुपये आसानी से आंकी जा सकती है लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि इस मद की आमदनी को ६५–६६ में खास तौर से छिपाया गया है। रिहैंड डम का माननीय सदस्य ने जिक्र किया। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि रिहैंड डैम के अन्दर सरकार स्वयं बिजली की पैदावार ढाई पैसा पर यूनिट करती है। लेकिन वह बिरला की अल्यूमिनियम फैक्ट्री को दो पैसे से कम पर दी जाती है। किसी भी देश के इतिहास के अन्दर आप यह नहीं पायेंगे कि किसी आदमी ने अगर बिजली रोजगार के लिये ली हो तो उसको जो उसकी कीमत आती हो, उससे भी कम पर बिजली दी जाय। लेकिन यहां ढाई पैसे पर यूनिट सरकार को बिजली पड़ती है और दो पसे पर यूनिट बिरला को दी जाती है और ४१ करोड़ ७१ लाख २१ हजार छः सौ तीस यूनिट प्रति वर्ष वह खर्च करते हैं। अगर २ पैसे के बजाय ५ पैसे बिरला से लिये जावें तो सरकार को १ करोड़ २५ लाख रुपया सिर्फ बिरला जी से मिल सकता है। और कुछ आय मिला कर इस प्रकार से ७।। करोड़ रुपया सरकार को बच सकता है।

श्रीमन्, बड़े-बड़े इंजीनियर्स ने राय दी है कि अल्यूमिनियम फैक्ट्री के होने से रिहन्द डैम का सीमेंट और लोहा जल्दी खत्म हो जायगा। ५० करोड़ की लागत से बना रिहन्द डैम सिर्फ बिरलाजी की हमदर्दी के लिये टूट जाय, यह.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कल जारी रखें। ५ बज गये हैं।

## †उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (क्रमागत)*

### खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायें।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९६२ की धारा १ का संशोधन

†१० फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

*१५ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से

श्री अधिष्ठाता--

इस विधेयक के खंड २ में कोई संशोधन नहीं है।. .....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

यह विधेयक अभी प्रस्तुत ही किया गया है और आप खंड २ से शुरू करने जा रहे हैं । आपने तो डिसकशन ही खत्म कर दिया । मेरी प्रार्थना है कि इस पर २ दिन का समय बहस के लिय दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

सदन के कल के कार्यवृत्त में लिखा है कि इस पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री कमलासिंह यादव—

यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ । उन्होंने सिर्फ प्रस्तुत किया था । हम लोगों का प्रवर समिति में जाने का संशोधन है । उस पर विचार नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता—

सम्भवतः आप उस समय उपस्थित नहीं थे ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मैं खंड २ का विरोध करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मने २ वर्ष की जगह १० वर्ष करने का संशोधन दिया है, वह लिया जायगा या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

खंड ३ पर आपका संशोधन है । जब खंड ३ आवे तो आप पेश कर सकते हैं ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं इसका मौलिक रूप से विरोध करता हूं । हमारी स्टेट सैक्यूलर है और इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई का कोई भेद नहीं है । इसलिये केवल हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के लिये ही कोई कानून नहीं होना चाहिये । पहले तो सरकार ने सन् ५५ में विचार किया कि हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के लिये कानून बनाया जाय, परन्तु वह आज तक कार्यान्वित नहीं हो रहा है । वह कहते हैं कि अभी २, ४ साल और लग जावेंगे कि कैसा कानून बनाया जाय और कैसे लागू हो । यह इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है । अस्थायी कानून का एक नियत समय होता है । दूसरी बात यह है कि सरकार ने उस कानून की बातों को लागू करने के लिये आर्डिनेंस लगाया । इसमें कोई इनकम होने की बात भी नहीं है । सरकार जानबूझ कर हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं में इंटरफीयर करती है । उसके लिये एक प्रशासक नियुक्त कर रखा है । तो वह या उनकी कमेटी इंटरफीयर कर सकती है । सन् ५५ से सन् ६२ तक कोई बिल यह सरकार नहीं लाई । तो यह सरकार भविष्य में कोई कानून ला सकेगी इसमें सन्देह है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रक्षपाल सिंह जी आयुक्त की बात तो खंड ३ में है आप इस समय खंड २ पर बोल रहे हैं, उसमें २ के स्थान पर ४ कर देने की बात है उसी तक आप अपने आर्पको सीमित रखिये ।

श्री रक्षपालसिंह—

इसका आपका केवल उद्देश्य यह है कि आप एक सरकारी कर्मचारी को किसी धार्मिक संस्था में नियुक्त कर देते हैं और वह वहां पर मनमानी करता है । इसलिये इसकी म्याद बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है । जब अभी तक आप कोई काम्प्रीहेंसिव कानून नहीं ला पाये हैं तो आगे भी कैसे बना पायेंगे ? फिर जो कानून सब लोगों पर लागू नहीं होता, केवल हिन्दुओं पर ही लागू होता है, ऐसे कानून के लिये किसी म्याद को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरा खंड १ में एक संशोधन था ।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो अधिष्ठाता मंडल के सदस्य रह चुके हैं, खंड १ तो बाद में लिया जाता है ।

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

अधिष्ठाता महोदय, इसकी दो साल की मियाद १४ दिसम्बर को समाप्त हो रही थी । उस अवधि में हम विधेयक नहीं ला पाये । इसलिये हमको इसकी म्याद बढ़ानी पड़ी । मैं रक्षपाल जी की बात को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने जो संशोधन दिया है वह इसी प्रकार है कि २ वर्ष के बजाय १० वर्ष कर दिया जाय । वह इसी खंड में है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी खंड २ में कोई संशोधन मानने को तैयार नहीं हैं । फिर आपने जो संशोधन दिया है वह खंड १ में दिया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

उसको करेक्ट कर लिया जाय । '१' के बजाय '२' कर लिया जाय ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

आपने जो लिख कर दिया है, वह तो उसी को मानेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर इस प्रकार से करेक्ट कर दिया जायगा तो फिर बाद में आपको ही शिकायत होगी । हमारे कार्यालय में जब कोई संशोधन आता है तो यह देखा जाता है कि वह नियमतः है या नहीं । ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय । मैंने उसको अनियमित माना है ।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "आयुक्तों" रख दिया जाय;

(२) उपधारा (२) में शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय;

(३) उपधारा (४) के प्रारम्भ में आये हुए शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय; और

(४) उपधारा (५) के प्रारम्भ में आये हुए शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "प्रत्येक" बढ़ा दिया जाय ।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन यह है—खंड ३ के उपखंड २ में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर "किसी आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त" रख दिये जायं ।

अगर इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखा जाय तो उसके पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि जैसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कमिश्नर बढ़ाये जाते थे उसी तरीके पर माननीय मंत्री जी आज फिर करने जा रहे हैं । जहां तक "आयुक्त" के बदले में "आयुक्तों" के रखने का अमेंडमेंट है, उससे साफ जाहिर है कि आप कई कमिश्नरों का एप्वायन्टमेंट करना चाहते हैं। वैसे जब यह विधेयक पहले पहल बना था उस वक्त केवल एक आयुक्त और उसके ७ सहायक आयुक्त रखे गये थे, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि माननीय मंत्री जी ने अपनी बहस में इस बात को नहीं दिखलाया कि वे कौन सी समस्यायें थीं जिनकी वजह से उनको कई आयुक्तों के रखने की आवश्यकता पड़ी । आज उन्होंने यह कहने की भी हिम्मत नहीं की कि वे कौन-कौन से मंदिर हैं जो इस कानून के अन्दर चलाये जा रहे हैं और न उन्होंने यही बतलाने की कोशिश की, कि किस तरह के मंदिर हैं जिनका सुपरवीजन वे इस राज्य के अन्दर कर रह हैं । जब तक यह नहीं मालूम हो कि किस तरह के मंदिर हैं और कौन-कौन मन्दिर हैं जिनका सुपरवीजन इसके द्वारा हो रहा है तथा उनके पास किस प्रकार की जायदाद है और उनसे आमदनी कितनी है जिसकी वजह से ट्रांसफर का सवाल है और जिसकी वजह से यह विधेयक लाया गया है, तब तक हम इसके बारे में क्या बहस कर सकते हैं ? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप किसी मंदिर की प्रापर्टी का सुपरवीजन करना चाहते हैं और इस विधेयक द्वारा उसके ट्रांसफर की कोई बात करना चाहते हैं तो कृपया आप बतलायें कि किस किस्म की जायदाद है, किन, किन मंदिरों की जायदाद है, और कौन-कौन सी वह जायदाद हैं जो ट्रांसफर हो रही है और जिसके लिये यह विधेयक लाया गया है । जहां उन्होंने "दो वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष" का संशोधन रखा है, उसको देखने से भी साफ मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी की मंशा कुछ और है । हालांकि ट्रांसफर के सिलसिले में माननीय मंत्री जी के इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जहां तक विधेयक का संबंध है, मुझे यह यकीन हो रहा है कि "चार वर्ष" जो आपने रखा है—तो सन् १९६२ में यह विधेयक पारित हुआ था और दो वर्ष की म्याद पहले थी तो इस तरह से सन् १९६४ में इस विधेयक को खतम हो जाना चाहिये था लेकिन अब जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है उसकी वजह से ४ वर्ष की मियाद हो जाय तो सन् १९६६ में यह विधेयक खतम हो जायगा । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्री जी क्या चाहते हैं । क्या वे चाहते हैं कि इन मंदिरों की सारी जायदादें सन् १९६६ तक जिनका कि वे सुपरवीजन करते हैं, ट्रांसफर कर दी जायं और सन् १९६६ के बाद कोई हिन्दू मंदिर न रह जायं ? अगर उनकी यह मंशा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

तब तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की मंशा अगर ऐसी नहीं है तो उनको ऐसा विधेयक नहीं लाना चाहिये था । बल्कि ऐसे मंदिरों का कंट्रोल करने के बजाय उनको उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिये । ईमानदारी की बात यह है कि आज प्रदेश के अन्दर जितने भी हिन्दू मंदिर हैं उनमें जितने लोग भी पूजा के लिये जाते हैं वे भगवान् के नाम पर वहां पूजा पाठ करते हैं और भगवान् के नाम पर या मंदिर के देवता के नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हैं । बहुत से लोग जायदाद चढ़ाते हैं तथा बहुत से लोग सामान तथा जेवर भी चढ़ाते हैं । पहले इस तरह से जो चीजें इकट्ठी होती थीं उनको पंडे बुरी तरह से बर्बाद करते थे । यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि उसकी मियाद खत्म हो रही थी और इसी खयाल से माननीय मंत्री जी ने आर्डिनेंस के जरिये उसको कंटिन्यू किया । अगर आप की इच्छा हो तो हम चले जायं; आप जल्दी से पास करा लें । मैं इसका समर्थन करता हूं और इसकी इम्पार्टेन्स को भी समझता हूं लेकिन मैं मंत्री जी की बुद्धि को बधाई देता हूं कि इसमें ४ साल की म्याद रखे । वह इस समय के बाद इसको खत्म करना चाहते हैं या कोई आर्डिनेंस फिर लाना चाहते हैं और फिर एक नया बिल लावेंगे ? ऐसा है तब तो बात दूसरी है लेकिन जो सुपरविजन है और कमिश्नर जो वह ज्यादा तादाद में रख रहे हैं उससे मालूम होता है कि मंत्री जी इसको बहुत दिन तक जारी रखेंगे और सम्पत्ति के ट्रांसफर पर भी इसीलिये रोक लगाई जा रही है । जब हम उनका संरक्षण चाहते हैं, उन पर कंट्रोल चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से कोई हस्तान्तरण न करे, तो हमारे लिये यह उचित होगा कि हम इसे जारी रखें, ज्यादा दिन तक और इसीलिये मैंने अपना पहला संशोधन रखा कि दस साल तक यह रहे ताकि बार-बार इसमें सदन का पैसा बरबाद न हो ।

जहां तक आयुक्त का सवाल है, जो संशोधन मैंने रखा है वह हमेशा एक पर ही निर्भर करता है । यह कोई रेवेन्यू विभाग का मामला नहीं है कि आप हर जिले में आयुक्त रखें और अपने आदमियों को पालें । यह सार्वजनिक संस्थायें हैं इन में कम से कम व्यय होना चाहिये और विधेयक में जो कंट्रोल करने की बात कही गई है उसमें केवल यह बताया गया है कि चूंकि लोग गलत तरीके पर ट्रांसफर कर रहे हैं उसको रोकने के लिये हम एक चेक लगाना चाहते हैं और उसके लिये कहा गया है कि अगर ढाई सौ रुपये से ऊपर की प्रापर्टी होगी तो आयुक्त सर्टिफिकेट देगा । यह चीज मंदिर के लिये है और नीचे की होगी तो सहायक आयुक्त सर्टिफिकेट और स्वीकृति देगा । जब ऐसी बात है तो क्या कारण और जरूरत हो गई कि आप बहुत से आयुक्त नियुक्त करने जा रहे हैं ? एक आयुक्त जो हेड होता है वही काफी था, बहुत से सहायक कमिश्नर थे उनके द्वारा आप काम कर सकते थे । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह बतायें कि बहुत से आयुक्तों की क्या जरूरत पड़ गई, कितनी दरख्वास्तें हैं कि जिन पर लोग ट्रांसफर कराना चाहते हैं, यह बताने की कृपा करें कि कितनी जायदाद कौन-कौन लोग लेना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें कि आप को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है । कमिश्नरों का वेतन भी अधिक होता है । असिस्टेंट कमिश्नर को पावर कलक्टर को भी आप दे सकते हैं, बहुत सी जगह कलक्टर असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि वह स्पष्ट करें कि किसलिये वह इतनी संख्या में आयुक्त लगाना चाहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई है । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

डाक्टर सीताराम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय कमलासिंह जी ने दो तीन बातें यहां पर उठायी । पहली बात तो उन्होंने यह उठाई कि यह स्पष्ट नहीं है कि इतने आयुक्त क्यों नियुक्त किये जा रहे हैं । इस संबंध में मैं कहूंगा कि अभी तक इस प्रदेश में एक कमिश्नर होता था जिसका हेड क्वार्टर लखनऊ में रहता था । अब कमिश्नर को हर जिले के मंदिरों के बारे में आपत्ति सुनने का अधिकार है लेकिन कमिश्नर के आर्डर के खिलाफ अगर किसी को अपील करना है तो वह जिला जज के यहां करेगा जैसा कि मूल अधिनियम, ६२ में प्रावधान है। लेकिन उसमें दिक्कत यह महसूस

हुई कि मान लीजिये कि कोई अल्मोड़े का आदमी है और वह मंदिर का मालिक है तो वह लखनऊ में आये और एक जिला जज, अल्मोड़ा या नैनीताल में है तो समय बरबाद होगा और ज्यादा खर्चा होगा । इस कठिनाई को दूर करने के लिये हर जिले में कमिश्नर नियुक्त होंगे जिन पर सरकारी खजाने का कोई अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं होगा । कलेक्टर को कमिश्नर की पावर दे दी जायगी और सहायक आयुक्त की पावर एस० डी० एम० को दे दी जायगी ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कितने रुपये से लेकर कितने रुपये तक के मंदिर इसमें आयेंगे ? १९६२ के ऐक्ट में .....

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी मंदिर आने का सवाल नहीं है, बल्कि जो मंदिर आपके प्रशासन में हैं उनसे कितनी आमदनी है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य सीधे बात न करें :

डाक्टर सीताराम—

माननीय सदस्य बिल देखें तो मालूम होगा कि अभी इसका काम जारी है और जितने आयुक्त नियुक्त होंगे वह अपने-अपने जिले में आंकड़े तैयार करेंगे कि इसके अन्तर्गत कितने मंदिर है जिनके बारे में कार्यवाही होनी चाहिये । अभी यह कह देना कि कितने मंदिर हैं, क्या काम हुआ है, मुश्किल है क्योंकि मेरे पास अभी मंदिरों की लिस्ट नहीं है । आपने कहा कि सरकार कमिश्नर्स को बनाकर डिले करना चाहती है । ऐसा नहीं है । सरकार चाहती है कि मंदिरों में जो अपव्यय हो रहा है उसको किसी तरह रोका जा सके और इसीलिये प्रत्येक जिले में आयुक्त नियुक्त किये जायेंगे ताकि काम में जो थोड़ी शिथिलता हो चली है उसको दूर करके अच्छी तरह से काम किया जाय । इसमें १,२०० रु० सालाना से लेकर ५०,००० रु० सालाना तक की आमदनी के मंदिर आयेंगे । इसलिये इस बिल पर इतना समय न नष्ट किया जाय, बल्कि इसको तुरन्त पास कर दिया जाय ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, ओरिजिनल विधेयक १९५९ में पास किया गया और अभी मंत्री जी से मालूम हुआ कि कोई कार्यवाही उसके अन्तर्गत नहीं हुई । मंत्री जी नहीं बता सके कि मंदिरों से कितनी आमदनी हुई । कम से कम इतना ही मंत्री जी बता देते कि कौन से मंदिर इस विधेयक में आते हैं । यह भी नहीं बता सकते । और यह जो मंत्री जी कलेक्टर और एस० डी० एम० को क्रमशः आयुक्त और सहायक आयुक्त की पावर्स देने जा रहे है इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इससे ऐग्री करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के शब्द "आयुक्त" के स्थान पर "किसी आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त" रख दिये जायं ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जब मैं ऐग्री कर गया तो उसका अर्थ है कि मैंने वापस ले लिया ।

श्री अधिष्ठाता—

आगे जो आपके संशोधन आयुक्त के संबंध में हैं उनका क्या होगा ? क्या वह भी वापस लिये समझे जायं ?

श्री कमलासिंह यादव—

वह तो मैं जिस समय पेश करूंगा तब बताऊंगा ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) की द्वितीय पंक्ति में "किसी" के स्थान पर "प्रत्येक" रख दिया जाय ।

इसमें श्रीमन्, यह है कि जो मूल अधिनियम की धारा है उस पर हम यह संशोधन चाहते हैं । इसकी उपधारा ४ में हो जायगा "आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे तथा होंगे" तो इसके बारे में मेरा संशोधन है कि "किसी" के स्थान पर "प्रत्येक" रख दिया जाय चूंकि जितने ये कमिश्नर होंगे सहायक कमिश्नर होंगे या अनुसंधान अधिकारी होंगे इसका सभी से संबंध है । शब्द "किसी" खास के लिये होगा और चूंकि आप समूचे प्रदेश में जितने जिलाधीश हैं उनको आयुक्त बना रहे हैं और एस० डी० एम० जो होंगे वे सहायक आयुक्त होंगे तो इसलिये आप जिन-जिन लोगों को एप्वाइन्ट करना चाहते हैं वे सब पब्लिक सरवेन्ट्स होंगे। इसलिये अगर आप शब्द "प्रत्येक" रखेंगे तो तभी ठीक होगा । यह केवल शाब्दिक चीज है और मैं सरकार से चाहूंगा कि "किसी" की जगह पर "प्रत्येक" रख दें । इससे इसकी लेंग्युज भी ठीक हो जायेगी । अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा । वास्तव में यह संशोधन सरकार की ओर से ही आना चाहिये था, परन्तु मुझे ही लाना पड़ा ।

डाक्टर सीताराम—

श्रीमन्, यह जो संशोधन है वह मुझे स्वीकार नहीं है । किसी कमिश्नर को नौमिनेट करने का मतलब यह है कि सरकार को पूरा अधिकार रहेगा। शब्द "प्रत्येक" करने से हमारी मंशा पूरी नहीं हो सकती है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता, महोदय मुझे तो यह सुनकर हंसी आती है । आप तो पब्लिक सरवन्ट्स की डैफिनिशन देने जा रहे हैं । आई० पी० सी० की धारा २१ में दिया हुआ है कि कौन-कौन लोग गवर्नमेंट सरवैन्ट्स होंगे । आपके पास डिस्टिन्कशन करने का कोई जरिया नहीं है । तो इस तरह की दिक्कत आपके सामने आयेंगी । बेहतर यह होगा कि आप अपने अफसर से पूछ लें ताकि बाद में आपको फिर एमेंडमेंट न लाना पड़े । पहली बात जो आपने कही वह मैंने मान ली लेकिन अगर आपने यह संशोधन नहीं माना कि "किसी" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक" रख दिया जाय तो यह बड़ा गलत कार्य होगा ।

डाक्टर सीताराम—

मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "किसी" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

४––मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः–– धारा ५ का संशोधन

केवल हिन्दू ही आयुक्त होंगे

"५––प्रत्येक आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसंधान अधिकारी ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जो हिन्दू धर्म के अनुयायी हों"।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५––मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में शब्द "आयुक्त" के पूर्व शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय। धारा ६ का संशोधन

श्री अधिष्ठाता––

पहला जो संशोधन है उसको माननीय कमलासिंह जी देख लें। वह गिर चुका है इस लिए यह संशोधन बेमानी हो जाता है।

श्री कमलासिंह यादव––

ठीक है, मुझे पेश नहीं करना है।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६––मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः–– धारा ७ का संशोधन

सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए पूर्वानुमोदन आवश्यक

"७––तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का हस्तान्तरण तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उक्त संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त की अथवा, यदि हस्तान्तरण की जाने वाली संपत्ति का मूल्य दो सौ पचास रुपये से अधिक न हो तो सहायक आयुक्त की, लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त कर ली गई हो कि हस्तान्तरण आवश्यक अथवा संस्था के लिए लाभदायक है।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए "हस्तान्तरण" के अन्तर्गत किसी चल सम्पत्ति का, जैसे भोग, प्रसाद तथा इसी प्रकार की किसी वस्तु का, रूढ़िगत उपयोग या वितरण सम्मिलित नहीं है।

(२) किसी आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर संस्था का मुख्यालय अथवा संबद्ध सम्पत्ति स्थित हो और अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा।"

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब खुद ही आयुक्त है तो देख ही सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ७—८

धारा १५ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) धारा ७ के अधीन प्रस्तावित संपत्ति के हस्तान्तरण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५, १९६४ का निरसन

८—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध लागू होंगे मानो यह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त तथा पुनरधिनियमित कोई अधिनियमिति हो ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ का संशोधन करने के लिए

## विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ का संशोधन करने के लिए १४ दिसम्बर, १९६४ को राज्यपाल द्वारा, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ प्रख्यापित किया गया था, और यह इष्टकर और आवश्यक है कि अध्यादेश को विधान मंडल की अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी, आपका जो संशोधन है वह अनुपयुक्त मालूम होता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां, वह खंड २ में था, एक में नहीं था ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सीताराम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो यह बड़ा घपला मालूम देता है कि कई बार माननीय कमलासिंह जी ने अपने संशोधनों को बहुत सोच विचार कर बड़ी विद्वत्ता के साथ रखा लेकिन सरकार ने अपने बहुमत के बल पर उनको गिरा दिया । श्रीमन्, मैं उस जिले का हूं जहां पर मंदिर और मठ बहुत ज्यादा हैं । यहां तक तो मैं चाहता हूं कि इन मंदिरों में जो खुराफात होती है वह या तो हमको मालूम है या मंदिरों के पंडो को मालूम है, वह बन्द होनी चाहिए । मथुरा तीर्थ स्थान है लेकिन उसको बदनाम कर रखा है ।

श्रीमन्, हमारे पुरखे न जाने कैसे थे जिन्होंने इन मंदिरों में देश की संपत्ति लगा कर देश के साथ में बहुत गद्दारी की । यह आयुक्त की बात मेरी समझ में नहीं आई । यह आयुक्त क्या बला है जो मंदिरों के ऊपर इसका शासन बना दिया जाय । इन मंदिरों की संपत्ति और आमदनी को सरकार जरूर अपने नियंत्रण में ले और इसके लिये एक चुनी हुई कमेटी बनाई जाय । उसमें हरिजन ज्यादा हों क्योंकि इन मंदिरों में हरिजनों को भगवान के दर्शन तक नहीं करने दिया जाता है । हमारे नेता माननीय राजनारायणसिंह जी ने काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया तो इस सरकार की पुलिस ने राजनारायणसिंह जी की दाढ़ी नुचवाई ।

श्री अधिष्ठाता—

लखीसिंह जी आप आयुक्त के बारे में कुछ बताइये आप तो दूसरी बातों पर आ गये ।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, सोशलिस्ट पार्टी का, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धांत है (व्यवधान)

आप श्रीमन्, बोलने दीजिए मुझे, इन्हें बिठाल दीजिए जो शोर मचा रहे हैं । तो यह हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि कमिश्नर, गवर्नर और कलेक्टर ये तीन समाजवाद के दुश्मन हैं । ये किसी भी चीज पर मालिक न बनाये जायें, और जिसमें यह धार्मिक संस्था भी है । एक तरह से तो मैं इस चीज को नहीं मानता क्योंकि मैं समाजवादी हूं । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी जितने हिन्दुस्तान में लोग रहते हैं उनमें से हम भी सब हैं । हम किसी उस चीज को नहीं मानते लेकिन यह हम जरूर मानते हैं कि देश की संपत्ति को यह लोग खुर्द-बुर्द न करें और

[श्री लखीसिंह]

इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जो कि उसकी आमदनी, आय-व्यय का हिसाब-किताब ठीक रक्खे और वह जिसे अंग्रेजी में ट्रस्टी भी कहते हैं। यानी एक कमेटी या एक पंचायत के अधीन इन सब मंदिरों को कर दिया जाय और इन पंचायतों का चुनाव सालाना हो और उनमें जहां तक हमारा मत है, हमारा जहां तक सुझाव है हरिजनों अध्यक्ष बनाया जाय, उन हरिजनों को जो बाल्मीक हरिजन हैं उनमें से अध्यक्ष बनाया जाय और जाटव हरिजन को उसका सेक्रेटरी बनाया जाय और कमेटी में जितने सदस्य हों बहुमत से महिला हरिजन हों। इस देश की संपत्ति अब तक तो खुर्द-बुर्द हुई और इस देश का सर्वनाश इसी में हुआ है। धर्म का आडम्बर बनाकर धर्म की आड़ में पूंजीपतियों ने इस देश के ऊपर अपना कब्जा बनाये रखा। पूंजीपतियों को पनपाना है यदि मंदिरों को छूट दी गई। सरकार ने जमींदारी खत्म की, राजा महाराजा खत्म किये.....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जाइए, फिर बोलिएगा। आप तो विषय के बाहर की बात कर रहे हैं। बोलना हो तो इसी पर बोलिए।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

नहीं, अधिष्ठाता महोदय, अभी इन्हें बोलने दीजिए। यदि इन का समय खत्म हो गया है तो बैठ जायेंगे नहीं तो बोलने दीजिए।

श्री लखीसिंह—

अभी तो लाल बत्ती भी नहीं हुई, अभी कैसे समय समाप्त हो गया? मैं इस बिल पर ही बोल रहा हूं। पहले तो राज्यपाल आर्डीनेंस निकलवा देते हैं, अध्यादेश निकलवा देते हैं और बाद में हमारे सामने यह विधेयक कानून बनाने के लिए लाना चाहते हैं। गैर कानूनी काम हर वक्त करते हैं। तो इसमें हम तो यह कहते हैं कि जो ठीक चीज है उसको तो हम मानते हैं, लेकिन आयुक्त व कमिश्नर को हम नहीं मानते, उनको मंदिरों का मालिक नहीं बनाया जाना चाहिए। कुछ कमिश्नर सारे मंदिरों पर काबिज नहीं हो सकते। यह कमिश्नर-शाही मंदिरों पर न हो।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक इस विधेयक का सवाल है मेरी समझ में नहीं आता कि इस कांग्रेस सरकार की नीति कसे उज्ज्वल होगी और आज दूसरी किस्म का बिल पारित किया जा रहा है। जहां करोड़ों की संपत्ति का सवाल है, लाखों रुपयों का सोना जहां रहता है, लाखों रुपयों की जायदाद जहां रहती है, वहां तो यह सरकार अधिकारी भेजकर निरीक्षण कराती है या कंट्रोल कराती है। (व्यवधान) मैं कह रहा था कि मुख्य मंत्री जी के रहते हुए भी इस तरह का वातावरण पैदा हो।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी आप बोलिए, विधेयक के बारे में, जो विचार आप व्यक्त करना चाहते हैं, वह आप व्यक्त करें।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं इस सरकार की नीति की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि यहां पर दो किस्म के मंदिर हैं और दो किस्म के विधेयक इस सदन में पास हो रहे हैं। एक तो बद्रीनाथ टेंम्पुल, जहां हजारों मन सोना धूप में सुखाया जाता है। तो ऐसी जगह जहां पर आमदनी का जरिया है, जहां लाखों रुपया जो हाथ में इधर-उधर करने का मौका मिलता है, वहां उसके लिए यह सरकार जो है ऐसा प्रतिबंध करती है कि एक कमेटी वहां

बैठाती है और इसके बाद जो आपका आदमी एलेक्शन में हार जाता है, उसको आप उस कमेटी में लगाते हैं ताकि चुनाव के खर्चे की पूर्ति वह वहां पर कर ले। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि अगर आपकी श्रद्धा है मंदिरों के प्रति कि मंदिर जो हैं वह पब्लिक के जरिए या नान-आफिशियल के जरिए उस पर कंट्रोल हो तो किसी वजह से आप उस पर कमिश्नर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, सरकार अगर यह समझती है कि जितने नान-आफिशियल बेईमान है तब इसको चाहिए कि अपने आफिसरों के जरिए हर जगह कंट्रोल करावें। उनको चाहिए कि वह पालिसी जिसको अपनायें हैं कुछ मंदिरों में, उसी पालिसी, को और मंदिरों के बारे में भी अपनाना चाहिए।

अब दूसरी चीज यह है कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है सरकार के अधिकारी कितने सतर्क हैं, इन मंदिरों के जायदाद के निरीक्षण करने के बारे में, या जो संपत्ति इन मंदिरों की है, जिस पर सरकार कंट्रोल करने जा रही है, इसके बारे में इनके अधिकारी कितने सचेत हैं,। सन् १९५९ में यह विधेयक पास हुआ और ६ वर्ष के बाद भी माननीय मंत्री जी इस पोजीशन में नहीं आ सके कि कौन-कौन से विधेयक इसके अन्दर आ सकते हैं। तो मिनिस्टर हमारा जो है या सरकार जो है, वह ६ साल के बाद बताने लायक नहीं रही कि जायदाद कौन सी रही, जिसके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि इस विधेयक का समय व्यतीत होने जा रहा है। लेकिन पहले ९ सितम्बर, १९६४ तक सेशन हुआ उसमें विधेयक न लाकर उसके बाद आर्डिनेंस लाए और फिर अब यह विधेयक लाए। ५९ में पहला विधेयक पास हुआ था....

डाक्टर सीताराम—

मैं माननीय मित्र की सूचना के लिए बतलाता हूं कि विधेयक ६२ में पास हुआ था, ५९ में नहीं।

श्री कमला सिंह यादव—

ठीक है, लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि जब समय खत्म होने की बात थी तो उस सेशन में यह विधेयक लाया जाना चाहिए था। आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता ही न पड़ती। अगर हमारे मंत्रिगण बराबर सोते रहेंगे तो फिर वह कंट्रोल क्या करेंगे। इन अफसरों के सोने पर तो डिकंट्रोल की नौबत तक आ जायगी और जैसी रुपया कमाने की प्रवृत्ति है उसके अनुसार सारा रुपया इन्हीं लोगों के पास चला जायगा। मैं तो सरकार से कहूंगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब तरफ के मंदिरों के लिए एक सा विधेयक हो। अगर बद्रीनाथ के लिए एक नीति और और मंदिरों के लिए दूसरी नीति रही तो उससे असंतोष बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीति का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

विश्वनाथ की घटना जो हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हरिजन उसमें जाने नहीं पाये। अगर हरिजन हिन्दुओं की डेफनीशन मे नहीं आते तो ऐसा विधेयक टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दें। क्योंकि उसमें यह है कि आयुक्त या सहायक आयुक्त हिन्दू होंगे और हरिजन जो महात्मा गांधी के हरिजन हैं वे उनमें नहीं जा सकते तो ऐसे मंदिरों को और उसके इस विधेयक को जला देना ज्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि जो भगवान में विश्वास करने वाले हैं या देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले हैं उन सबका प्रवेश इनमें होना चाहिए और डंडे के बल पर होना चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो किसी को रोक सके। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मंदिरों का सवाल है मंदिरों में वहां पंडे पुजारी रोकते हैं। उनके रोकने का मतलब यह है कि यदि हरिजन प्रवेश करेगा तो वहां के भगवान अपवित्र हो जायंगे।

श्री अधिष्ठाता—

क्या यह आप उद्देश्य और कारणों के अनुकूल अपना भाषण कर रहे हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

हिन्दू धर्म के नाम पर इसमें आपने रखा है तो क्या मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता ? इसमें पालिसी का सवाल है। यह हर एक को ओपिन है और हर एक इसमें बोल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो हम चले जायं और आप इसको पास कर लें। लेकिन जो हमारी भावना है उसको हम यहां पर एक्सप्रेस करना जरूर चाहते हैं। जहां तक हिन्दू धर्म का सवाल है, हमारा निवेदन यह है कि वह किसी हरिजन के जाने से अपवित्र नहीं हो सकता है। हरिजन चला जाय या कोई भी चला जाय, मुसलमान भी चला जाय तो वहां से वह पवित्र ही होकर निकलेगा। अगर कोई ऐसे मंदिर हैं जो हरिजनों को मंदिर में जाने से रोकते हैं तो मैं चाहता हूं कि ऐसे मंदिरों को बन्द कर दिया जाय। उनकी जरूरत नहीं है और उनकी जायदाद को डिसपोज आफ कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बातों का मैंने सुझाव दिया है उनको मंत्री जी अपने विचार में रखेंगे और उसके बाद जो सही स्टेप होंगे उनको लेने की कोशिश करेंगे।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक मन्दिरों को इन्तजाम में लेने का सवाल है मैं पूर्णरूप से सहमत हूं कि उनको लिया जाय लेकिन मुझे कठिनाई इस बात की है कि यह हमारी सरकार जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहती है, यह क्यों हिन्दू मन्दिरों को ही आज कन्ट्रोल में लेने को सोचती है ? यह सरकार अगर हिन्दू मन्दिरों के बजाय तमाम धार्मिक स्थानों को इसमें लेती तो कितना अच्छा होता और हम भी देखते कि कितने दिन इस चीज को वह चलाती। ये मस्जिद, गुरुद्वारे और मठ हैं इनको भी इसके अन्दर आना चाहिए था। जिस तरीके से आज मंदिरों के नाम पर विधेयक हमारे सामने लाया गया है आप हिस्ट्री उठाकर देख ले श्रद्धा से चाहे वह सही थी या गलत अगर हिन्दुस्तान में नाम जीवित रहा तो वह धार्मिक आदमी की श्रद्धा के कारण रहा है। महात्मा गांधी और स्वामी दयानन्द का नाम धर्म में श्रद्धा के नाम पर रहा है। मैं नहीं कहता कि उनका सुधार नहीं होना चाहिए। उनका सुधार किया जाय लेकिन भ्रष्टाचार तमाम जगहों पर है। आप वहां पर हिम्मत क्यों नहीं करते कि वहां पर भी सुधार करें ?

मस्जिदों के अन्दर जिस तरह से मुस्लिम लीग का एन्टी नैशनल प्रचार होता चला आया है, उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। हिन्दुओं के ही धार्मिक संस्थानों के सुधार की ओर आपका ध्यान पहले जाता है। इससे हिन्दुओं की श्रद्धा कम हो जावेगी। आज जिस तरह से हरद्वार में मंदिर बिकते हैं, आक्शन होते हैं, उससे मैं नहीं चाहता कि हिन्दुओं की श्रद्धा कम हो। सरकार ने इस विधेयक के द्वारा जो कदम उठाया है, मंदिरों में सुधार की आवश्यकता को समझते हुए, जो मेरी समझ में हालांकि इतना जरूरी नहीं है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसी सेशन के अन्दर ऐसा बिल भी लावें जिसमें सारों धर्मों के संस्थानों के सुधारों के बारे में चर्चा हों, फिर हम देखें कि सरकार किस हद तक अपने मकसद में सफल होती है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे तुरंत मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों या जितने मठ हैं, जहां धार्मिक प्रचार होते हैं, ऐन्टी नैशनल ऐक्ट होते हैं, उनके संबंध में भी विधेयक प्रस्तुत करें, तो मैं आपका आभारी हूंगा।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

मैं अभी माननीय सदस्य के विचार सुन रहा था जिसमें उन्होंने मुसलमानों, क्रिश्चियनों, सभी धर्मों के ऊपर ऐसी ही चीजें रोपीं, अगर मोटे तौर पर देखें.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कुरील जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १४८ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके अनुसार विधेयक पर चर्चा विधेयक के समर्थन या उसकी अस्वीकृति के प्रतीकों तक ही सीमित रहेगी। जब माननीय सदन ने किसी विधेयक के उद्देश्य को स्वीकार कर दिया और उसके प्रकरणों पर मत व्यक्त कर दिया तो फिर मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य जब भी अब बोलने के लिए खड़े हों तो केवल अपने विचार उन प्रतीकों की ओर रक्खें जिनका आप इनके पारण में औचित्य नहीं मानते, दें, अगर पारण में औचित्य को मानते हैं तो आपके तर्क नहीं होने चाहिए।

श्री मुरलीधर कुरील—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके औचित्य को मानता हूं। मैं केवल उस धार्मिक बात का निराकरण करना चाहता हूं जो माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष प्रस्तुत की है।

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप में कहिए।

श्री मुरलीधर कुरील—

मैं कहना चाहता हूं कि जिन धर्मों की चर्चा की गई है उन धर्मों में ऐसा व्यवहार नहीं पाया जाता है जैसा कि हिन्दू धर्म में पाया जाता है। उन धर्मों में ऐसा कोई मतभेद नहीं है जिससे उसमें सुधार की आवश्यकता प्रतीत हो। हिन्दू मंदिरों में एक ऐसे अंग को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, जिसे हरिजन की संज्ञा दी गई है। इसलिये इस विधेयक के द्वारा मन्दिरों में सुधार की आवश्यकता समझी गई है। इन शब्दों के द्वारा मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मैंने जहां तक इस अधिनियम को पढ़ा है मुझे यह बड़ा अच्छा लगा है। मैं खास तौर से माननीय डाक्टर सीताराम से कहना चाहता हूं कि जो बात माननीय मायर जी ने और दूसरे दोस्तों ने कही, वह बात सही है कि एक धर्म के लिये इस प्रकार का कानून बनाना यह चीज एक सेक्युलर स्टेट में मुनासिब नहीं है। इसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी धर्म बराबर हैं। सारे हिन्दोस्तान में आप देख रहे हैं कि कितने भाषा-भाषी हैं और कैसे उसके चक्कर में फंसे हुए हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार किसी एक धर्म के लिये कानून बनाये तो बिल्कुल सिद्धान्त के विरुद्ध बात है जिसमें यह धर्म निरपेक्षता की बात कही जाती है।

दूसरी बात श्रीमन्, प्रबन्ध की कही गयी, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि प्रबन्ध जरूर होना चाहिये परन्तु एक प्रबन्ध होता है डेमोक्रेटिक तरीके से और एक होता है अधिनायकवादी तरीके से। जो सरकार का प्रबन्ध मंदिरों का होगा, इस कानून के द्वारा, वह बिल्कुल एक अधिनायकवादी तरीके से होगा। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर चाहे उनको कमिश्नर की पावर दे दी जाय या असिस्टेंट कमिश्नर की दे दी जाय, उनका इन मन्दिरों से कोई वास्ता नहीं है, और आप उन्हें जानते हैं कि प्रशासन के मामले में ये कितने भ्रष्ट हैं। मन्दिर अगर आप उनको दे देंगे तो बड़ी-बड़ी और छोटी-छोटी बातों में वह कितने ही भ्रष्ट काम करेंगे। हां, अगर आप कोई बोर्ड बना देते या कमेटी बना देते तो एक मुंह न होकर कई मुंह की बात होती और इस तरह की गड़बड़ न होती। इन शब्दों के साथ मैं डाक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इन दो बातों के कारण मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मेरे यहां मथुरा में तो मन्दिरों का बहुत बड़ा जमघट है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस विधेयक पर बहस चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और हिन्दू धर्म के इतिहास में बहुत ही बड़ा स्थान रखने वाला विधेयक है। भाई लखोसिंह ने और कमलासिंह ने विधेयक के उसूलों पर तो विरोध प्रकट नहीं किया है लेकिन कार्यपद्धति पर विरोध थोड़ा सा रखते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जमींदारी उन्मूलन में देर की गयी और उसका नतीजा यह हुआ कि जमींदारी उन्मूलन में जो जमीन सरकार को मिलने वाली थी वह लोगों ने अपने रिश्तेदारों और नातेदारों के नाम कर दी इसी तरह से जो मठ और मन्दिर हैं उनमें भी एक बड़ा भारी घपला चल गया है। और वह यह कि मन्दिर के नाम जायदाद लिखी है, बाग लिखे हैं, मकान लिखे हैं, बहुत से मन्दिरों में तो धर्मशाला खोल दिया गया है कहीं विद्यालय खोल दिया गया है और इस तरह से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होने जा रहा है। धर्मशाला खोल कर उसमें किराया भी लिया जाता है और जब जांच करने के लिये जायंगे तो यह कहा जायगा कि यह मन्दिर नहीं है यह तो धर्मशाला है। इस ऐक्ट में तो वह बात नहीं आयी है लेकिन मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग मन्दिर वाले करेंगे क्योंकि यह उनका एक तरह से पेशा ही हो गया है और इस पेशे में वह ऐसे लग गये हैं कि वे इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। माननीय मंत्री जी इस ओर थोड़ा ध्यान दें और जो तहसीलदार वगैरह एसेस करने जायं वह भी इस बात का ध्यान रखें। जो इन मन्दिरों में लगी सम्पत्ति है उसका अपव्यय न हो।

हमारे यहां अयोध्या में बहुत बड़ी सम्पत्ति रानोपाली की है और वह सज्जन बस्ती में विधान सभा का चुनाव लड़ रहे हैं। धर्म के नाम पर बाग लिखा लिये, खेत लिखा लिये, और आज उस पर काबिज हैं। जब वह जिला गोंडा में कलेक्टर थे तो बाबा को सशंकित करके जायदाद हड़पने की पूरी कोशिश की, गोंडे में हड़प लिया और लखौरीं बाग, अयोध्या में बहुत मशहूर बाग था, उसको ले लिया। इस प्रकार मन्दिरों में बहुत भारी संपत्ति अब भी है। जहां तक बद्रीनाथ की बात है वह दूसरी चीज है। यहां तो तमाम मन्दिर फैले हुए हैं और अरबों रुपये की संपत्ति मन्दिरों में लगी हुई है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। एक आयुक्त उसकी रखवाली नहीं कर सकता। अगर विस्तृत रूप से जिलों में जिलाधीश को इनका प्रबन्ध दे दिया जाता तो सारी चीजें कन्ट्रोल हो जातीं। बहुत से लोग आज इस भावना के हैं कि ये मन्दिर हमारी सम्पत्ति हैं और सरकार उनको हाथ न लगाये। इसी तरीके से धर्मादा कमेटियों का हुआ। लाखों रुपया उनका लेकर बनिये लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मंत्री जी इन सब चीजों पर ध्यान दें और जो धर्मशालायें और संस्कृत पाठशालायें जो बाद में बन गयी हैं, उनको न माना जाय। इससे प्रदेश का बहुत लाभ होगा और इन मन्दिरों का भी सुधार होगा। आज बहुत से मन्दिरों में दिया भी नहीं जलता है, पैसे का लोग अपव्यय करते हैं। मंदिरों में ५–५, ६–६ मकान लगे हुए हैं लेकिन फिर भी उनकी हालत खराब होती जा रही है।

कहा गया कि सेक्युलर स्टेट है और उसमें सभी चीजें आ जायं लेकिन सभी चीजें उसमें नहीं आ सकतीं। आप यहां यह भले ही कहें कि सेक्युलर स्टेट में ऐसा कानून नहीं आ सकता लेकिन अगर ऐसा होता तो हिन्दू कोड बिल केन्द्रीय सरकार ने पास किया। हिन्दू एक स्त्री रख सकते हैं और मुसलमान चार स्त्री रख सकते हैं, यह चीज कैसे होती? यह भावना तभी जा सकती है जब डिक्टेटरशिप हो जाय। लेकिन यहां डिस्क्टेटरशिप नहीं आ सकती है, यहां तो धर्म निरपेक्ष राज्य की बात लेकर चल रही हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि हिन्दू धर्म के नाम पर जो मन्दिर हैं उन पर जो अपव्यय हो रहा है उसको आप रोकने का प्रयत्न करें।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहली बात तो यह है कि विरोधी दल के सदस्यों ने इसका मकसद ठीक तरीके से समझा नहीं, न उद्देश्य समझे, न कारण समझे और न इसकी बुनियाद

समझी। कुछ थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जिस वक्त जमींदारी विनाश का कानून बन रहा था अक्लमन्द लोगों ने ट्रस्ट और मन्दिरों के नाम पर लाखों रुपये की जायदाद लगा ली और इस किस्म का विधान बना लिया कि खुद उसके मैनेजर रहें और उसके बाद उनके वंश में आखिरी पोते, परपोते तक मालिक, अधिष्ठाता तथा मैनेजर बने रहें। सरकार थी जागृत, विरोधी दल के लोग थे सोते। जागृत सरकार ने जागृत कदम उठाया और लाखों रुपये की सम्पत्ति जो धर्म के नाम पर इन ट्रस्टों और मन्दिरों में लगी हुई है उसका अपव्यय होने से बचा लिया। कैसा अपव्यय कि वही रहे ताल्लुकेदार, वही रहे जमींदार, वही सब लोग रहें, वही उनकी ऐयाशी रही, सब आमदनी, लगान, मालगुजारी उन्हीं की जेब में जाती रही, उसे चाहे वे शराब में खर्च करें या दूसरे कामों में खर्च करें। तो डाक्टर सीताराम बड़े समझदार मन्त्री हैं, इन्होंने इन सारी चीजों को देखकर समझकर यह कानून यहां रखा और मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें कुछ कमियां भी हैं। १,२०० रुपये के नीचे के लिये आप क्यों आंखें बन्द किये हैं। लोग इससे बचने के लिये उनकी आमदनी जानबूझकर साढ़े ग्यारह सौ रखेंगे। हजारों मन्दिर और ट्रस्ट अपने को उससे बचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं डाक्टर साहब को सुझाव देता हूं कि एक रुपया से लेकर १ लाख रुपये तक के जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी मन्दिर हैं और जितने भी उनकी सम्पत्ति है उन सब पर आपका काबू होना चाहिये। कुछ ऐसे भी ट्रस्टी हैं जो पैदायशी मैनेजिंग डाइरेक्टर हो गये और उन्होंने सारी सम्पत्ति को अपने लड़के के नाम, अपनी जोरू के नाम, अपने पोते, परपोते के नाम कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि १,२०० से नीचे की आमदनी के भी मन्दिर व ट्रस्ट अपने हाथ में रखें।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बधाई देता हूं सरकार को और माननीय मंत्री जी को कि अन्ततः आज वे इस बिल को ले आयें। इसमें कोई शक नहीं और यह निर्विवाद बात है कि जिस तरह से आज मन्दिरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, मुझे आश्चर्य है कि अभी तक क्यों यह बिल नहीं आया। इस सम्बन्ध में माननीय मिश्रा जी के सुझाव से मैं सहमत हूं कि १,२०० रु० से नीचे की आमदनी यानी १ पैसे से लेकर १ लाख रुपये तक जितनी भी आमदनी हो, सब को आपको अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगे चल कर इस पर विवाद खड़ा हो जायगा कि इस मन्दिर की आमदनी १,२०० रु० सालाना है या कम है। अथवा इसकी सम्पत्ति ५० हजार रुपये की है या नहीं है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसका कोई प्राविधान इस विधेयक में होना चाहिये था कि इसका अन्तिम फैसला कौन करे, कमिश्नर करे या गवर्नमेन्ट करे। मैं समझता हूं कि जब इस तरह का कोई विवाद खड़ा हो जाय तो उसके लिये आप कमिश्नर को अधिकार दे दें कि वह इसका अन्तिम फैसला कर दे और सुचारू रूप से उसका तुरन्त निपटारा हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप बैठ जायं। मैंने सदन का ध्यान नियम १४८ की ओर आकृष्ट किया था और मैं समझता था कि नियम १४८ को दृष्टिगत रखते हुए इस समय सदन के सामने ऐसे प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे जिनका कि समावेश इस विधेयक में नहीं है। इस समय विवाद केवल इस विधेयक को क्यों पारित किया जाय और क्यों नहीं पारित किया जाय, यहीं तक सीमित रहेगा।

श्री कृष्णचन्द—

मैं यही कह रहा था कि इसको पारित करना आवश्यक है। एक दो बातें छूट गयी थीं उसी की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था।

श्री अधिष्ठाता—

उसके लिये यह मौका नहीं।

श्री कृष्णचन्द—

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि झांसी में चन्द मन्दिर हैं जो कि ऐतिहासिक हैं और जिनका सम्बन्ध महारानी लक्ष्मीबाई से है। उनकी हालत बहुत ही खराब है और वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गये हैं। जिनके सुपुर्द वे मन्दिर थे उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी आमदनी १,२०० रु० सालाना से कम है। इसलिये मैं आपसे बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें आप कुछ ढ़ील कर दें और १,२०० रु० से कम आमदनी वाले मन्दिरों के मैनेजमेन्ट को अपने हाथ में जरूर ले लिया जाय।

तीसरी बात यह है कि जहां आप कमिश्नर नियुक्त करें वहां पर उसकी सलाह के लिये कोई छोटी सी कमेटी जरूर बना दें क्योंकि यदि आपने पूर्ण अधिकार कलेक्टर साहब को यह दे दिया तो कलेक्टर इस वक्त आपका बहुत व्यस्त आदमी है। उसको आपने आल राउंडर बना दिया है जो फुटबाल भी खेलता है, हाकी भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, बैडमिन्टन भी खेलता है, कबड्डी भी खेलता है, रेसलिंग भी खेलता है और युयुत्सु भी खेलता है। इस तरह से यह सारे खेल खेलता है। इसलिये मेरी राय है कि आपका जब कानून पास हो तो उसमें आप एक सलाहकार समिति का भी प्राविजन करें।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आप की व्यवस्था पर सीमित रहूंगा। इसमें जो हस्तान्तरण की व्यवस्था है उस पर जो केवल आयुक्त को अधिकार है उसमें मुझे शंका है और आप ऐसी व्यवस्था अवश्य करें कि अगर कोई ट्रान्सफर की आज्ञा आयुक्त से मांगी जायगी तो उसमें लेने देने की काफी गुंजायश होगी। अतः इसके लिये अगर कम से कम ३ व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी जाय तो ठीक होगा उसके द्वारा कमिश्नर भी अपनी राय देंगे तो भ्रष्टाचार की सम्भावना न रहेगी। एक बात मिश्र जी ने कही वह वास्तव में सरकार को पहले करना चाहिये थी लेकिन सरकार सोती रही। सन् ५९ में कुछ नहीं हुआ बिल लेप्स हो गया, ६२ में २ साल की अवधि बढ़ाई गई और अब फिर सरकार को आर्डिनेंस के द्वारा २ साल और बढ़ाने पड़े। इसलिये सरकार सोने वाला काम न करके दूसरे ढंग से काम करे।

डाक्टर सीताराम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों को अच्छी तरह से सुना। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य इसके उद्देश्य और कारणों को अच्छी तरह से पढ़ लिये होते तो मेरे लिये अधिक निरूपण करने की आवश्यकता न होती। उनमें साफ दिया हुआ है कि इस प्रदेश की हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में जो अपव्यय फैला हुआ वह रोका जाय। वह हमेशा से रहा है और सरकार की दृष्टि भी उस पर रही है। सन् ५५ में इसीलिये इस सरकार ने एक विधेयक इस सदन में लाया था लेकिन वह किन्हीं कारणों से उस समय लैप्स हो गया। उसके बाद सन् ६० में केन्द्रीय सरकार ने संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया लेकिन वह वहां अभी तक पारित न हो सका। हमारे प्रदेश में स बीच में जब ५५ का बिल लेप्स हो गया तब कुछ मन्दिरों की शिकायतें आईं कि लोगों ने गलत ढंग से जायदादों का हस्तान्तरण आरम्भ कर दिया है और मन्दिरों की प्रापर्टी का अपव्यय हो रहा है। इस पर सरकार ने एक अस्थायी कानून सन् ६२ में बनाया। उसकी अवधि खत्म हो रही थी इसलिये सरकार ने उचित समझा कि उसकी अवधि को बढ़ाया जाय। इसी बीच में ६४ के बाद अब फिर इस अवधि को बढ़ाना जरूरी हो गया और मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र ही एक काम्प्रहेंसिव विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

फिर आप एक्सटेंशन तो नहीं करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं इसलिये आप बैठें।

डाक्टर सीताराम—

इसमें जो भी कार्य होगा वह कमिश्नर के द्वारा होगा, वह डिजिगनेशन कमिश्नर का होगा बाकी सारी कमिश्नर की पावर्स कलेक्टर को ही दी जायंगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह से अधिनायकवाद की परम्परा डाली जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी जनतन्त्र में जनता में जनतांत्रिक भावना को प्रेरित करने के लिये जनता के हित की बातों को दृष्टि में रखना होगा। ऐसी बात कहना नितान्त कहना अनुचित है। माननीय कमला सिंह जी ने कहा कि हमने यह नहीं बताया कि किन-किन जातियों के व्यक्ति मन्दिरों में भाग लेंगे। मैं समझता हूं कि वह सन् ६२ का कानून पढ़े होते तो उनको अच्छी तरह से आभास हो जाता कि उसमें हिन्दू का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो हिन्दू धर्म के किसी विकसित स्वरूप का अनुलम्बी हो। लिंगायत, तथा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी हैं और इसमें बौद्ध, जैन तथा सिक्ख भी सम्मिलित हैं। यह परिभाषा है हिन्दू धर्म की। इसलिये उनको आशंका नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको पारित करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

यह छोटा सा विधेयक है। चुनावों के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में कुछ रिट हो गयी जिस वजह से चुनाव नहीं हो सके जो हमने सोचा था। इसलिये हमने रखा है कि जो १९६४ तक समय था वह ३१ मार्च, १९६५ कर दिया जाय क्योंकि हाई कोर्ट में अभी भी कहीं-कहीं रिट पड़ी हुई हैं। माननीय कमला सिंह ने एक संशोधन दिया जो मैं समझता हूं मुनासिब है और जब वह आयेगा तो उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने ३० जून तक की बात कही है, मैं उसको स्वीकार करूंगा।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक

---

†८ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

श्रीमन्, इस संशोधन के नीचे कुछ बेस हैं इसलिये मैं रख रहा हूं। इस विधेयक को पढ़ने से यह मालूम होता है कि सरकार और इसके अधिकारी इसके मुताल्लिक बिल्कुल सतर्क नहीं थे। और यह इसलिये कहता हूं कि कोई भी विधेयक जो यहां लाया जाता है, चाहे अध्यादेश के रूप में या किसी बिल के रूप में आता है तो आप जानते हैं उस पर कितना रुपया तथा समय खर्च होता है। मैं इस ओर मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब म्युनिसिपल विधेयक ९ सितम्बर, १९६४ को यहां पारित हो रहा था तो मैंने मंत्री जी का ध्यान धारा ४३(ए ए) की तरफ दिलाया था। लेकिन उस समय उन्होंने फ्लैटली मना कर दिया था। लेकिन यदि उसी समय ऐसा कर दिये होते तो अध्यादेश की जरूरत ही न होती।

जहां तक कोर्ट का सम्बन्ध है कि जज के यहां या और किसी के यहां पेटीशन दाखिल की जाय, यह आसानी से १ लाइन में दिया जा सकता था . . .

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय कमला सिंह जी, इस विधेयक में कहां हैं ?

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं यह मानता हूं कि कुछ टाउन एरिया ऐसे हैं कि जिनमें ये देखा गया है कि कोर्ट से स्टे आर्डर हुआ जिस की वजह से निर्वाचन नहीं हो सके, तो जो अक्तूबर, १९५७ में एलेक्शन में कार्यकाल ६१ तक बढ़ा और फिर १९६३ में ३१ दिसम्बर, १९६४ तक बढ़ा और मैं यह कह सकता हूं कि केसेज पेंडिंग थे। तो इसकी वजह से उन्होंने गवर्नर के यहां एप्रोच किया और नतीजा यह हुआ कि अध्यादेश आया। मुझे आश्चर्य है कि ३१ मार्च, १९६५ इसके अन्दर रखा गया। यह सदन ११ मई, १९६५ तक चलने वाला था तो किस तरह से माननीय मन्त्री जी एलेक्शन करा लेते? हम हमेशा चाहते हैं कि यहां से जो भी विधेयक बने, उसमें हम सरकार की मदद करें। यहां से जो भी विधेयक पास होता है उसमें कोई पार्टी नहीं रहती है। जैसा देखा गया है कि बहुत से विधेयक अल्ट्रा वायर्स हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी विधेयक जो इस सदन में आये वह कोई "व्यक्तिगत" चीज न हो। ला तो बड़ा कठोर है। न किसी पार्टी से मतलब रखता है और न किसी व्यक्ति विशेष से। जो भी लिटेरल इन्टरप्रिटेशन होगी, वही रहेगी। इस तरह की जो गल्तियां हुई हैं, मैं चाहता हूं, भविष्य में न हों और वे दोहरायी न जायें। चूंकि मेरा संशोधन में निहित सुझाव को माननीय मन्त्री जी ने मान लिया है अतः मैं संशोधन को वापस लेता हूं और आप विधेयक को जल्दी से जल्दी पास कर दें।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की धारा ३ के अन्त में आये हुये पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से जो राज्य सरकार के वश के बाहर हो, किसी स्थानीय निकाय का ३१ दिसम्बर, १९६४ के पूर्व सामान्य निर्वाचन करना अथवा उसे पूरा करना या निकाय के पुनस्संगठन को विज्ञापित करना सम्भव न हो तो, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे स्थानीय निकाय के सम्बन्ध में यह धारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानों अंक तथा शब्द '३१ दिसम्बर, १९६४' के स्थान पर अंक तथा शब्द '३१ मार्च, १९६५' रख दिये गये हों।"

श्री अधिष्ठाता—

हम खण्ड २ पर विचार कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के प्रतिबन्ध की अन्तिम पंक्ति में शब्द '३१ मार्च, १९६५' के स्थान पर "३० जून, १९६५" रख दिया जाय। माननीय मन्त्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के प्रतिबन्ध की अन्तिम पंक्ति में शब्द "३१ मार्च, १९६५" के स्थान पर "३० जून, १९६५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ३

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६४

निरसन तथा अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६४ निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम २९ दिसम्बर, १९९४ को प्रारम्भ हुआ हो।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## प्रस्तावना तथा खण्ड १ शीर्षक

### उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को और संशोधित करने के लिए

**विधेयक**

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

**श्री अधिष्ठाता—**

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री चतुर्भुज शर्मा—**

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

**श्री अधिष्ठाता—**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## †उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५

**विद्युत उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—**

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

यह एक छोटा सा विधेयक है। सतर्कता आयोग जो बनाया गया है उसके अन्तर्गत एक डायरेक्टोरेट आफ विजिलेंस बनाया गया है और पुलिस से बिल्कुल अलग रखने के लिए यह आर्गनाइजेशन बनाया गया है। उसमें अभी तक पुलिस की ताकत नहीं थी जिससे जांच पड़ताल करने में उसे दिक्कत होती थी, लिहाजा उसको यह ताकत दी गयी है। सिर्फ कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह छोटा सा विधेयक लाया गया है।

***श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—**

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिए एक मास तक घुमाया जाय।

---

†८ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, १९४३ में जब वार का जमाना था तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने बड़ी कठिनाई आयी। जहां हजारों रुपये का बजट था वहां यह देखा गया कि ठेकेदार और सरकारी अफसर मिल कर बहुत सा रुपया खा जाते थे और सरकार को मजबूर होकर एक स्पेशल पुलिस फोर्स इस्टैब्लिश करनी पड़ी जिसने इतना बड़ा काम किया कि सरकार ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह कोशिश की गयी कि इस स्पेशल पुलिस फोर्स के इस्टैब्लिशमेंट को रिटेन किया जाय। लेकिन शुरू में जब यह विधेयक बना, सेन्ट्रल गवर्नमेंट में, तो वह लैप्स हो गया, लेकिन जब देखा गया कि देश में करप्शन के बहुत से मामले बढ़ रहे हैं सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों के तो सरकार को मजबूर होकर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट के नाम से एक अधिनियम पास करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेज यहां से चले गये और शासन की बागडोर हमारे हाथ में आयी, तो बहुत से उच्च अधिकारी चले गये जिनके स्थान रिक्त हो गये। नतीजा यह हुआ कि जो नीचे के ग्रेड के आफिसर्स थे उनको तरक्की देकर ऊंचे के ग्रेड में पहुंचा दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी एक्सपीरियन्स की जो क्षमता थी वह डायलूट हो गयी और नीचे के अधिकारी जो मेरिट नहीं रखते थे...

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं माननीय कमला सिंह जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपकी मंशा है कि पुलिस वाले ही इसकी जांच करें तब तो आप यह कहें। हमने जैसा कि माननीय सदस्य चाहते थे पुलिस को अलग करके एक डायरेक्टर बनाया जो जांच करेगा और जो विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट देगा वह हाउस के सामने आयेगी और सदस्य भी उसको देख सकेंगे। हम एक चीज ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको वापस ले लें और यह न हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मन्त्री जी जब बोल रहे थे तो उनको मौका था कि वह सारी चीजें रख देते। लेकिन कोई बात वे अपने पेट में रखें, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी विचारधारा को जरा भी सुन लीजिये। जहां तक सवाल है कि पुलिस से इसको अलग रखा जाय वह तो विजिलेंस इस्टैब्लिशमेंट के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। १५६ सी० आर० पी० सी० में आफिसर इन्चार्ज पुलिस स्टेशन के शब्द हैं कि यही इन्क्वायरी कर सकेगा। इस तरह की दिक्कत आयेगी। इस विधेयक से स्पष्ट है कि इसमें अधिकारी अधिकतर पुलिस विभाग से लिये गये हैं लेकिन भविष्य में क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब कोई प्रश्न आयेगा तो १५६ सी० आर० पी० सी० में दिया गया है कि किसी कागनीजेबिल आफेंस में इन्क्वायरी इन्चार्ज पुलिस स्टेशन कर सकेगा तो इस तरह की दिक्कत है। इसलिए जो इसके अधिकारी होंगे, उनके लिए भी जरूरी है कि उनको पुलिस की पावर्स दी जायं।

माननीय मन्त्री जी को यह भ्रम था कि मैं यह समझ रहा था कि वे इसको पुलिस को देना चाहते हैं। लेकिन इसके उद्देश्य और कारणों में साफ दिया हुआ है कि पुलिस को नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए विजिलेंस इस्टैब्लिशमेंट इसका नाम रखा गया है। अगर पुलिस आफिसर्स नहीं रखेंगे, जो जितने करप्शन के केसेज होते हैं वे क्राइम से सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए जब तक इन्वेस्टिगेशन की पावर्स न हों तब तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और न इन्वैस्टिगेशन ही कर सकते हैं। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि पुलिस से इसको अलग रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पुलिस की पावर्स देने जा रहे हैं और साथ ही साथ यह भी है कि पुलिस स्टेशन का इन्चार्ज ही इन्क्वायरी कर सकता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसको पुलिस को नहीं देंगे, यह कहां तक सिद्ध होता है। इतना मैं मानता हूं कि आर्डिनरी पुलिस फोर्स अलग है। लेकिन साथ में सी० आई० डी० की शाखा आप ने बनायी है, दोनों डिफरेन्ट चीजें हैं। यह चीज सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी है और हमारे यहां भी है। तो यह उचित नहीं होगा और न हो सकता है, क्योंकि आप तो पुलिस की पावर

[श्री कमलसिंह यादव]

उन्हें दे रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस ऐक्ट, जो १८६१ का बना हुआ है उसको भी इस पर लागू कर रहे हैं और यह भी आप कह रहे हैं कि पुलिस ऐक्ट के मातहत जो कायदे कानून बनाये जायेंगे वह इस पर लागू होंगे। तो यह आपकी जो भावना है कि यह पुलिस नहीं है यह ठीक नहीं है।

दूसरी चीज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है आप गजेटेड आफिसर्स यानी सिर्फ राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में इस विधेयक को लागू करना चाहते हैं। तो श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैं उद्देश्य और कारणों में देख रहा हूं, इसे आप राजपत्रित अधिकारियों पर ही लागू करने जा रहे हैं। इतना तो आप मानते हैं कि आज जो गजेटेड आफिसर्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी करप्शन की शिकायतें हैं और बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जो यहां पर कहने लायक नहीं हैं। इस प्रकार इसका हेड एक ऐसे आदमी को बनाया है, जिसके बारे में आज तक हमें कोई भी शिकायत नहीं मिली है। और वह अछूता आदमी है श्री जियाराम, डी० आई० जी०, तो मुझे विश्वास है कि जब ऐसे ईमानदार आदमी के हाथ में आपने बागडोर सौंपी तो वह काम को अवश्य ठीक से पूरा करेगा। हालांकि आप के मौजूदा आई० जी०, डी० आई० जी० आदि के कारनामे आज हमारे सामने हैं। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से बताना चाहता हूं, जिसका जवाब हमारे सामने नहीं है। जब भी मैं देखता हूं इस विधेयक के जरिये श्री जियाराम, जो डी० आई० जी० हैं, काम कर रहे हैं और उनके अधीन बहुत सी पुलिस फोर्स काम कर रही है। हो सकता है कि वह भले करप्ट रहे हों, लेकिन जबसे वह विजिलेंस कमीशन के अन्दर आये हैं तो वे आनेस्ट हो गये। जहां तक हमारा ख्याल है कोई भी आदमी, हम और आप चाहे कोई इन्क्वायरी कर ले कि अब उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं जब भी हमारे अफसरों के अन्डर में थे तो बहुत सी शिकायतें हम लोग उन के खिलाफ करते थे। लेकिन अब वह अधिकारी विजिलेंस कमीशन में भेज दिये गये तो वह ईमानदार हो गये। अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं और मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर गौर करें कि जो पुलिस विभाग के भ्रष्ट आदमी समझे जाते थे वह अब विजिलेंस कमीशन में आने पर ईमानदार समझे जाने लगे हैं।

एक बात मैं कहूंगा कि जैसा हेड होगा, वैसे ही उसके मातहत हो जायेंगे। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि ऐसे डिपार्टमेंट में यदि आपने अच्छा हेड दिया तो सारा काम अच्छा हो जायगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके पुलिस विभाग में जो करप्शन फैल रहा है उसे इसी तरह से रोका जाये। अगर सख्त आफिसर हेड आपका नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि आपकी सल्तनत चलना मुश्किल है। आज भी मैं बता दूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो खास दिक्कतें हैं, हमारे सामने आ रही हैं, आज जो जनता गरीब थी, जिस के लिए कोई सहारा नहीं था, कोई कार्य नहीं था, हर आदमी आज यह स्वतन्त्रता के बाद यह कोशिश करता है कि वह धनवान हो जाय। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि उसका स्टैन्डर्ड आफ लाइफ ऊंचा हो और इसीलिए सारा करप्शन हो रहा है। श्रीमन्, इसके डिटेल में न जाकर मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि सब से बड़ी दिक्कत की जो चीज हमारे सामने आ रही है कि आज इस सरकार के अन्दर हम यह देख रहे हैं कि कोई भी कागज किसी किस्म का यदि कोई बड़े आफिसर के पास तक देना चाहता है तो बड़ी दिक्कत हमारे सामने हो रही है। जैसे कि कहीं भी आप जाइये, अगर कोई दरख्वास्त दीजिये, तो उस दरख्वास्त के पीछे-पीछे अगर पैसा नहीं चला, तो शायद वह दरख्वास्त पहुंचेगी नहीं, जहां पर आप भेजना चाहते हैं। अखबार में पढ़ा होगा कि इसी सेक्रेटेरियट का मामला है कि एक अधिकारी के चपरासी को जो कि टी० बी० का मरीज था, जो यह सोच रहा था कि उसको एक लम्बी छुट्टी मिल जायगी और उसमें वह अपना इलाज करा लेगा। सेक्रेटरी साहब जो थे छुट्टी देने वाले, उस मरीज की जब मृत्यु हो गयी और जब उसकी लाश जाने लगी तो सेक्रेटरी महोदय ने सोचा कि उसको परमानेंट कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

विधेयक के बारे में आप क्या कह रहे हैं? विजिलेंस के सम्बन्ध में जो यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है, उस के सम्बन्ध में आप बात करें।

श्री कमला सिंह यादव—

मैं जो आप को बता रहा हूं, इसका कारण जन संग्रह है। कंट्रैक्टर्स वगैरह जो कि आप के सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं या जो विजिलेंस कमीशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है उस में भी यह देखा गया कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, और वह गलत तरीके से जो धन पैदा करते हैं। उन लोगों को भी इस के अन्दर लाने के लिए यह जरूरी होगा कि हम विधेयक को राज्य कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि और अन्य कर्मचारियों पर भी लागू करें।

साथ ही एक बात और मुझे कहना है और वह यह है कि जहां तक इस डिपार्टमेंट का सवाल है, उस में तीन चीजें हैं। यानी सीक्रेट इन्टेलिजेंस, दूसरा इन्वैस्टिगेशन और तीसरा प्रासीक्यूशन। तो जहां तक सीक्रेसी का सवाल है, एक तो यह है कि इन्फार्मेशन वह सीक्रेट तरीके से कलेक्ट हो और दूसरा काम यह होता है कि वह डाइरेक्टर जो विजिलेंस का होगा, उसको वह हर तरह से असिस्ट करेगा। उसमें बहुत सी दिक्कतें आयेंगी। जहां तक विजिलेंस इस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, जिस तरीके पर वह है उसी तरीके पर अगर रहने दिया जाय तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आयेंगी। वह हेड आफ दि डिपार्टमेंट को लिखेगा। तो मैं चाहूंगा कि जब कि आप विजिलेंस कमीशन स्थापित करने जा रहे हैं तो ऐसे आफिसर्स को आप इतनी पावर भी दें...

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं आप को एक सूचना देना चाहता हूं कि विजिलेंस कमीशन तो स्थापित हुआ, लेकिन केवल राजपत्रित कर्मचारियों के लिए ही इस के द्वारा जांच हो सकेगी ऐसी बात नहीं है। इसमें है कि विशेषकर गजेटेड आफिसर्स, जिस के माने यह हैं कि आवश्यकता होने पर नान-गजेटेड आफिसर्स की यह जांच कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका मतलब यह है कि राजपत्रित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों पर भी यह प्रभावी होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी जरा इसे और साफ कर दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं आप को उसको पढ़कर सुना दूं। इस में लिखा है कि :—

"परीक्षित व्यवस्था में उक्त न्यायाधिकरण एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में कार्य करेगा और यह प्रस्ताव है कि सरकारी कर्मचारियों विशेषतः राजपत्रित अधिकारियों के भ्रष्टाचार तथा कदाचार, आदि के आरोपों से सम्बन्धित मामले सामान्यता उसे निर्दिष्ट किये जायेंगे।"

श्री कमलासिंह यादव—

अब स्पष्ट हो गया।

श्री लक्खीसिंह—

इस में तो छोटी मछलियां मारी जायेंगी और बड़े लोगों पर हाथ नहीं लगाया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कमलासिंह जी को बोलने दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह कहने जा रहा था कि जब आप विजिलेंस कमीशन स्थापित करते हैं तो आपका सब से पहला ध्यान कर्मचारियों के ऊपर जाना चाहिये कि वे प्रापरली पेड हों। डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स इस विभाग में लाये गये और सी० आई० डी० से वे लाये गये हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो कम्पलेंट्स आफिसर्स विभाग में रखे जा रहे हैं, उन को भी वैसा ही एलाउन्स मिलना चाहिये जैसा कि आप सी० आई० डी० के विभाग में देते हैं क्यों कि उन की ड्यूटीज भी करीब-करीब वही हैं और उतने ही स्ट्रांग ये लोग भी हैं जितने आप के सी० आई० डी० के लोग हैं। इसलिए जहां तक इन कर्मचारियों के एलाउन्स का सवाल है या उन को पे वगैरह है, उसी तरीके से सब होना चाहिये जैसे कि सी० आई० डी० के कर्मचारियों की होती है।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्राजीक्यूशन ब्रांच का सवाल है, इसमें ए० पी० पी०, जी० पी० पी० और एस० पी० पी० तीन प्रकार के लोग रहते हैं....

श्री अधिष्ठाता—

अब जब कल इस पर बहस होगी, तब आप भाषण कीजियेगा। अब हम उठते हैं और कल फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१६ फरवरी, १९६५।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर)

| क्रम-संख्या | नलकूपों के नाम | नलकूप संख्या | ग्रूप | मासिक उपभोग | | | | | | | | | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ४/६४ | ५/६४ | ६/६४ | ७/६४ | ८/६४ | ९/६४ | १०/६४ | ११/६४ | १२/६४ | |
| १ | राजेवपुर .. | ३१ | गाजीपुर ग्रूप | ५,३६७ | २,७३१ | ४,९८४ | ६६६ | ११३ | ९० | ५७१ | २,१४२ | ५,५४२ | |
| २ | सराय खान .. | ३२ | ,, | ३,५७८ | २,६३४ | ४,०४९ | १० | १३ | १ | २२२ | १,५१२ | ४,७०४ | |
| ३ | सदन चक .. | ३४ | ,, | ५,०४६ | २,९९० | ३,३१८ | ५८ | ३९ | १,०३६ | ३२६ | ३,०९५ | ५,२६१ | |
| ४ | मेहरौलीपुर .. | ३३ | ,, | ७,१२७ | ५,३५८ | ५,६२४ | १६२ | ७४ | १६० | ७६८ | ४,२०९ | ६,१७३ | |
| ५ | नूरपुर .. | १६ | ,, | ४,३९७ | २,८६९ | ४,१३१ | ४४ | ३६ | ३३ | ६३९ | २,१५२ | ५,२९७ | |
| ६ | बलीचक (लखीमपुर) | २ | यूसुफपुर ग्रूप | ४,२६२ | ३,२०६ | ४,९२० | ४१० | ३८ | ५३ | ४५७ | १,१८१ | ६,५७१ | |
| ७ | चक अब्दुल्लाह (पारा) | ३ | ,, | ७,२३७ | ५,८८१ | ५,७६६ | १०० | २३ | ७ | १,२३७ | २,१६२ | ७,८६० | |
| ८ | बरतर .. | ४ | ,, | ८,२८२ | ७,४८७ | ६,३८५ | ६६६ | ११२ | ३१ | ६७० | ४,३६९ | ८,४८७ | |
| ९ | सराय बहादुर .. | ७ | ,, | ५,५४२ | ३,८०५ | ५,२७८ | ४३ | — | ८ | २२६ | ४,६७८ | ६,०५७ | |
| १० | महवी .. | ३३ | ,, | ७,०४४ | ६,८२० | ५,७१७ | २०२ | ६५ | १० | २४३ | १,८४८ | ४,५७१ | |
| ११ | हुसेन बख्श .. | २२ | ,, | ६,८७४ | २,८८९ | — | ६,००० | ३१ | — | ३०७ | १,५२१ | ६,१८४ | |
| १२ | शहबाज कुली .. | २८ | ,, | — | — | — | — | — | — | — | — | — | * |
| १३ | विलावरपुर .. | २० | ,, | १६८ | ७६ | २७ | २६ | २७ | २० | १३० | ६२८ | २,८६५ | |

*यह नलकूप शाहाबाज कुली हवाई अड्डे के घेरे होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका है जिसकी लिखा-पढ़ी विभाग से हो रही है। इस नलकूप पर न तो कार्य हुआ है न कोई खर्चा हुआ है।

| क्रम-संख्या | नलकूपों के नाम | नलकूप संख्या | ग्रूप | मासिक उपभोग ४/६४ | ५/६४ | ६/६४ | ७/६४ | ८/६४ | ९/६४ | १०/६४ | ११/६४ | १२/६४ | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १४ | गपां .. | ३९ | यूसुफपुर ग्रूप | ४,००४ | ३,३३८ | ४,९८७ | २६६ | ४४ | १८ | ३०३ | १,१३३ | ६,६०२ | |
| १५ | बखारीपुर .. | ८ | ,, | ३,८१२ | २,३८७ | ३,६५८ | ३७ | १ | १६ | ४१६ | २,६४५ | ४,२५२ | |
| १६ | तरवन .. | १८ | ,, | ४,६९६ | १,५४७ | ३,२०२ | ३७० | २५ | २३ | १,३६७ | ६५८ | ५,२७३ | |
| १७ | यूसुफ चक .. | ३६ | ,, | २,४५६ | १,३७९ | १,७४६ | १०७ | ९३ | ८६ | ६६७ | १,९०४ | ५,८०० | |
| १८ | परसा १ .. | ५३ | ,, | ४,७५४ | १,८२५ | ४,१४१ | ३५ | ७४ | — | २६२ | ६४५ | ४,४५१ | |
| १९ | सराय मुफरी .. | ५२ | ,, | ५,२८१ | २,५१० | ४,३१० | १६ | — | — | ३९१ | ३९६ | ५,००६ | |
| २० | गोपालपुर .. | ६४ | ,, | ३,७०१ | १,८९८ | २,२८६ | ५७ | — | ११६ | १६८ | १,८१७ | ४,१३० | |
| २१ | मिर्जाबाद .. | ३८ | ,, | ७५९ | १,७७५ | ४,२९८ | ७३ | ३ | ४ | ८ | २,२०५ | ४,८३४ | |
| २२ | पर्सा २ .. | ६३ | ,, | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



विधान सभा

# नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५५–५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८६ पर)

## तालिका–क

८ रु० प्रति मास प्रति छात्र की दर से १ साल तक (जुलाई से जून) १५० छात्र-वृत्तियां, मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा ६–८ के उन छात्रों/छात्राओं को दी जाती हैं जो पिछली वार्षिक परीक्षा में सब विषयों में उत्तीर्ण हों एवं उन के प्राप्तांक का योग ४५ प्रतिशत से कम न हो।

१२ रु० प्रति मास प्रति छात्र की दर से १ साल तक (जुलाई से जून) १०० छात्र-वृत्तियां, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा ९—१० के उन छात्रों को दी जाती हैं जो वार्षिक परीक्षा में सब विषयों में उत्तीर्ण हों एवं उन के प्राप्तांक का योग ४५ प्रतिशत से कम न हो।

२० रु० प्रतिमास प्रति छात्र की दर से १ साल तक (जुलाई से जून) २४८ छात्र-वृत्तियां मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा ११ व १२ के उन छात्रों को दी जाती हैं जो पिछली वार्षिक परीक्षा में सब विषयों में उत्तीर्ण हों एवं उन की प्राप्तांक का योग ४५ प्रतिशत से कम न हो।

३० रु० प्रतिमास प्रति छात्र की दर से १ साल तक (जुलाई से जून) १५२ छात्र-वृत्तियां मान्यता प्राप्त डिग्री कालेजों के उन छात्रों को दी जाती हैं जो पिछली वार्षिक परीक्षा में सब विषयों में उत्तीर्ण हों एवं उन के प्राप्तांक का योग ४५ प्रतिशत से कम न हो।

३५ रु० प्रतिमास प्रति छात्र की दर से १ साल तक १२० छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों, के उन छात्रों को दी जाती हैं जो पिछली वार्षिक परीक्षा में सब विषयों में उत्तीर्ण हों एवं उन के प्राप्तांक का योग ४५ प्रतिशत से कम न हो और वे पोस्ट डिग्री कक्षाओं अथवा उच्च प्राविधिक (Technical or Professional) संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हों।

५० रु० प्रति मास प्रति छात्र की दर से १ साल तक (जुलाई से जून), १२ छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के उन रिसर्च छात्रों को दी जाती हैं जो पिछली वार्षिक परीक्षा में सब विषयों में उत्तीर्ण हों और उन के प्राप्तांक का योग ४५ प्रतिशत् से कम न हो।

इस के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे अन्य छात्रों को जो वास्तव में सहायता के योग्य हों, और छात्रवृत्ति न पाते हों पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा परीक्षा शुल्क इत्यादि के भुगतान के लिए कुछ अनावर्त्तक अनुदान भी स्वीकृत किये जाते हैं जिनकी दर निम्नलिखित है :—

| | (रु० प्रति छात्र) |
|---|---|
| १—पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा .. .. .. | १८० |
| २—डिग्री कक्षा .. .. .. | १५० |
| ३—कक्षा ११–१२ .. .. .. | १०० |
| ४—कक्षा ९—१० .. .. .. | ७५ |
| ५—कक्षा ६—८ .. .. .. | ५० |

## तालिका—ख

**राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों तथा आश्रितों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तक सहायता आदि दिये जाने की शर्तें :—**

राजनैतिक पीड़ित की परिभाषा में वे लोग आते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के कारण कम से कम ६ महीने के कारावास का दण्ड मिला हो या जो आन्दोलन में मारे गये हों या कारावास की अवधि में मर गये हों या जिन्हें फांसी की सजा दी गयी हो या जो गोली या लाठी चलने के कारण हमेशा के लिए अपाहिज हो गये हों या जिनकी सेवायें या जीविका के साधन पूरी तरह या आंशिक रूप में छिन गये हों।

इस प्रदेश के निवासी उपर्युक्त श्रेणी के राजनैतिक पीड़ितों जिनकी मासिक आय ३०० रु० से अधिक नहीं है, के बच्चे तथा आश्रित इस योजना से लाभ पाते हैं जब तक कि वे किसी मान्यता प्राप्त संस्था में स्थायी रूप से विद्यार्थी रहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए छात्र/छात्राओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र भर कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को दिये जाते हैं। विभिन्न शिक्षा अधिकारियों के आवेदन-पत्र देने की तिथियां निर्धारित हैं :—

इस योजना में लाभ पाने वाले छात्रों/छात्राओं को दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत सुविधा पाने से वंचित नहीं किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त सुविधा को छात्र-छात्रा के असन्तोषजनक आचरण व्यवहार के कारण सुविधा को वापस कराया जा सकता है।

योजना के अन्तर्गत जो सुविधायें दी जाती हैं वे राजनैतिक पीड़ित के केवल एक बच्चे या आश्रित को ही दी जा सकती हैं और एक छात्र या छात्रा को केवल एक ही प्रकार की सुविधा दी जा सकती है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०७ एल० ए०—१९६५—८७० ।